विकास बहल से पहले जे.

श्री मोनिशंकर हाजरा–याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य–प्रतिवादी 2022 का सी. आर. एम.–एम No.6692

16 मार्च, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता ई, 1973–S.482–भारतीय दंड संहिता, 1860–एस. एस. 120 बी, 406,409,420,465,467,468 और 471–प्राथमिकी आर. को रद्द करना–जालसाजी का अपराध–आरोप कि अभियुक्त ने निविदा प्राप्त करने के लिए अवैधता की–बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी प्रतियोगी ने निविदा प्रक्रिया या याचिकाकर्ता–कंपनी को निविदा के पुरस्कार को चुनौती नहीं दी–आयोजित, जहां प्राथमिकी आर. संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करने वाले आवश्यक अवयवों का खुलासा नहीं करती है, प्रारंभिक चरण में रद्द किया जा सकता है–इसलिए, कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए उक्त निर्णय में सकारात्मक रूप से कहा गया था कि जहां कोई प्राथमिकी दंडात्मक प्रावधान की आवश्यक आवश्यकताओं का खुलासा नहीं करती है या संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है, तो उसे प्रारंभिक चरण में रद्द किया जा सकता है।भजन लाल के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायाधीशालय के फैसले का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि उच्च न्यायाधीशालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का या तो किसी भी न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए खंड 482 Cr.P.C 1973 के तहत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(पैरा 69)

R.S.Rai, वरिष्ठ अधिवक्ता और

विनोद घई, वरिष्ठ अधिवक्ता

कनिका आहूजा के साथ, अधिवक्ता

सार्थक शर्मा, अधिवक्ता

इंदर राज गिल, अधिवक्ता

कीर्ति आहूजा, अधिवक्ता

अविचल प्रसाद, अधिवक्ता

रुबीना विरमानी, अधिवक्ता;

एडवर्ड ऑगस्टीन जॉर्ज, अधिवक्ता

महिमा डोगरा, अधिवक्ता

कुशाग्र बेनीवाल, अधिवक्ता,

सिद्धार्थ गुप्ता, अधिवक्ता, श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य

दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के लिए।

मुनीश शर्मा, एएजी हरियाणा समीर सचदेव, अधिवक्ता;

सरंश सहबरवाल, अधिवक्ता और भानु कठपालिया, प्रतिवादी नं. 2 की ओर से अधिवक्ता

विवेक सैनी, उत्तरदाताओं के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता नं।3 और 4.

विकास बहल, जे.

(1) यह आदेश खंड 482 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) के तहत दायर दो याचिकाओं का निपटारा करेगा, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला द्वारा पारित 15.12.2021 के आदेश को रद्द/रद्द करने के लिए दायर किया गया है। सी. ओ. एम. आई./63/2021 शीर्षक वाले मामले में जिसका शीर्षक "शरद कोठारी बनाम संयुक्त स्वास्थ्य समूह सूचना सेवा और अन्य". शीर्षक से, <आई. डी. 1. पर पंजीकृत और उससे उत्पन्न होने वाली परिणामी कार्यवाही, जिसमें प्राथमिकी आर. नं.508 दिनांक 23.12.2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 406,409,420,465,467,468 और 471 (इसके बाद आई. पी. सी. के रूप में संदर्भित) के तहत पुलिस स्टेशन सेक्टर 5, पंचकूला में दर्ज।

पहली याचिका, यानी सी. आर. एम.-एम.-एम-6692-2022, मोनिशंकर हाजरा और समीर बंसल द्वारा दायर की गई है और दूसरी याचिका, यानी सी. आर. एम.-एम.-एम-6692-2022, सात याचिकाकर्ताओं ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रशांत सिन्हा, अनुराग खोसला, टिम ट्रूजिलो, रजत बंसल, गायत्री वर्मा, जॉन सैंटेली और पार्थ सारथी मिश्रा द्वारा से दायर की गई है। चूँकि दोनों मामलों में विवादित आदेश समान है और इसमें शामिल मुद्दे और कानून के प्रश्न भी समान हैं, इसलिए दोनों मामलों को एक साथ लिया जा रहा है और सभी पक्षों की सहमति से, सी. आर. एम.-एम. 6692-2022 को प्रमुख मामले के रूप में लिया जाता है और उक्त याचिका से तथ्य लिए गए हैं।

इस निर्णय को निम्नलिखित धाराओं में विभाजित किया गया हैः

1	मामले की पृष्ठभूमि/तथ्य	पैरा 2 और 3	पेज 4-7
2	याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें	पैरा 4 से 14	पृष्ठ 7-25
3	प्रतिवादी की ओर से तर्क सं। 2	पैरा 15 से 25	पृष्ठ 25-32
4	प्रतिवादी की	पैरा 26 से 28	पृष्ठ 32-34

	दलीलों के खंडन में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें		

	नं. 2		
5	राज्य की ओर से तर्क	पैरा 29	पृष्ठ 34-35
6	प्रतिवादी की ओर से तर्क नं। 3 और 4	पैरा 30	पृष्ठ 35
7	इस न्यायालय के निष्कर्ष	पारस 3 से 71	पृष्ठ 35-153
	क) उन आधारों की सूची जिनके आधार पर विवादित आदेश/प्राथमिकी आर. और बाद की सभी कार्यवाहियों को दरकिनार/रद्द किया जाना चाहिए।	पैरा 31	पृष्ठ 35-37
	ख) यू/एस 156 (3) Cr.P.C के तहत पहले के आवेदन का आधार 1.1-Concealment जिसके परिणामस्वरूप दो एफ. आई. आर. दर्ज की गईं।	पारस 32 से 42	पृष्ठ 37-71
	1.2-दुर्भावनापूर्ण/पिछला मकसद	पैरा 32 से 42	पृष्ठ37-71
	1.3-फोरम	पैरा 32 से 42	पृष्ठ 37-71

	खरीदारी और पहले की शिकायतों का दमन।		
	🎬 कालानुक्रमिक घटनाएँ	पैरा 33	पृष्ठ 38-50
	ग) ग्राउंड नं. 2: कथित रूप से अपराध नहीं बनाए गए	पैरा 43 से 49	पृष्ठ 71-98
	घ) ग्राउंड नं. 3: प्रियंका श्रीवास्तव के मामले में निर्धारित कानून का पालन न करना	पैरा 50 से 56	पृष्ठ 98 -115
	ई) ग्राउंड नं। 4: विवादित आदेश में दुर्बलताएँ/अवैधताएँ	पैरा 57 से 62	पृष्ठ 115-133
	च) ग्राउंड नं. 5: वर्तमान आवेदन यू/एस 156 (3) Cr.P.C दाखिल करने में देरी।	पैरा 63	पेज 134
	छ) ग्राउंड नं. 6: 4 प्रतियोगी कंपनियों द्वारा निविदा कार्यवाही के लिए गैर-चुनौती जिन्होंने उसी में भाग लिया था।	पैरा 64	पृष्ठ 134-135
	ज) ग्राउंड नं. 7: समान आरोपों पर शिकायत हरियाणा के लोकायुक्त के समक्ष लंबित है।	पैरा 65	पृष्ठ 135-140

	(i) ग्राउंड नं. 8: वर्तमान आवेदन यू/एस 156 (3) Cr.P.C दाखिल करने के लिए शिकायतकर्ता के अधिस्थिति का अभाव।	पैरा 66	पृष्ठ 140-143
	जे) निष्कर्ष	पारस 67 से 70 पी. जी. 143 -	152
	क) राहत	पैरा 71	पृष्ठ 152-153

मामले की पृष्ठभूमि/तथ्य

(2) प्रतिवादी नं.2 Cr.P.C की खंड 156 (3) के तहत दिनांक 27.08.2021 पर शिकायत दर्ज की गई थी। (अनुलग्नक पी-28 पृष्ठ 539) दोनों याचिकाओं में 9 याचिकाकर्ताओं सहित दस अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ सामूहिक रूप से।उक्त शिकायत में मैसर्स यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "यूएचजीआईएस" के रूप में संदर्भित) के पक्ष में अस्पताल सूचना प्रणाली (एचआईएस) के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र (इसके बाद "एचएसएचआरसी" के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी निविदा प्राप्त करने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अवैध कार्य करने के आरोपों पर भा.दं.सं. की आदेश 406,409,420,465,467,468,471 और 120-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को आई. डी. 1 की आदेश 156 (3) के तहत परिकल्पित निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना की गई थी।शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नं 2 अभियुक्त नं. 1 कम्पनी का पूर्व कर्मचारी था और उसे आरोपी नं. 1 कम्पनी में नियुक्ति पत्र दिनांक 09.12.2013 के माध्यम से निदेशक

व्यवसाय विकास के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी, जिसे माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, हैदराबाद द्वारा 20.03.2017 पर समामेलन आदेश पारित करने के बाद मेसर्स ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड के रूप में जाना जाने लगा। यह भी आरोप लगाया गया है कि दिसंबर, 2013 के महीने में हरियाणा सरकार ने एच. एस. एच. आर. सी. द्वारा से एच. आई. एस. के कार्यान्वयन के लिए एक निविदा/प्रस्ताव के लिए अनुरोध (जिसे इसके बाद आर. एफ. पी. के रूप में संदर्भित किया गया है) जारी किया था। उक्त निविदा के अनुसार, बोलीदाताओं को निविदा/आर. एफ. पी. के खंड II के पैरा 4.3 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता/आवश्यकताओं के साथ 'प्रणाली एकीकरण' के क्षेत्र में अत्यधिक विशेषज्ञ होना आवश्यक था। क्रमिक एन. ओ. एस. के लिए विशिष्ट संदर्भ दिया गया था। उक्त पैरा 4.3 के क्रमांक 7 और 8 में विशिष्ट संदर्भ दिया गया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि अनुबंध का पुरस्कार निर्धारित योग्यताओं की पूर्ति पर निर्भर था और उक्त निविदा के अनुसरण में, पांच कंपनियों ने एच. एस. एच. आर. सी. को अपनी लागत बोलियां प्रस्तुत कीं। जिन कंपनियों ने अपनी बोली लगाई थी, वे इस प्रकार हैं:

एस. नं.	कंपनी का नाम
1	आईएल एंड एफएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
2	हेवलेट–पैकर्ड इंडिया सेल प्राइवेट लिमिटेड
3	एक्सेंचर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
4	यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप

	इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (अभियुक्त संख्या 1)
5	ईवाई/एन. डी. एस. एल.

यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी नं.1–यू. एच. जी. आई. एस. चौथा सबसे कम बोली लगाने वाला था और दस्तावेजों को गढ़कर निविदा प्राप्त करने में कामयाब रहा।यह सभी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा एक–दूसरे की मिलीभगत से और एच. एस. एच. आर. सी. के कुछ अधिकारियों और आरोपी नं.1 एच. एस. एच. आर. सी. द्वारा आवश्यक लेखा परीक्षित तुलनपत्र और लाभ और हानि विवरण के उद्धरणों के बिना और अपने सांविधिक लेखा परीक्षक से यह प्रमाणित करने वाला कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना कि कंपनी का प्रणाली एकीकरण सेवाओं आदि से 100 करोड़ रुपये का कारोबार था, उसने अपनी बोली बहुत चतुराई से प्रस्तुत की थी और एच. एस. एच. आर. सी. को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, उसने फिर भी उक्त निविदा को स्वीकार कर लिया।यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी नं.1 निविदा में भाग लेने के लिए अक्षम था क्योंकि जिन सेवाओं को पूरा करने की आवश्यकता थी, वे कभी भी अभियुक्त नं.1 और यहां तक कि यह भी अभियुक्त सं. 1 के संघ ज्ञापन का हिस्सा नहीं था। 1–कंपनी और उक्त एसोसिएशन के ज्ञापन को दिनांक 1 के प्रस्ताव के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसमें बोलीदाताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों/सेवाओं को शामिल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में खंड 1 बी और 1 सी को शामिल किया गया था।यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि निविदा बोली 13.03.2014 पर प्रस्तुत की गई थी और एसोसिएशन के ज्ञापन में संशोधन उसी के बाद किया गया था, यानी 29.04.2014 पर।यह भी आरोप लगाया गया था कि क्रम संख्या में सूचीबद्ध शर्त को पूरे आदेश के लिए निविदा के पैरा 4.3 खंड 2 (उपर्युक्त) के क्रम संख्या 8, जिसके लिए बोली लगाने वाले को अस्पतालों के नेटवर्क में अनुभव प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है, न कि एक/एक अस्पताल में, अभियुक्त व्यक्तियों ने एक–दूसरे के साथ मिलकर दो अनुभव प्रमाणपत्रों सहित झूठे दस्तावेज तैयार करके इस आवश्यकता में हेरफेर किया, जिन्हें स्पष्ट रूप से नकली और जाली

दस्तावेज बताया गया था क्योंकि वे मैसर्स ऑप्टम इंक. यू. एस. ए. (इसके बाद "ऑप्टम यू. एस". के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी किए गए थे और उक्त अनुभव प्रमाण पत्र से पता चला कि यू. एच. जी. आई. एस. (अभियुक्त नं.1– कंपनी)

वर्ष 2008 और 2009 में मैसर्स ऑप्टम इंक, यू. एस. ए. को सेवा प्रदान की थी, जबकि ऑप्टम यू. एस. स्वयं 17.09.2009 पर अस्तित्व में आया था।यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी नं.1 यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था कि उसने एच. एस. एच. आर. सी. की इस आवश्यकता को पूरा किया था कि उसका प्रत्येक वर्ष के लिए Rs.100 करोड़ का कारोबार होना चाहिए, अर्थात 2008–09, 2009–10, 2010–11 और वह प्रतिवादी नं.2 पूरे घोटाले/घटना के बारे में 01.10.2015 पर पता चला जब आरोपी नं।2–नशे की हालत में संदीप खुराना ने उसे एक रेस्तरां में पूरे प्रकरण/घटना का खुलासा किया।यह आगे आरोप लगाया गया है कि इसके बाद, प्रतिवादी नं।2 एक प्राथमिकी आर. नं. 419/2017 आई. टी. अधिनियम की धारा 66/66 सी के तहत पुलिस स्टेशन प्रशांत विहार, रोहिणी, नई दिल्ली में प्रतिवादी नं.2 और पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के समक्ष भी एक शिकायत दर्ज की गई, जिसे जांच/जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को चिह्नित किया गया था, जिसके बारे में ए. एस. आई. प्रकाश चंद द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी, जिससे यह स्पष्ट था कि आरोपी व्यक्तियों ने कई मौकों पर पेश नहीं होकर बार–बार जांच को विफल करने का प्रयास किया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि 13.03.2014 को शिकायतकर्ता के सामने वाद हेतुक सबसे पहले तब सामने आया जब आरोपी व्यक्तियों द्वारा एच. एस. एच. आर. सी. पंचकुला के कार्यालय में जाली दस्तावेजों की आपूर्ति की गई और फिर, फिर 01.10.2015 पर और फिर, 08.04.2016 पर, साथ ही साथ 29.04.2016 पर, वाद हेतुक जारी रहा क्योंकि शिकायतकर्ता को आरोपी–कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा था।यह कहा गया था कि यह पंचकूला की अदालत है जिसके पास

इस मामले पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है और याचिका में उल्लिखित के अलावा ऐसी या इसी तरह की कोई याचिका दायर या लंबित नहीं थी।

(3) पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 1 के विवादित आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया और सेक्टर 5 पंचकूला के एस. एच. ओ. को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश में, पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हरियाणा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, पंचकूला द्वारा प्रस्तुत की गई 22.07.2020 की अंतरिम रिपोर्ट पर विचार किया था, जिसमें संजय सेठी, सहायक महाप्रबंधक, हार्ट्रॉन और पुनीत बरार, वरिष्ठ सलाहकार, हार्ट्रॉन ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ टिप्पणियां की थीं।रिलायंस को जाँच अधिकारी की दिनांक 01.09.2020 की अंतरिम रिपोर्ट पर भी रखा गया था।यह आगे देखा गया कि प्रतिवादी नं।2 अभियुक्त नं. की ओर से बोली प्रक्रिया में भी शामिल था।1 कंपनी, अदालत उपरोक्त संजय सेठी और पुनीत बरार द्वारा दायर रिपोर्ट पर संज्ञान ले रही थी।उसी के अनुसरण में, ऊपर कहा गया प्राथमिकी आर. नं.508 दिनांक 23-12-2021 दर्ज किया गया था और ऊपर कहा गया है कि संजय सेठी और पुनीत बरार को शिकायतकर्ता बनाया गया था। यह उपरोक्त का आदेश है।

15.12.2021, की दिनांक प्राथमिकी आर. 23-12-2021 और उससे उत्पन्न होने वाली बाद की कार्यवाही जिसे 9 अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दो अलग-अलग याचिकाएं दायर करके चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें

(4) श्री आर.एस. राय, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री विनोद घई, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री कनिका आहूजा, अधिवक्ता रूबिना विरमानी, श्री सार्थक शर्मा, अधिवक्ता, श्री इंदर राज गिल, अधिवक्ता, सुश्री कीर्ति आहूजा, अधिवक्ता, श्री अविचल प्रसाद, अधिवक्ता, श्री एडवर्ड ऑगस्टीन जॉर्ज, अधिवक्ता, डोगरा, अधिवक्ता, बेनीवाल, अधिवक्ता और श्री

सिद्धार्थ गुप्ता, अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, विवादित आदेश और उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही निम्नलिखित आधारों पर रद्द किए जाने के योग्य है:–

यह दुर्भावनापूर्ण है और याचिकाआदेश्ताओं से धन निकालने के लिए एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ दायर किया गया है।इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंचों और पुलिस अधिकारियों के समक्ष खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत पिछली शिकायतों/आवेदनों को छिपाया जाता है।

(ii) खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन खंड 154 (1) Cr.P.C के तहत कोई शिकायत दर्ज किए बिना पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दायर किया गया है और न ही ऐसी कोई शिकायत/अभ्यावेदन खंड 154 (3) Cr.P.C के तहत पुलिस अधीक्षक के समक्ष दायर किया गया है और इस प्रकार, यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रियंका श्रीवास्तव में निर्धारित कानून का उल्लंघन है और

एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2015) सुप्रीम कोर्ट के 6 मामलों 287 के रूप में रिपोर्ट किए गए।

(iii) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया Cr.P.C.s के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन है और विवादित आदेश को बिना किसी दिमाग के लागू किए पारित किया गया है।

(iv) जालसाजी और धोखाधड़ी का अपराध नहीं बनाया जाता है, भले ही खंड 156 (3) के तहत शिकायत में लगाए गए आरोपों को सही माना जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए। इब्राहिम और ओरस बनाम बिहार और अन्न राज्य, 2009 (8) एस. सी. सी. 751 के रूप में सूचित है।

जिसका अनुसरण बाद के निर्णय में किया गया है जिसका शीर्षक है –

" शीला सेबेस्टियन बनाम आर. जवाहराज और अन्न. के रूप में रिपोर्ट किया गया।

2018 एससीसी (सीआरआई) 275 यहां तक कि भा.दं.सं. सी. की खंड 406 और 409 के तहत अपराध भी वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं हैं।(v) रिलायंस को अंतिम आदेशों/रिपोर्टों पर विचार किए बिना और अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भी विचार किए बिना अंतरिम आदेशों/रिपोर्टों पर विवादित आदेश में रखा गया है।

(vi) सी. आर. की खंड 156 (3) के तहत आवेदन दाखिल करने में 5 साल और 9 महीने से अधिक की देरी।पी. सी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला के समक्ष।

(vii) प्रतिवादी सं।2 दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 156 (3) की आई.पी.सी. की धारा के तहत वर्तमान आवेदन दायर करने का कोई अधिस्थिति नहीं है।

(viii) प्रतिवादी सं।2 "फोरम शॉपिंग" में शामिल होना।

(5) ग्राउंड नं. (1):

यह इंगित किया गया है कि प्रतिवादी नं।2 वह ऑप्टम इंडिया का एक कर्मचारी था और वह उक्त कंपनी के साथ दिनांकित 09.12.2013 नियुक्ति पत्र के माध्यम से कार्यरत था और उसके बाद, 16.02.2016 पर, कंपनी को प्रतिवादी नं.2 उस प्रभाव के लिए जो प्रतिवादी नहीं।2 कंपनी के विक्रेताओं की मिलीभगत से अवैध और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल था।08.04.2016 पर, अनाम शिकायत के अनुसरण में प्रतिवादी नं.2 और अंततः, प्रतिवादी नं.2 उन्हें सतह पर लाया गया और उसी के बदले में, उन्होंने 29.04.2016 संलग्नक पी–10 (पृष्ठ 378) पर इस्तीफा दे दिया।यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके तुरंत बाद, प्रतिवादी नं।2 कंपनी को एक कानूनी नोटिस जारी कर रुपये की राशि की मांग की। 34.10 करोड़।उक्त कानूनी सूचना दिनांक 01.06.2016 की एक प्रति संलग्नक पी–11 (पृष्ठ 379) के रूप में संलग्न की गई है। यह आगे उजागर किया गया है कि प्रतिवादी नं।2 याचिकाआदेशता–कंपनी और उसके आदेशमचारियों से उक्त धन निकालने के लिए, विभिन्न पुलिस अधिकारियों और अन्य

अधिकारियों के समक्ष कई शिकायतें दर्ज की गईं।शिकायत–1 दिनांक 05.09.2016 संलग्नक पी–12 (पृष्ठ 400) साइबर अपराध प्रकोष्ठ, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 के व्यक्तिगत ई–मेल खाते की हैकिंग के संबंध में आरोप लगाए गए थे याचिकाकर्ता कंपनी और उसके अधिकारियों की आपराधिक साजिश को प्रमाणित करता है। शिकायत–1 में आगे यह आरोप लगाया गया था कि 08.04.2016 पर, टिम ट्रूजिलो–याचिकाकर्ता नं।3 सी. आर. एम.–एम.–6698–2022 में, प्रतिवादी को ब्लैकमेल किया था और धमकी दी थी।2 सीटी न बजाना अन्यथा प्रतिवादी को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।दूसरी शिकायत (शिकायत–2) 21.02.2017 संलग्नक पी–14 (पृष्ठ 410) पर दर्ज की गई थी।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, रोहिणी, नई दिल्ली के समक्ष, जिसमें, जैसा कि पैरा 5 (पृष्ठ 412) से स्पष्ट है, यह आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2014 में कंपनी ने अस्पताल सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी निविदा को सुरक्षित करने के लिए एक बोली में भाग लिया था और भले ही कंपनी ने क्रम संख्या में उल्लिखित आवश्यक योग्यताओं को पूरा नहीं किया था।7 आर. एफ. पी. के खंड II के खंड 4.3 के अनुसार, फिर भी कंपनी/उनके अधिकारियों ने अनुभव प्रमाण पत्र आदि जैसे झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज बनाकर निविदा प्रक्रिया में भाग लिया। उक्त शिकायत में अन्य आरोप भी लगाए गए थे।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उक्त शिकायत (शिकायत–2) की जांच की गई थी और याचिकाकर्ता जांच में शामिल हुए थे और यहां तक कि बयान भी दर्ज कराए गए थे और जांच अधिकारी ने 23.05.2017 संलग्नक पी–15 (पृष्ठ–418) दिनांकित एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया था कि मामला नागरिक प्रकृति का था और इसलिए, शिकायत इंस्पेक्टर विक्रम चौहान, प्रशांत विहार द्वारा दायर करने की सिफारिश की गई थी।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि यहां तक कि दिनांकित 05.09.2016 (शिकायत–1) की शिकायत की भी जांच की गई थी और शिकायतकर्ता को शिकायत की व्याख्या करने के लिए कई बार तलब

किया गया था, हालांकि, यह प्रतिवादी नं. 2 जो पेश होने में विफल रहा और जांच में सहयोग नहीं किया और इसलिए, मामले को 27.06.2017 संलग्नक पी–16 (पृष्ठ 420) की रिपोर्ट के माध्यम से बंद कर दिया गया।यह इंगित किया गया है कि प्रतिवादी नं।2 वे वहाँ नहीं रुके और रोहिणी न्यायालय, दिल्ली में मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष धारा 156 (3) और 200 Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर किया।उक्त शिकायत (शिकायत–3) दिनांकित 07.06.2017 थी।इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यह नौ व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया था, जिनमें से एक प्रस्तावित आरोपी व्यक्ति को अज्ञात बताया गया था और इस अदालत के समक्ष सभी नौ याचिकाकर्ताओं को शिकायत–3 में आरोपी व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था।उक्त आवेदन में, संबंधित एस. एच. ओ./आई. ओ. को प्राथमिकी आर. दर्ज करने और मामले की जांच करने के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई थी।उक्त आवेदन के पैरा 1 को यह दिखाने के लिए रेखांकित किया गया है कि खंड 200 Cr.P.C के तहत दी गई शिकायत को भी उक्त आवेदन के एक भाग के रूप में पढ़ने की प्रार्थना की गई थी।खंड 200 के तहत शिकायत में, जो खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन के साथ थी, यह रेखांकित किया गया है कि उसी में की हरियाणा राज्य (3) Cr.P.C के तहत खंडओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थी, जिसमें खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन की खंडएं शामिल हैं। यह दिखाने के लिए कि खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत उक्त शिकायत में आरोप हैं, पैरा 2 उप पैरा (v) (पृष्ठ 436), पैरा (iv) (पृष्ठ 435) का विशिष्ट संदर्भ दिया गया है। (शिकायत–3) खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान शिकायत में लगाए गए आरोपों के समान थे।

655

(विकास बहल, जे.)

2(v) यह आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2014 में, याचिकाकर्ता कंपनी ने अस्पताल सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी निविदा को सुरक्षित करने के लिए एक बोली प्रस्तुत की थी, हालांकि कंपनी ने आर. एफ. पी. के खंड II के खंड 4.3 में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यक योग्यताओं को पूरा नहीं किया था, फिर भी कंपनी अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर अनुभव प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेजों को

गढ़कर और जाली बनाकर सफलतापूर्वक निविदा प्राप्त करने में समर्थ थी।शिकायत–3 के पैरा 4 में प्रतिवादी नं.2 कि चूंकि पूरी घटना उस न्यायालय, अर्थात रोहिणी न्यायालय, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में हुई थी, इस प्रकार, उक्त न्यायालय के पास शिकायत (शिकायत–3) का प्रयास करने, उस पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त कार्यवाही में, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, रोहिणी अदालत द्वारा केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 और 66–सी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था और उसी के अनुसरण में, प्राथमिकी संख्या 419 दिनांक 18.08.2017, केवल उपरोक्त धाराओं के तहत, पुलिस स्टेशन प्रशांत विहार, जिला रोहिणी में दर्ज किया गया था।उक्त प्राथमिकी आर. को संलग्नक पी–18 (पृष्ठ 450) के रूप में संलग्न किया गया है।यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि उक्त शिकायत में आरोप निविदा जमा करने के समय विभिन्न दस्तावेजों की कथित जालसाजी के संबंध में भी लगाए गए थे, लेकिन रोहिणी अदालतों के सीएमएम ने पूरे मामले पर विचार करने के बाद, धारा 420,467,468,471 और शिकायत–3 में उल्लिखित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने का विकल्प नहीं चुना। यह बताया गया है कि प्रतिवादी नं 2 उक्त मामले में पारित आदेशों को कभी भी किसी उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई और वास्तव में, उक्त मामले में जांच भी की गई है और अगस्त 2019 में एक रद्दीकरण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी और ढाई साल बीतने के बावजूद, प्रतिवादी नं.2 और प्रतिवादी नं. को अंतिम अवसर दिया गया है। आपत्तियाँ दर्ज करना और उक्त रद्द करने की रिपोर्ट की स्वीकृति/अस्वीकृति अभी भी लंबित है।यह तर्क दिया गया है कि धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने में असफल रहने और यह पाए जाने पर कि उस प्राथमिकी में रद्द करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, प्रतिवादी नं 2 ने अपना अड्डा दिल्ली से हरियाणा स्थानांतरित कर दिया और शिकायत नं.4 (हरियाणा में पहली शिकायत) 12.03.2019 (अनुलग्नक पी–20 पृष्ठ 471) पर हरियाणा के राज्यपाल के समक्ष हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, लोकायुक्ता चंडीगढ़, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव और भारत के माननीय प्रधान मंत्री को एक प्रति के साथ।यह कहा गया है कि उक्त

शिकायत में भी निविदा के लिए बोली प्रक्रिया के दौरान की गई कथित अवैधताओं के संबंध में आरोप लगाए गए हैं।

अस्पताल सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र (एच. एस. एच. आर. सी.) द्वारा बनाई गई शिकायत में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए थे।उक्त शिकायत में कहा गया है कि हालांकि, प्राथमिकी आर. नं.419/2017 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, रोहिणी न्यायालयों के आदेश के अनुसरण में दर्ज किया गया था, लेकिन शिकायत–4 में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि धोखाधड़ी और जालसाजी के संबंध में आरोप पहले की शिकायत (शिकायत–3) में पहले ही लगाए जा चुके थे और उक्त पहलू पर, उक्त धाराओं पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नं 2 उन्होंने इसी तरह के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देश मांगने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष सी. आर. एम.–एम.–54124–2019 भी दायर किया था, लेकिन जैसा कि दिनांक 1 के आदेश से स्पष्ट है, इसे वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था क्योंकि उसमें याचिकाकर्ता के वकील (प्रतिवादी संख्या 2) ने कुछ समय तक बहस करने के बाद कहा था कि वह संबंधित लोकायुक्ता के समक्ष उचित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ उक्त याचिका को वापस लेना चाहते हैं।यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने मामले को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाया था और न ही मामले को लोकायुक्ता को संदर्भित करने के लिए उपयुक्त पाया था और इसलिए, प्रतिवादी नं.2 (याचिकाकर्ता) ने वैकल्पिक उपचार की मांग करने के लिए याचिका वापस ले ली थी और उक्त आदेश किसी भी तरह से प्रतिवादी नं 2 के मामले का आगे नहीं बढ़ाता और बल्कि यह दर्शाता है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए इच्छुक नहीं थी। प्रतिवादी नं.2 इसके बाद हरियाणा के लोकायुक्ता के समक्ष एक शिकायत (शिकायत–5) दायर की गई और उक्त शिकायत (शिकायत–5) में सात याचिकाकर्ताओं के अलावा, निविदा

को मंजूरी देने वाले 17 सरकारी अधिकारियों को भी पक्षकारों के रूप में रखा गया।उक्त शिकायत में, खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान शिकायत में लगाए जाने वाले सभी आरोप भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ–साथ हरियाणा सरकार को हुए कथित नुकसान के अलावा लगाए गए थे।शिकायत–5 में मामले की जांच और प्राथमिकी दर्ज करने की प्रार्थना की गई थी। यह कहा गया है कि उक्त शिकायत अभी भी लंबित है और इस प्रकार, वर्तमान कार्यवाही की शुरुआत और वर्तमान प्राथमिकी आर. का एक साथ पंजीकरण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और दोहरे खतरे के सिद्धांतों का उल्लंघन है।स्वास्थ्य विभाग ने उक्त शिकायत (शिकायत–5) को पूरे मामले की जांच के लिए हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (संक्षेप में "हार्ट्रॉन") को भेज दिया था। दिनांक 22.07.2020 की रिपोर्ट के माध्यम से, उक्त हार्ट्रोन ने पूरे मामले पर विचार किया और अंत में सिफारिशें की, जिसमें

इसका विवरण कागजी पुस्तक के पृष्ठ 501 पर दिया गया है।यह प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आदेश में, उक्त रिपोर्ट के एक हिस्से पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला द्वारा ध्यान दें गया है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष/सिफारिशें, जो पेपर बुक के पृष्ठ 501 पर हैं, को नोट नहीं किया गया है।यह तर्क दिया गया है कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार भी, यह सिफारिश की गई थी कि कंपनी सचिव/चार्टर्ड एकाउंटेंट से परामर्श किया जा सकता है और अंततः एक नई समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें एच. एस. एच. आर. सी., एन. आई. एस. जी., स्वास्थ्य विभाग, हार्ट्रोन, डी. आई. टी. ई. सी. एच. , आई. एस. एम. ओ. और एन. आई. सी. के सदस्य शामिल होने चाहिए ताकि शिकायत सहित सभी दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया जा सके और अपने विशेषज्ञ विचार दिए जा सकें।यह कहा गया है कि उक्त सिफारिशों के अनुसरण में, समिति का वास्तव में गठन किया गया था और समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12-01-2021 संलग्नक पी–23 (पृष्ठ 503) प्रस्तुत की थी और सभी पहलुओं पर

विचार करने के बाद और सभी सदस्यों की रिपोर्ट और चर्चा किए गए बिंदुओं के आधार पर, यह कहा गया था कि हरियाणा सरकार को नियोक्ता और पूर्व कर्मचारी के बीच विवाद में पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए और शिकायत दर्ज करने की सिफारिश की गई थी।यह भी बताया गया है कि प्रभजोत सिंह उक्त समिति के अध्यक्ष थे और समिति में 11 व्यक्ति थे, जिसमें प्रतिवादी नं.3 और 4 और उक्त रिपोर्ट सभी उक्त अधिकारियों/व्यक्तियों के उचित विचार के बाद प्रस्तुत की गई थी।यह कहा गया है कि विवादित आदेश में, दिनांक 22-07-2020 की अंतरिम रिपोर्ट पर विचार किया गया था, जबकि अंतिम रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि, जैसा कि रिकॉर्ड पर रखे गए ज़िम्नी आदेशों से स्पष्ट है, पूरे रिकॉर्ड की मांग की गई थी। यह आगे बताया गया है कि विवादित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला ने कहा था कि उन्होंने उक्त रिपोर्ट का "संज्ञान" लिया था और आगे बढ़ रहे थे और यह भी कहा था कि प्रतिवादी नं. 3 और 4 को वर्तमान मामले में प्रतिवादी नं.2 के स्थान पर शिकायतकर्ता बनाया गया है, जिन्होंने शुरू में खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन दायर किया था। याचिकाकर्ताओं के लिए जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया है कि एक और शिकायत (शिकायत-6) दिनांकित 11.02.2020 संलग्नक पी-24 (पृष्ठ 508) थी जो प्रतिवादी नं.2 पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को भा.दं.सं. सी. की खंड 406, 409, 419, 420, 465, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की खंड 13 के तहत और शिकायत-6 में यह अनुरोध किया गया था कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, हरियाणा सरकार के दोषी अधिकारियों और गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला/एफ. आई. आर. दर्ज की जाए के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा उक्त मामले की भी जांच की गई थी और प्रारंभिक रिपोर्ट दिनांक 01.09.2020 के बाद, अंतिम रिपोर्ट दिनांक 19.10.2020 पुलिस

आयुक्त, पंचकूला द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिन्होंने कहा था कि उप जिला अटॉर्नी, पंचकूला की सलाह के अनुसार, यह सिफारिश की गई थी कि उक्त शिकायत को अभिलेख कक्ष में भेजा जाए।यह इंगित किया गया है कि विवादित आदेश में 01.09.2020 की अंतरिम रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है, जबकि उक्त रिपोर्ट को 19.10.2020 की रिपोर्ट के साथ मिला दिया गया था।यह आगे बताया गया है कि प्रतिवादी नं।2 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के अनुरोध के साथ फिर से सी. आर. एम.–एम. 4551–2021 दायर करके इस अदालत का दरवाजा खटखटाया गया और याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील (प्रतिवादी संख्या 2) के प्रस्तुत करने पर इसे वापस ले लिया गया क्योंकि उन्होंने याचिका पर जोर नहीं दिया और आपराधिक शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता मांगी और इसे इस अदालत की एक समन्वित पीठ द्वारा प्रदान किया गया।यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष यह कहा गया था कि अदालत को सूचित किए बिना 01.09.2020 की एक पुलिस रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि रिपोर्ट का दिनांक 19.10.2020 की रिपोर्ट के साथ विलय हो गया था।यहां तक कि 12.01.2021 (अनुलग्नक पी–23) की रिपोर्ट/पत्र को भी अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया था। यह तर्क दिया गया है कि याचिका पर विचार नहीं किया गया था और इसे वापस ले लिया गया था और मामले में प्राथमिकी दर्ज करने या कोई कार्यवाही शुरू करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था।यह भी बताया गया है कि उक्त आदेश में आपराधिक शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता मांगी गई थी लेकिन प्रतिवादी नं. 2 उसने मजिस्ट्रेट, पंचकूला के समक्ष खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर करने का विकल्प चुना है, जिसके आधार पर विवादित आदेश पारित किया गया है और विवादित प्राथमिकी दर्ज की गई है।खंड प्रतिवादी नं. 2 धारा 156(3) सी.आर.पी.सी के तहत आवेदन में दिये गये कथ्नों का विस्तृत संदर्भ दिया गया है। यह बताया है कि 17 सरकारी अधिकारियों को प्रस्तावित आरोपी व्यक्तियों के रूप में सूचित किया गया था और उनके खिलाफ शिकायत नं. 5 (लोकायुक्त आवेदन (शिकायत) में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे। उन्हें धारा 156 के तहत वर्तमान शिकायत में पार्टी के रूप में सूचित नहीं किया गया है। वे अच्छी तरह से जानते थे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत उन पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता

होगी।यह भी बताया गया है कि मोनिशंकर हाजरा और समीर बंसल यानी सी. आर. एम.–एम. 6692–2022 में याचिकाकर्ता, जिन्हें कभी भी किसी भी शिकायत में या यहां तक कि रोहिणी अदालतों, दिल्ली में खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत कार्यवाही में भी आरोपी नहीं बनाया गया था, को आरोपी नं. 9 और 10 वर्तमान शिकायत में 10 के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन में सक्रिय रूप से छिपाव है हालांकि प्रतिवादी का कोई संदर्भ नहीं है कि

रोहिणी न्यायालयों के समक्ष खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर किया है और न ही यह कहा गया है कि उक्त आवेदन में जालसाजी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के संबंध में इसी तरह के आरोप पहले ही लगाए जा चुके हैं और वर्तमान शिकायत (शिकायत–7) (पृष्ठ 547) के पैरा 28 में गुप्त रूप से उल्लेख किया गया है कि प्राथमिकी आर. नं.419/2017 आईटी अधिनियम की धारा 66/66–सी के तहत दर्ज किया गया है, हालांकि, इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त मामले में रद्द करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।दिनांकित 05.09.2016 (शिकायत–1) संलग्नक पी–12, दिनांकित 24.02.2017 संलग्नक पी–14 का कोई संदर्भ नहीं था। वर्तमान याचिका के पैरा 42 का यह दिखाने के लिए संदर्भ दिया गया है कि शिकायत में यह कहा गया है कि वर्तमान आवेदन के अलावा ऐसी या इसी तरह की कोई याचिका दायर नहीं की गई है या लंबित नहीं है या इस माननीय न्यायालय या माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय या भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में निर्णय नहीं लिया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी आर. सं. 419/2017 की रद्द करने की रिपोर्ट के संबंध में कार्यवाही दिनांक 01.04.2022 के लिए लंबित हैं और इस प्रकार, उपरोक्त कथन गलत है और उक्त तथ्य प्रतिवादी सं.2 की ओर से सक्रिय छिपाव का गठन करते हैं और यह कि वर्तमान याचिकाओं को केवल उक्त आधार पर ही अनुमति दी जानी चाहिए।यह भी बताया गया है कि हालांकि, सभी

सरकारी अधिकारियों को छोड़ दिया गया है और उन्हें आरोपी व्यक्तियों के रूप में नहीं रखा गया है, लेकिन खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन में अभी भी भा.दं.सं. सी. की खंड 409 के तहत अपराध का उल्लेख है। शिकायत के पैरा 5 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि प्रतिवादी नं.2 किसी भी सामग्री का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और उक्त दावा इस प्रभाव के लिए आक्षेपित आदेश में की गई टिप्पणियों के विपरीत है कि प्रतिवादी नहीं।2 बोली लगाने की पूरी प्रक्रिया में भाग लिया था और इस प्रकार, वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के रूप में हटा दिया गया था।यह प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि इस आशय के आरोप लगाए गए हैं कि राज्य के खजाने को Rs.60 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन यह उजागर किया गया है कि अन्य बोलीदाता भी थे जिन्होंने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था और अपनी–अपनी बोलियां दायर की थीं, लेकिन उक्त व्यक्तियों में से किसी ने भी निविदा प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी है।यह रेखांकित किया गया है कि पैरा 26 में यह कहा गया है कि 01.10.2015 पर प्रतिवादी नं.2 पूरे घोटाले के बारे में आरोपी नं.2–संदीप खुराना, जिन्होंने नशे की हालत में प्रतिवादी नं. 2 को पूरी घटना के बारे में सूचित किया और फिर भी वर्तमान शिकायत 5 साल और 9 महीने से अधिक की देरी के बाद दर्ज की गई है और उसी के लिए, पैरा 39 का संदर्भ दिया गया है।इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि पैरा 41 में यह कहा गया है कि अधिकार क्षेत्र पंचकूला न्यायालयों का है, जबकि खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत पहले की शिकायत में कहा गया है। (शिकायत–3), यह कहा गया था कि पूरी

घटना दिल्ली में हुई थी, यह दिल्ली अदालत थी जिसका अधिकार क्षेत्र था और उसी के आधार पर, याचिकाकर्ताओं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि खंड 156 (3) Cr.P.C (यानी, शिकायत–3 और शिकायत–7) के तहत दो आवेदनों में कथन एक दूसरे के विपरीत हैं।

(6) उक्त आधार को साबित आदेश के लिए, याचिकाकर्ताओं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कृष्ण लाल चावला और अन्य मामलों में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 1, टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य 2 और अमितभाई अनिल चंद्र शाह बनाम केंद्रीय ब्यूरो

जाँच और उत्तर। 3 और इस न्यायालय का दिनांकित निर्णय भी

07.01.2022 सी. आर. एम.–एम.–45411–2021 में गुरमैल सिंह के रूप में उत्तीर्ण

बनाम पंजाब राज्य और दूसरा।

(7) ग्राउंड नं.(2):

यह जोरदार तर्क दिया गया है कि खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत पूरी शिकायत के अवलोकन से पता चलेगा कि न तो स्टेशन हाउस अधिकारी और न ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कोई शिकायत की गई है, जैसा कि खंड 154 (1) और 154 (3) Cr.P.C के तहत अनिवार्य है और इस प्रकार, खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान शिकायत, प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (उपरोक्त) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते हुए, पूरी तरह से खारिज करने योग्य है।निर्णय के पैरा 31 का विशिष्ट संदर्भ दिया गया है जिसमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन दायर करने से पहले खंड 154 (1) और 154 (3) Cr.P.C के तहत एक पूर्व आवेदन दायर किया जाना था और उसी का विवरण देने वाले तथ्यों को खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा जाना था और उक्त प्रभाव के लिए आवश्यक दस्तावेज भी दायर करने की आवश्यकता है।याचिकाकर्ताओं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (ऊपर) में निर्धारित कानून का दाण्डिक अपीलीय सं.252 2022 का शीर्षक बाबू वेंकटेश और अन्य बनाम

कर्नाटक राज्य और दूसरा, 18.02.2022 पर तय किया गया।वर्तमान में

मामला यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो प्रतिवादी के संबंध में कोई अभिकथन नहीं। 2 धारा 154 (1) या 154 (3) के तहत उक्त आवेदन दायर किए गए हैं और न ही इसके साथ ऐसा कोई दस्तावेज दायर किया गया है।विवादित आदेश को भी चुनौती देने की मांग की गई है

1 (2021) 5 एससीसी 435

2 2001(6) एससीसी 181

3 2013(6) एस. सी. सी. 348

प्रियंका श्रीवास्तव के मामले में निर्धारित कानून का उल्लंघन (ऊपर)।यह इंगित किया गया है कि उक्त निर्णय के पैरा 35 के अनुसार, निर्णय को सभी न्यायिक अधिकारियों को प्रसारित करने का आदेश दिया गया था और उक्त निर्णय दिनांकित 19.03.2015 है, जो विवादित आदेश के पारित होने से पहले का है।

(8) ग्राउंड नं.(3):

यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला ने एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की है जो कानून के लिए अज्ञात है।उक्त तर्क की पुष्टि आदेश के लिए, प्रतिवादी नं. 2 द्वारा दायर उत्तर का संदर्भ दिया गया है। विशेष रूप से, पैराग्राफ 3,4 और 5 इस बात पर प्रकाश डालने के लिए कि जवाब में यह कहा गया था कि 3 महीने की अवधि में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला ने अपनी जांच की थी और एक सीलबंद लिफाफे में रिकॉर्ड और यहां तक कि प्रतिवादी नं. 2 को शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नं. 2 के वकील द्वारा रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति के रूप में उक्त सीलबंद लिफाफे तक कोई पहुंच नहीं थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला के न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और न्यायालय ने खुद को

संतुष्ट करने के बाद, विवादित आदेश पारित किया था।ज़िम्नी आदेशों का संदर्भ दिया गया है जिन्हें प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त उत्तर के साथ संलग्न किया गया है।यह तर्क दिया गया है कि शुरू में एस. एच. ओ. से एक स्थिति रिपोर्ट बुलाई गई थी और उसके बाद, जैसा कि दिनांक 17-09-2021 और 05-10-2021 के ज़िम्नी आदेशों से स्पष्ट है, एम. डी., हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम, हरियाणा से जांच के संबंध में दस्तावेज खंड 91 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुलाए गए हैं और यह निर्देश दिया गया था कि पूरा रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी से सीलबंद लिफाफे में तलब किया जाए, जब यह पाया गया कि मामला स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी को हस्तांतरित किया गया था।खंड 91 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवा हरियाणा के महानिदेशक को भी इसी तरह का निर्देश दिया गया था, जैसा कि मामले में सीलबंद रिपोर्ट प्राप्त होने पर 20.10.2021 के ज़िमनी आदेश से स्पष्ट है।यह प्रस्तुत किया गया है कि पूरे रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विवादित आदेश के पैरा 8 में दर्ज किया था कि अदालत ने सहायक महाप्रबंधक, हार्ट्रॉन (प्रतिवादी संख्या 3 और 4) द्वारा दिनांक 22.07.2020 द्वारा दायर रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और उसके बाद, प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 3 और 4 से बदल दिया गया, जैसा कि आक्षेपित प्राथमिकी रिपोर्ट से स्पष्ट है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के बजाय

जो किसी उपयुक्त मामले में मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी रिपोर्ट के संबंध में पंजीकरण का निर्देश देने का अधिकार देता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खंड 91 Cr.P.C के तहत सम्मन जारी करके स्वयं जांच शुरू की थी और इस प्रकार, अध्याय XII Cr.P.C से अध्याय XV Cr.P.C में स्थानांतरित हो गया है. और ऐसा करने के बाद, खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन पर विचार करते समय प्राथमिकी आर. दर्ज करने के लिए

अध्याय XII के तहत शक्ति का कानूनी रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता था। उपरोक्त तर्क के संबंध में अध्याय XII और अध्याय XIV के तहत विभिन्न प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर किया गया है।

एस.के. सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी बनाम वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य [4], मोहम्मद यूसुफ बनाम अफाक जहां (एस. एम. टी.) और अन्य [5], रामदेव फूड्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य [6], माधव और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [7], सुप्रीम भिनोंदी वाडा मोनोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [8]।

(9) यह आगे बताया गया है कि संक्षिप्त उत्तर के साथ भी, प्रतिवादी नं. 2 संलग्नक आर 2/7 को संलग्न किया गया है, जो एक पुनरीक्षण याचिका है जिसे प्रतिवादी नं.2 विवादित आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह सत्र न्यायाधीश, पंचकूला के समक्ष लंबित रहेगा। उक्त संशोधन के आधारों के अवलोकन से पता चलेगा कि हालांकि, प्रतिवादी नं. 2 ने खुद को विहसल ब्लोअर के रूप में पेश किया है, लकिन तथ्य यह है कि एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद भी प्रतिवादी नं. 2 द्वारा विवादित आदेश को चुनौती देने की मांग की गई है। यह दर्शाता है कि पूरी कार्यवाही याचिकाकर्ताओं से धन निकालने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से शुरू की गई है।उक्त तर्क को पुष्ट करने के लिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की एकल पीठ द्वारा लिखित याचिका (सी. आर.) में पारित दिनांक 07.06.2021 के फैसले पर भरोसा किया गया है। जो 2020 की रिट याचिका (सी. आर.) नं. 678/2020 जिसका शीर्षक राजेश्वर है

शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

(10) ग्राउंड नं. 4:

याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि वर्तमान मामले में भले ही प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को अंकित मूल्य पर लिया जाए, फिर भी जालसाजी और धोखाधड़ी या भा.दं.सं. सी. की खंड 406 और 409 के तहत कोई अपराध नहीं किया जाता है।यह तर्क दिया गया है कि

[4]– 2008(2) एससीसी 492

[5]– 2006(1) एस. सी. सी. 627

[6]– 2015(6) एस. सी. सी. 439

[7]– 2013 (5) एस. सी. सी. 615

[8] – 2021 (8) एस. सी. सी. 753

जालसाजी के आरोप मुख्य रूप से अनुभव प्रमाण पत्रों का उल्लेख करके लगाए गए हैं जिन्हें खंड 156 (3) के तहत अनुलग्नक सी–9 और सी–10 के रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया है और यह प्रतिवादी संख्या 2 का मामला नहीं है या अभियोजन पक्ष का कि किसी भी सामग्री पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर उसी पर या खंड 464 के किसी भी तत्व पर जाली बनाए गए हैं जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में विस्तृत है। इब्राहिम का मामला (ऊपर) बनाया गया है और इस प्रकार, उक्त दस्तावेजों को भा.दं.सं. सी. की खंड 464 के अर्थ के भीतर एक गलत दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है, जो जालसाजी के अपराध का गठन करने के लिए एक आवश्यक घटक है।यह आगे तर्क दिया जाता है कि मोहम्मद इब्राहिम के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का शीला सेबेस्टियन के मामले (ऊपर) में पालन किया गया है।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि तुलनपत्र के संबंध में आरोप भी आत्यन्तिक रूप गलत और विकृत हैं क्योंकि तुलनपत्र के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि निविदा दस्तावेज/आर. एफ. पी. के अनुसार जिन शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है, वे विधिवत पूरी की गई हैं।आगे यह तर्क दिया गया है कि किसी भी तरह से, इस आशय का कोई आरोप नहीं है कि उक्त तुलनपत्र जाली या मनगढ़ंत हैं। यह आगे तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में, यहां तक कि प्राथमिकी में आरोपों

के अनुसार, विश्वास का कोई आपराधिक उल्लंघन नहीं है जैसा कि भा.दं.सं. सी. की खंड 405 के तहत परिभाषित किया गया है और न ही मामला भा.दं.सं. सी. की खंड 415 के तहत परिभाषित धोखाधड़ी के अर्थ में आएगा और इस प्रकार, भा.दं.सं. सी. की खंड 406,409 और 420 के तहत अपराध वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी सं 2 के मामले के अनुसार भी यह वह था जो पहले आरोपी नं.1–कंपनी के साथ कार्यरत था और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं का प्रश्न, जो प्रतिवादी सं 2 के मामले के अनुसार भी था, यदि नियोक्ता हैं, तो भा.दं.सं. सी. की खंड 409 के तहत अपराध करना उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यह केवल एक लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वास के मामले में लागू होगा।

(11) ग्राउंड नं.5:

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विवादित आदेश विकृत और अवैध है और इसे बिना किसी समझदारी के पारित किया गया है क्योंकि इसे अंतिम रिपोर्ट पर विचार किए बिना और अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार किए बिना भी पारित किया गया है।यह प्रस्तुत किया गया है कि सिफारिशों के अनुसार, एक समिति का गठन किया जाना था और उसके बाद, एक समिति का गठन किया गया था और उक्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि निविदा की प्रक्रिया में कोई भ्रष्ट कार्य नहीं हुआ था और न ही सरकारी खजाने को कोई नुकसान हुआ था और इसकी सिफारिश की गई थी

कि शिकायत दर्ज की जाए।यह आगे तर्क दिया गया है कि यह अंतरिम रिपोर्ट थी जिस पर विचार किया गया था न कि अंतिम रिपोर्ट जिसने आगे कोई कार्रवाई नहीं करने की सिफारिश की थी।

(12) ग्राउंड नं.6:

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता के पास सी.आर.पी.सी. की धारा 156 (3) के तहत वर्तमान आवेदन दाखिल करने में काफी देरी हुई है। चूंकि प्रतिवादी संखय 2 कथित अपराधों के संबंध में पूरी कथित घटना की जानकारी प्रतिवादी नं.2 01.10.2015 पर और फिर भी, वर्तमान आवेदन 27.08.2021 पर दायर किया गया है, यानी 5 साल और 9 महीने की देरी के बाद।यह प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आदेश को केवल विलंब के उक्त आधार पर ही दरकिनार किया जाना चाहिए।

(13) ग्राउंड नं.7:

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता के पास सी.आर.पी.सी. की धारा 156 (3) के तहत वर्तमान शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। सी.आर.पी.सी. की धारा 39 का संदर्भ दिया गया है यह तर्क देने के लिए उक्त धारा के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रतिवादी संख्या 2 के पास खण्ड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था. क्योंकि, प्राथमिकी रिपोर्ट में आरोप लगाए गए अपराधों में से कोई भी अपराध वे अपराध नहीं हैं जो खंड 39 Cr.P.C में विस्तृत किए गए हैं. जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को इस तरह के अपराध के लिए जानकारी देने का अधिकार है।एकमात्र अपराध जिसे किए जाने का आरोप लगाया गया है, जिसे उपरोक्त खंड 39 में शामिल किया गया है, वह भा.दं.सं. सी. 409 है, जिसे याचिकाकर्ताओं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, वर्तमान मामले में दूर से भी नहीं बनाया गया है।

(14) ग्राउंड नं.8:

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामला मंच खरीदारी का एक उत्कृष्ट मामला है, क्योंकि प्रतिवादी नं 2 पहले दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष लगातार शिकायतें दर्ज की हैं और याचिकाकर्ताओं से धन निकालने में विफल रहने और वांछित परिणाम नहीं मिलने के बाद, प्रतिवादी नं।2 अपना आधार हरियाणा राज्य में स्थानांतरित कर दिया, जहाँ भी, प्रतिवादी नं.2, जिन्हें अभिलेख कक्ष में भेज दिया गया है और फिर भी, खंड 156 (3) Cr.P.C के

तहत आवेदन सहित कई शिकायतों के तथ्य का खुलासा किए बिना, दिल्ली न्यायालयों में दायर किए जाने से पता चलेगा कि प्रतिवादी नं.2

मंच खरीदारी की प्रथा में शामिल है। जिसे सभी न्यायालयों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है और जिससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

प्रतिवादी सं 2 की ओर से तर्क

(15) श्री समीर सचदेव, अधिवक्ता श्री सारंश सहबरवाल, अधिवक्ता और श्री भानु कठपालिया, प्रतिवादी नं.2 के ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 39 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वर्तमान प्रतिवादी नं.2 वर्तमान शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है। यह तर्क दिया गया है कि उक्त प्रावधान में विशेष रूप से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी खंड के तहत दंडनीय अपराध करने के इरादे के बारे में जानता है, जो Cr.P.C की खंड 39 में विस्तृत है, वह ऐसे अपराध या इरादे के बारे में निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को जानकारी दे सकता है। यह बताया गया है कि खंड 39 (1) उपखंड (viii) के तहत खंड 409 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और प्रतिवादी नं.2 भा.दं.सं. सी. की खंड 409 के तहत अपराध का गठन करने के लिए भी आरोप लगाए गए हैं। यह आगे तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में हालांकि प्रतिवादी नं. 2 उसने सीधे एस. एच. ओ., पुलिस थाना सेक्टर 5, पंचकूला या संबंधित क्षेत्र के एस. एस. पी. को शिकायत प्रस्तुत नहीं की है, लेकिन पुलिस महानिदेशक के पास शिकायत दर्ज की है, जिसे आगे पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस आयुक्त को चिह्नित किया गया था, जिन्होंने इसे आगे आर्थिक अपराध शाखा के लिए चिह्नित किया था, जिसने इसे आगे ए. एस. आई. प्रकाश चंद को चिह्नित किया था, जो उक्त आर्थिक अपराध शाखा में अधिकारी थे और कहा कि अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 01.09.2020 प्रस्तुत की थी, जिसे विवादित

आदेश में विचार में लिया गया था और इस प्रकार, वकील के अनुसार, प्रियंका श्रीवास्तव के मामले में (सुप्रा) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन किया गया है।

।

(16) प्रतिवादी सं. 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता ने आगे जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एकल पीठ के एक फैसले का उल्लेख किया है जो सी. आर. एम. सी. नं.761/2017 का आइ.ए नं.01/2017 का शीर्षक "गुलाम" मोहि–उद–दीन बनाम जम्मू–कश्मीर राज्य ", ने 16.04.2021 पर निर्णय लिया जिसमें प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (उपरोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले पर विचार करने के बाद एकल न्यायाधीश ने कहा है कि यदि जांच एजेंसी को मामले में योग्यता मिली है, तो प्राथमिकी को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि मजिस्ट्रेट ने प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुमान का पालन नहीं किया है। खासकर जब अपराध अभियुक्त के खिलाफ स्थापित हो।

(17) उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी नं।2 वह एक बहुत ही सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखता है और उसने पहले कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की है और वर्तमान शिकायत उसके द्वारा एक व्हिसलब्लोअर के रूप में दर्ज की गई है और इस प्रकार, वह व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 के तहत उपलब्ध सुरक्षा का हकदार है।उन्होंने विशेष रूप से खंड 3 (सी) (डी) का उल्लेख किया है जिसमें "शिकायतकर्ता" और "प्रकटीकरण" की परिभाषा प्रदान की गई है।

(18) उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि हालांकि, पूरे मुद्दे के संबंध में लोकायुक्ता, हरियाणा के समक्ष कार्यवाही लंबित है, लेकिन हरियाणा लोकायुक्ता अधिनियम, 2002 की खंड 24 के अनुसार, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि अन्य उपायों को

केवल इस तथ्य के कारण प्रतिबंधित नहीं किया गया है कि उक्त अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही की स्थापना की गई है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान शिकायत को स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए, हालांकि, हरियाणा के लोकायुक्ता के समक्ष कार्यवाही अभी भी लंबित है।

(19) प्रतिवादी सं. के लिए विद्वान वकील।2, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इस तर्क का खंडन आदेश के लिए कि वर्तमान शिकायत दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दायर की गई है, केंद्रीय ब्यूरो ऑफ इंडिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

रविशंकर श्रीवास्तव, आई. ए. एस. और अन्य के बनाम जांच

9 के रूप में यह तर्क देने के लिए सूचित किया गया है कि सूचना देने वाले की दुर्भावना गौण महत्व की होगी और यह जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य है जो अभियुक्त व्यक्तियों के भाग्य का फैसला करता है।

(20) आगे मोसीरुद्दीन मुंशी बनाम Md.Siraj में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है और दूसरा, दाण्डिक अपीलीय सं।1168 2014 के अधिनियम ने यह तर्क देने के लिए 09.05.2014 पर निर्णय लिया कि उच्च न्यायालय को विशेष रूप से जांच के चरण के दौरान एक अति–तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।रिलायंस को बॉम्बे की पूर्ण पीठ के फैसले पर रखा गया है।

Mr.Panchabhai पोपटभाई बुटानिव्स में उच्च न्यायालय।महाराष्ट्र राज्य, आपराधिक रिट याचिका सं।270 2009 का निर्णय लिया गया कि

10.12.2009 यह तर्क देने के लिए कि हालांकि आम तौर पर किसी व्यक्ति को खंड 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति का सहारा लेने से पहले संहिता की खंड 154 के प्रावधानों का उपयोग करना चाहिए और हालांकि, ऐसी सूचना संहिता की खंड 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों के आह्वान के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त होगी, लेकिन ऐसे मामले हो सकते हैं जहां खंड 154 (3) के प्रावधानों का पालन न किया जाए।

9 (2006) 7 एस. सी. सी. 188 श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य

खंड 156 (3) के संदर्भ में मजिस्ट्रेट को उसकी अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं करता है। उन्होंने आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है

कप्तान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, दाण्डिक अपीलीय सं।787 2021 ने यह तर्क देने के लिए 13.08.2021 पर निर्णय लिया कि एक मामले में

जहां शिकायत में गंभीर विचारण योग्य आरोप हैं, खंड 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिकी आर. को रद्द करना अनुचित है। इसी पहलू पर, मैसर्स मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया गया है।

निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, दाण्डिक अपीलीय सं।330 2021 से।रिलायंस ने भी

साकिरी में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर रखा गया

वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, पर 10 के रूप में रिपोर्ट किया गया

उपरोक्त प्रस्ताव और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी

एच. डी. एफ. सी. प्रतिभूति लिमिटेड और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य में भारत का

&एन. आर., दाण्डिक अपीलीय सं।1213/2016 09.12.2016 पर निर्णय लिया। (21) मजिस्ट्रेट के अध्याय XII से अध्याय XV में स्थानांतरित होने के पहलू पर याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता दलीलों का खंडन आदेश के लिए, प्रतिवादी नं।2 बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख किया है जिसका शीर्षक है

चन्द्र शेखर जैसवाल और एक अन्य बनाम राज्य के रूप में

छत्तीसगढ़ और अन्य आपराधिक विविध मामलों में पारित हुए।याचिका सं।560 2016 के <ID2 पर यह तर्क देने का निर्णय लिया गया कि जहां शिकायतकर्ता ने Cr.P.C की

खंड 91/93 के तहत मूल रिकॉर्ड को बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित या स्थापित किए जा सकते थे और अदालत द्वारा उक्त आवेदन की स्वीकृति और खंड 91/93 Cr.P.C के तहत आवेदन को अनुमति देने के बाद एक प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देना वैध होगा और इस प्रकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल इसलिए कि मजिस्ट्रेट ने खंड 91 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग किया है. इसका मतलब यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट Cr.P.C के अध्याय XII से अध्याय XV में स्थानांतरित हो गया है। रिलायंस को आर. आर. चारी बनाम भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी रखा गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य, दाण्डिक अपीलीय सं।1 1950 में तय किया गया कि

19.03.1951, यह तर्क देने के लिए कि "संज्ञान" शब्द कुछ हद तक अनिश्चित महत्व का शब्द है और इसका उपयोग शायद हमेशा ठीक उसी अर्थ में नहीं किया जाता है और ऐसे मामले में जब मजिस्ट्रेट अपने दिमाग को इस अध्याय की बाद की खंड के तहत कार्यवाही करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई करने के लिए लागू करता है, जैसे कि आदेश देना।

10 (2008) 2 एससीसी 409 668

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

खंड 156 (3) के तहत जांच या जांच के उद्देश्य से तलाशी वारंट जारी करने के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपराध का संज्ञान लिया है।इसी तरह के पहलू पर, श्रीनिवास गुंडलुरी बनाम मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया गया है।

मेसर्स सेपको इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन।& या., Crl.A. नहीं।1377 2010 का निर्णय 30.07.2010 पर लिया गया।

(22) प्रतिवादी सं. के लिए विद्वान वकील।2 इसने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस प्रभाव से उठाई गई आपत्ति कि दूसरी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मल सिंह काहलों बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामले में 11 के रूप में रिपोर्ट की गई थी और उक्त निर्णय के आधार पर यह तर्क दिया गया है कि जहां बाद में यह पाया गया है कि साजिश में व्यापक प्रभावों के साथ एक बड़ा कैनवास था, जब पहले की साजिश के साथ तुलना की जाती है जो संकीर्ण आयामों के एक छोटे क्षेत्र को कवर करती है, तो षड्यंत्र जो दो मामलों का विषय वस्तु हैं, उन्हें समान नहीं कहा जा सकता है, हालांकि साजिश जो पहले मामले का विषय वस्तु है, शायद कहा जा सकता है कि साजिश का एक हिस्सा निकला है जो दूसरे मामले का विषय है।कपिल अग्रवाल और अन्य मामलों में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर और अधिक निर्भरता रखी गई है।

बनाम संजय शर्मा और अन्य, दाण्डिक अपीलीय सं।142 2021 का

आई. डी. 2 पर यह तर्क देने का निर्णय लिया गया कि खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत लंबित आवेदन का खुलासा न करने से आरोपी को किसी भी तरह से पूर्वाग्रह नहीं होता है और इस प्रकार, यह विवादित आदेश और बाद की प्राथमिकी आर. को रद्द करने/रद्द करने का आधार नहीं होना चाहिए।

(23) प्रतिवादी सं. के लिए विद्वान वकील।2 पंजाब राज्य बनाम में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है।

देविंदर पाल सिंह भुल्लर ने 12 के रूप में यह तर्क दिया कि जबकि

मामले की जांच करते विद्वान अधिवक्ता के लिए यह हमेशा खुला है कि वह मामले की जांच के लिए सी. बी. आई. को निर्देश दे और प्रतिवादी नं.2 प्रार्थना की है कि वर्तमान मामले में, उक्त निर्देश इस न्यायालय द्वारा दिया जाए।प्रतिवादी सं. के लिए विद्वान वकील।2 Dr.Subramanian में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है।

स्वामी बनाम Dr.Manmohan सिंह और एक अन्य, 13 के रूप में रिपोर्ट किया गया

तर्क दें कि ऐसे मामले में जहां उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है

11 2009 (1) एस. सी. सी. 441

12 2011(14) एससीसी 770

13 2012 (3) एस. सी. सी. 64 श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य

(विकास बहल, जे.)

तब लोक सेवकों को शिकायतकर्ता के अधिस्थिति क्षेत्र पर सवाल नहीं उठाना चाहिए।

(24) प्रतिवादी सं. के लिए विद्वान वकील।2 प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, भा.दं.सं. सी. की धारा 465,467,468,471,120–बी के तहत अपराध किए गए हैं, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों सी–9, सी–10 और सी–12 के नंगे अवलोकन से स्पष्ट है।(उक्त दस्तावेज संलग्नक आर 2/8 का एक हिस्सा हैं जिसे 09.03.2022 दिनांकित आदेश के माध्यम से रिकॉर्ड पर लिया गया है।प्रतिवादी सं. के लिए विद्वान वकील।2 उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि पहला प्रमाण पत्र यानी सी–9, ऑप्टम इंक द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में तीन इकाइयाँ हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली इकाई ऑप्टम इंक. है, जो अमेरिका स्थित इकाई है और दूसरी इकाई ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऑप्टम इंडिया) है, यानी याचिकाकर्ता, जो एक भारतीय कंपनी है।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि तीसरी इकाई यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "यूएचजीआईएस" के रूप में संदर्भित) है जो एक भारतीय इकाई भी है और जो निविदा बोली में सफल बोलीदाता थी।दस्तावेज़ सी–9 का उल्लेख करते हुए, यह रेखांकित किया गया है कि उक्त दस्तावेज़ ऑप्टम इंक द्वारा जारी किया गया है, जो एक अमेरिकी इकाई है और उक्त दस्तावेज़ में यह प्रमाणित किया गया है कि यूएचजीआईएस एक परियोजना को पूरा कर रहा है जो 2009 में शुरू हुई थी और चल रही है और उक्त प्रमाण पत्र में, जॉन सेंटेली (आरोपी–याचिकाकर्ता नं।6 सी. आर. एम.–एम. 6698/2022 में) का उल्लेख किया गया है और यह कहा गया है कि वह ऑप्टम इंक. में मुख्य सूचना अधिकारी हैं। यह तर्क दिया गया है कि जॉन सेंटेली कभी भी ऑप्टम इंक. के मुख्य सूचना अधिकारी नहीं

थे और वास्तव में, उक्त प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख जो 14.02.2014 पर बताया गया है, ने कहा कि जॉन सेंटेली यू. एच. जी. आई. एस. के कर्मचारी थे। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि परियोजना के शुरू होने की तारीख "2009 से" बताई गई है। दस्तावेज़ सी–10 से, इसी तरह के तथ्यों को इस अतिरिक्त कारक के साथ उजागर किया गया है कि जारी किए गए उक्त प्रमाण पत्र में, कार्य आदेश देने की तारीख वर्ष 2008 बताई गई है।यह तर्क दिया गया है कि दस्तावेज़ सी–12 के अवलोकन से पता चलता है कि ऑप्टम

निगमन "17.09.2009 पर स्थापित किया गया था" और इस प्रकार, प्रमाण पत्र

सी–9 और सी–10, जो ऑप्टम इंक. द्वारा जारी किए गए हैं, यह प्रमाणित करते हुए कि यूएचजीआईएस प्राइवेट लिमिटेड 2008–09 के बाद से काम कर रहा है, जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज हैं, जिन्हें निविदा प्राप्त आदेश के लिए बोली प्रक्रिया में जमा किया गया है।

(25) भा.दं.सं. सी. की खंड 409 के तहत अपराध के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नं.2 यू. एच. जी. आई. एस.–अभियुक्त 670 का कर्मचारी था

नहीं।1 और इस प्रकार, उसे अधिकारियों को आपराधिक भंग के बारे में सूचित करने का पूरा अधिकार था जो आरोपी नं।1.

प्रतिवादी द्वारा उठाई गई दलीलों के खंडन में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क सं।2

(26) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने खंडन में प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क नं।2 उस प्रभाव के लिए जो प्रतिवादी नहीं। 2 ने पुलिस महानिदेशक (पृष्ठ 508) के पास पूर्व शिकायत दर्ज करके प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित कानून का पालन किया था और जिसे आर्थिक अपराध शाखा को परिचालित किया गया था, यह सही नहीं है क्योंकि पुलिस महानिदेशक (अनुलग्नक पी–24) (पृष्ठ 508) को दी गई शिकायत से पता चलता है

कि उक्त शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की खंड 13 के तहत भी आरोप लगाया गया था और उसी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जबकि वर्तमान शिकायत में खंड 156 (3) के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की खंड 13 के संबंध में कोई आरोप नहीं है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की खंड 13 के तहत उक्त अपराध का उल्लेख नहीं करने का कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की खंड 13 से बाहर आना था।याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा है कि प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (ऊपर) में फैसले की बाबू वेंकटेश के मामले (ऊपर) और मोहम्मद के फैसले में पुष्टि की गई है। इब्राहिम के मामले (ऊपर) का शीला सेबेस्टियन के मामले (ऊपर) में पालन किया गया है।याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे उस ईमेल का उल्लेख किया है जिसमें मोनिका रान, जो मुख्य डेटा गवर्नेंस कार्यालय और ऑप्टम यूएस के लिए उप-सामान्य परिषद हैं, ने पुष्टि की है कि जॉन सेंटेली को 2014 में ऑप्टम इंक द्वारा नियुक्त किया गया था।याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि खंड 156 (3) के तहत आवेदन के अवलोकन से पता चलेगा कि राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण द्वारा दिनांकित 20.03.2017 द्वारा पारित आदेश का संदर्भ दिया गया है जिसे शिकायत के साथ C-2 के रूप में संलग्न किया गया है।यह तर्क दिया गया है कि न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका यूएचजीआईएस द्वारा दायर की गई थी जो उसमें स्थानान्तरण कंपनी थी और दूसरा पक्ष ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (ऑप्टम इंडिया) था, जो उसमें स्थानान्तरण कंपनी थी।इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पैरा 2 में यह कहा गया था कि यूएचजीआईएस को 22.07.2002 पर शामिल किया गया था और इस प्रकार, वर्ष 2008-09 की परियोजना से पहले अस्तित्व में था, जिसके बारे में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(27) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य को दोहराया है।

यह कि 22.07.2020 (अनुलग्नक पी–22) (पृष्ठ 487) की अंतरिम रिपोर्ट, जिस पर लर्नड सी. जे. एम. पंचकुला द्वारा भरोसा किया गया है, से पता चलेगा कि संजय सेठी और पुनीत बरार (उत्तरदाता संख्या 3 और 4) द्वारा छह सिफारिश संकेत दिए गए थे। अनुशंसा सं।6 यह बताने के लिए रेखांकित किया गया है कि यह सिफारिश की गई थी कि एक नई समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें एच. एस. एच. आर. सी. के सदस्य शामिल होंगे, जो पिछली समिति का हिस्सा नहीं थे और विभिन्न अन्य विभागों से।आई. डी. 1 (अनुलग्नक पी–23) अधिक दिनांकित अंतिम रिपोर्ट, अनुच्छेद 3,4,6 और 7 का और संदर्भ दिया गया है, ताकि इस बात पर प्रकाश डाला जा सके कि उक्त सिफारिश के अनुसरण में स्वास्थ्य विभाग आदि के विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था और इसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था और उक्त समिति की रिपोर्ट प्रभजोत सिंह आई. ए. एस., मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा द्वारा संकलित की गई थी, जो उक्त समिति के अध्यक्ष थे और 11 अन्य सदस्यों के साथ जिसमें वर्तमान प्रतिवादी नं.3 और 4 और हरकेश आनंद, आशा हुड्डा और रेणु पठानिया भी।दिनांक 1 की रिपोर्ट में टिप्पणियों के अनुसार, यह कहा गया था कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों और सभी सदस्यों (संयुक्त समिति के 12 सदस्यों) की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह तैयार किया गया था कि समिति बोली मूल्यांकन समिति की ओर से कोई चूक या कमीशन नहीं पा सकी और इसके बारे में विस्तृत कारकों का उल्लेख किया गया था।अंततः, पैराग्राफ 7 में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि शिकायतकर्ता के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे कि उसने समिति के 16 सदस्यों के भ्रष्ट होने या आपराधिक भंग करने या राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाने के अपने दावे को क्यों और कैसे उचित ठहराया।यह भी देखा गया कि याचिकाकर्ता कंपनी के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में उनके आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत या लाभ और हानि दस्तावेज के बैलेंस शीट के संबंध में संयुक्त समिति के वित्तीय और कानूनी विशेषज्ञों जैसे हरकेश आनंद सीए आशा हुड्डा सीएस, श्रीमती. रेणु पथानिया एल. ओ., जिनकी रिपोर्ट पर भी विचाराधीन रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय विचार किया गया था और अंततः यह कहा गया था कि शिकायत दर्ज की जानी चाहिए।

राज्य की ओर से तर्क

(28) विद्वान राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, शुरू में मामले को जांच के निर्णय की प्रतीक्षा आदेश के लिए रिकॉर्ड कक्ष में भेज दिया गया था और उसके बाद, प्रतिवादी नं।2 वर्तमान प्राथमिकी आर. दर्ज करने के लिए खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन दायर किया गया और उक्त आदेश पारित होने के बाद, 672

राज्य पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है और कानून के अनुसार इसकी जांच कर रहा है।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आदेश में, इस बारे में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिया गया है कि किस धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी है।यह भी तर्क दिया गया है कि राज्य के अधिकारियों के लिए पूरे पहलू को देखने और मूल्यांकन करने और यह देखने के लिए खुला छोड़ दिया गया है कि वर्तमान मामले में कौन से अपराध किए गए हैं और प्रार्थना की गई है कि वर्तमान याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए।

प्रतिवादी की ओर से तर्क नं।3 और 4

(29) उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील नं।3 और 4 ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी नं।3 और 4 वर्तमान मामले में मूल शिकायतकर्ता नहीं हैं और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला द्वारा पारित आदेश के आधार पर शिकायतकर्ता बनाए गए हैं और आगे प्रस्तुत किया है कि उन्होंने 22.07.2020 दिनांकित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें, कुछ टिप्पणियाँ और सिफारिशें प्रतिवादी नं।3 और 4.

निष्कर्ष

(30) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है और यह राय है कि दोनों वर्तमान याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए और विवादित आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए और निम्नलिखित आधारों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत प्राथमिकी आर. सहित बाद की सभी कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिएः

ग्राउंड नं. 1. 1:

प्रतिवादी सं. द्वारा दायर पहले के आवेदन को छिपाना।2 रोहिणी अदालतों, नई दिल्ली में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष खंड 156 (3) Cr.P.C और 200 Cr.P.C के तहत आरोपों के एक ही समूह और उससे उत्पन्न होने वाले आदेशों/कार्यवाही के तहत, जिसके परिणामस्वरूप दो प्राथमिकियां दर्ज की गईं, एक दिल्ली में और दूसरी पंचकूला में (आक्षेपित प्राथमिकी)।(पुनःःकृष्ण लाल चावला का मामला, TT

एंटनी का मामला, अमितभाई अनिल चंद्र शाह का मामला, राम धन का मामला

मामला) (पैरा 32 से 42)।

ग्राउंड नं. 1. 2:

खंडप्रतिवादी प्रतिवादी1 प्रतिवादी5 प्रतिवादी6 प्रतिवादी प्रतिवादी(प्रतिवादी3 प्रतिवादी)प्रतिवादी
प्रतिवादीC प्रतिवादीr प्रतिवादी.प्रतिवादीP प्रतिवादी.प्रतिवादीC प्रतिवादी
प्रतिवादीकप्रतिवादौीप्रतिवादी प्रतिवादीतप्रतिवादीहप्रतिवादीतप्रतिवादी
प्रतिवादीवप्रतिवादीरप्रतिवाद्प्रतिवादीतप्रतिवादीमप्रतिवादीाप्रतिवादीनप्रतिवादी
प्रतिवादीआप्रतिवादीवप्रतिवादौीप्रतिवादीदप्रतिवादीनप्रतिवादी
प्रतिवादीदप्रतिवादीाप्रतिवादीखप्रतिवादिीप्रतिवादीलप्रतिवादी
प्रतिवादीकप्रतिवादीरप्रतिवादीनप्रतिवादीाप्रतिवादी।प्रतिवादी2 एक दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ और स्कोर निपटाने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ है।(पुनःःबैजनाथ झा का मामला, भजन लाल का मामला और कुलदिप राज महाजन का मामला) (पैरा 32 से 42)।

ग्राउंड नं. 1. 3:

विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष लगातार शिकायतें दर्ज करना और खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन में इसका खुलासा न करना यह दिखाएगा कि प्रतिवादी नं.2 फोरम शॉपिंग में लिप्त रहा है और तथ्यों को दबा दिया है और इस प्रकार, कहावत "दमनकारी सत्य, अभिव्यक्ति फैसी" अर्थात, सत्य का दमन झूठ की अभिव्यक्ति के बराबर है, वर्तमान के तथ्यों की ओर आकर्षित होता है।

मामला।(पुनः:मोती लाल संगारा का मामला, कुलदिप राज महाजन का मामला, कृष्ण लाल चावला का मामला, राम धन का मामला) (पैरा 32 से 42)।

ग्राउंड नं.2:

भा.दं.सं. सी. की धारा 406,409,420,465,467,468,471 और 120–बी के तहत अपराध, जिनके तहत विवादित प्राथमिकी आर. दर्ज की गई है, वर्तमान मामले में नहीं बनाए गए हैं।मो. इब्राहिम का मामला और शीला सेबेस्टियन का मामला) (पारस 43 से 49)।

ग्राउंड नं.3:

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन न करना

प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (ऊपर) और बाबू वेंकटेश के मामले में अदालत

मामला (ऊपर)।(पैरा 50 से 56)।ग्राउंड नं. 4:

विवादित आदेश में दुर्बलताएँ/अवैधताएँ।(पैरा 57 से 62)।ग्राउंडनो।5:खंड के तहत वर्तमान आवेदन दाखिल करने में देरी

156(3) Cr.P.C. (पुनः:कृष्ण लाल चावला का मामला) (पैरा 63)।

ग्राउंड नं. 6:

याचिकाकर्ता–कंपनी के साथ निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली चार कंपनियों द्वारा निविदा कार्यवाही और याचिकाकर्ता–कंपनी के पक्ष में पुरस्कार के लिए गैर–चुनौती

(पैरा 64)।

ग्राउंड नं.7:प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत सं।2 हरियाणा के लोकायुक्ता के समक्ष आरोपों के उसी समूह पर, जिसमें प्राथमिकी आर. दर्ज करने के लिए भी अनुरोध किया गया है, जिसकी कार्यवाही इस प्रकार है –

लंबित है।(पैरा 65)।

ग्राउंड नं.8:खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन दायर करने के लिए शिकायतकर्ता के अधिस्थिति का अभाव। (संदर्भ। खंड 39

Cr.P.C.) (पैरा 66)।(31) प्रत्येक आधार के संबंध में विस्तृत निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

ग्राउंड एनओएस। 1. 1, 1. 2 और 1.3:

ग्राउंड नं. 1. 1:प्रतिवादी सं. द्वारा दायर पहले के आवेदन को छिपाना।2 रोहिणी अदालतों, नई दिल्ली में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष खंड 156 (3) Cr.P.C और 200 Cr.P.C के तहत आरोपों के एक ही समूह और उससे उत्पन्न होने वाले आदेशों/कार्यवाही के तहत, जिसके परिणामस्वरूप दो प्राथमिकियां दर्ज की गईं, एक दिल्ली में और दूसरी पंचकूला में (आक्षेपित प्राथमिकी)।

ग्राउंड नं. 1. 2:

खंडप्रतिवादी प्रतिवादी1 प्रतिवादी5 प्रतिवादी6 प्रतिवादी
प्रतिवादी(प्रतिवादी3 प्रतिवादी)प्रतिवादी
प्रतिवादीC प्रतिवादीr प्रतिवादी.प्रतिवादीP प्रतिवादी.प्रतिवादीC प्रतिवादी
प्रतिवादीकप्रतिवादीप्रतिवादी प्रतिवादीतप्रतिवादीहप्रतिवादीतप्रतिवादी
प्रतिवादीवप्रतिवादीरप्रतिवाद्प्रतिवादीतप्रतिवादीमप्रतिवादीप्रतिवादीनप्रतिवादी
प्रतिवादीआप्रतिवादीवप्रतिवादीप्रतिवादीदप्रतिवादीनप्रतिवादी
प्रतिवादीदप्रतिवादीप्रतिवादीखप्रतिवादीप्रतिवादीलप्रतिवादी

प्रतिवादीकप्रतिवादीरप्रतिवादीनप्रतिवादीप्रतिवादी।प्रतिवादी2 एक दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ और स्कोर निपटाने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ है।

ग्राउंड नं. 1. 3:

विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष लगातार शिकायतें दर्ज करना और खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन में इसका खुलासा न करना यह दिखाएगा कि प्रतिवादी नं.2 फोरम शॉपिंग में लिप्त रहा है और तथ्यों को दबा दिया है और इस प्रकार, कहावत "दमनकारी सत्य, अभिव्यक्ति फैसी" अर्थात, सत्य का दमन झूठ की अभिव्यक्ति के बराबर है, वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित होता है।

(32) निम्नलिखित कालानुक्रमिक घटनाएँ स्पष्ट रूप से

प्रदर्शित करें कि प्रतिवादी नं।2 उसने भौतिक तथ्यों को दबा दिया है और एक के बाद एक शिकायत दर्ज करके सक्रिय रूप से छिपाने और मंच पर खरीदारी करने में लिप्त हो गया है, जिसमें रोहिणी अदालतों, नई दिल्ली में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत पहले का आवेदन शामिल है, जिसमें प्रतिशोध लेने और याचिकाकर्ताओं से पैसे निकालने का दुर्भावनापूर्ण इरादा है क्योंकि उसे याचिकाकर्ता कंपनी, यानी ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (ऑप्टम इंडिया) से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, जिसे पहले यूएचजीआईएस के नाम से जाना जाता था:–

09.12.2013 पी–3 (पृष्ठ 104)

🎬 प्रतिवादी नं.2 ऑप्टम इंडिया (जिसे पहले यूएचजीआईएस के नाम से जाना जाता था) में निदेशक व्यवसाय विकास के रूप में नियुक्त किया गया था, याचिकाकर्ता नं।1 सी. आर. एम.–एम.–6698–2022 में कंपनी।

29.05.2016 पी–10 (पृष्ठ 378)

🎬 प्रतिवादी सं. द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र।2.यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि कंपनी को प्रतिवादी नं.2 कंपनी के विक्रेताओं की मिलीभगत से अवैध और गैरकानूनी

गतिविधियों में लिप्त होने के लिए और 08.04.2016 पर श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य की आंतरिक जांच और अवैध गतिविधियों के लिए

प्रतिवादी नं।2 यह सामने आया जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

01.06.2016 पी–11 (पृष्ठ 379)

🎬 प्रतिवादी सं. द्वारा भेजा गया कानूनी नोटिस।2 पेशेवर नुकसान, क्षति, मानसिक आघात और पीड़ा के कारण 15 दिनों की अवधि के भीतर कुल Rs.34,10,00,000 की राशि की मांग करना।

🎬 उक्त कानूनी नोटिस के पैरा 8 में, यह कहा गया था कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने एच. एस. एच. आर. सी. बोली जमा करने के समय जाली पूर्व–योग्यता दस्तावेज जमा किए थे।खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन में लगाए गए आरोप उक्त कानूनी नोटिस में भी लगाए गए थे और यह कहा गया था कि उक्त जानकारी प्रतिवादी नं.2 01.10.2015 पर, जब Mr.Sandeep खुराना (आरोपी संख्या 2) ने प्रतिवादी को सूचित किया था।2 उक्त बोली में याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई कथित अवैधताओं के बारे में।

05.09.2016 पी–12 (पृष्ठ 400)

🎬 शिकायत नं.1 साइबर अपराध प्रकोष्ठ, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में प्रतिवादी नं.2, जिसमें प्रतिवादी नं. 1 के व्यक्तिगत ई–मेल खाते की हैकिंग के संबंध में आरोप लगाए गए थे।2 और यह आगे आरोप लगाया गया कि 08.04.2016 पर, टिम ट्रूजिलो (याचिकाकर्ता नं।3 सी. आर. एम.–एम.–6698–2022) में, प्रतिवादी को ब्लैकमेल किया था और धमकी दी थी।2 बोली प्रक्रिया में कथित अवैधताओं का खुलासा नहीं करना, जो उन्होंने कथित रूप से संदीप खुराना (आरोपी संख्या 2) से सीखा था, जिसमें विफल रहने पर शिकायतकर्ता को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

21.02.2017 पी–14 (पृष्ठ 410)

🎬 शिकायत नं.2 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, रोहिणी, नई दिल्ली के समक्ष दायर किया गया, जिसमें, जैसा कि पैरा 5 (पृष्ठ 412) से स्पष्ट है, इस आशय के आरोप लगाए गए हैं कि वर्ष 2014 में, याचिकाकर्ता कंपनी ने अस्पताल सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी निविदा को सुरक्षित करने के लिए एक बोली में भाग लिया था और हालांकि कंपनी ने क्रम संख्या में उल्लिखित आवश्यक योग्यताओं को पूरा नहीं किया था।7 आर. एफ. पी. के खंड II के खंड 4.3 के तहत, फिर भी, कंपनी/उसके अधिकारियों ने अनुभव प्रमाण पत्र आदि जैसे झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज बनाकर निविदा प्रक्रिया में भाग लिया। उक्त शिकायत में अन्य आरोप भी लगाए गए थे।

23.05.2017 (पी–15) (पृष्ठ 418)

🎬 शिकायत सं. में की गई जांच।2 जिसमें कुछ याचिकाकर्ता जांच में शामिल हुए और यह पाया गया कि मामला नागरिक प्रकृति का है और शिकायत दर्ज की गई थी।

🎬 यहां तक कि शिकायत दिनांक 05.09.2016 (यानी, शिकायत सं।1) इसकी भी जांच की गई और मामले को 27.06.2017 (अनुलग्नक पी–15) (पृष्ठ 418) की रिपोर्ट के माध्यम से बंद कर दिया गया।

07.06.2017 (पी–17) पृष्ठ 421

🎬 खंड 156 (3) Cr.P.C (शिकायत संख्या 3) के तहत प्रतिवादी नं.2 मुख्य महानगर दंडाधिकारी, रोहिणी न्यायालय, नई दिल्ली के न्यायालय में।शिकायत 9 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिनमें से एक अज्ञात बताया गया था।याचिकाकर्ता नं.1 और याचिकाकर्ता नं।2, यानी, सी. आर. एम.–एम.–6692–2022 में मोनिशंकर हाजरा और समीर बंसल और याचिकाकर्ता नं.6 सी. आर. एम.–एम.–6698–2022 में जॉन सेंटेली को उक्त शिकायत/आवेदन में अभियुक्त व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत नहीं

किया गया था।🎬 पैरा नं.1 उक्त आवेदन से पता चलता है कि खंड 200 Cr.P.C के तहत साथ में दिए गए आवेदन को भी खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन के एक हिस्से के रूप में पढ़ने का अनुरोध किया गया था।

🎬 पृष्ठ 428 प्राथमिकी आर. दर्ज करने की प्रार्थना की गई थी।

🎬 पृष्ठ 436 पैरा 2 (v) से पता चलता है कि अस्पताल सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी निविदा को सुरक्षित आदेश के लिए कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज जैसे अनुभव प्रमाण पत्र आदि जमा आदेश के संबंध में आरोप लगाए गए हैं।क्रम संख्या में सूचीबद्ध शर्त का उल्लंघन करने के लिए इसका विशिष्ट संदर्भ दिया गया था।7 आर. एफ. पी. के खंड 4.3 खंड II का। एसोसिएशन के ज्ञापन में संशोधन के संबंध में भी आरोप लगाए गए थे।उक्त उप–पैरा (v) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"XXXXX

(v) कि शिकायतकर्ता को अपनी नौकरी के दौरान पता चला कि इन अधिकारियों ने वर्ष 2014 में अस्पताल सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी निविदा को सुरक्षित करने के लिए बी. आई. डी. में भाग लिया है।कंपनी के माध्यम से आर. एफ. पी. के Vol.II के खंड 4 की आदेश 7 में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यक योग्यता को पूरा नहीं किया गया, फिर भी कंपनी/इन अधिकारियों ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया और मेसर्स ऑप्टम इंक (13625, टेक्नोलॉजी ड्राइव, ईडन प्रेयरी, एम. एन., एम. आर. मोनिशंकर हाजरा द्वारा हरियाणा राज्य) के साथ मिलीभुगत में कमी को छिपाने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र आदि जैसे झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज बनाए।

यू. एस. ए.), जो और कुछ नहीं बल्कि मेसर्स यू. एच. जी. आई. एस. के साथ–साथ मेसर्स एडवांस केयर, प्रेस जोस, क्वेरर्स आई–44,1800–237 लिस्बोआ, पुर्तगाल

(एक अन्य सहयोगी संस्था) की होल्डिंग कंपनी है।जालसाजी और हेरफेर इस तथ्य से स्पष्ट है कि मेसर्स यूएचजीआईएस ने कभी भी वह काम नहीं किया जिसके लिए उसे अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए थे और न ही कंपनी अपने संगठन के ज्ञापन के अनुसार इन कार्यों को कर सकती थी (शिकायत के साथ पहले से ही प्रदान की गई और संलग्न)।इस प्रकार एच. आई. एस., हरियाणा 2014 की निविदा कंपनी के इन अधिकारियों द्वारा झूठे दस्तावेज बनाकर सुरक्षित कर ली गई।वास्तव में कंपनी ने निविदा प्राप्त करने के बाद अपने उद्देश्य खंड में ऊपर उल्लिखित उन सभी गतिविधियों को शामिल करने के लिए अपने एम. ओ. ए. में संशोधन किया, जो कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा की गई अवैधताओं और अनियमितताओं के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं।" उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 156 (3) के तहत वर्तमान शिकायत/आवेदन में लगाए गए आरोपों के समान आरोप लगाए गए थे।उक्त आवेदन के पैरा 4 में कहा गया था कि पूरी घटना दिल्ली न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में हुई थी।पैरा 4 (पृष्ठ 445) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"4. यह कि पूरी घटना इस माननीय न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में हुई थी, इसलिए इस माननीय न्यायालय को वर्तमान शिकायत पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए मूल क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र मिला है।"

खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन में अधिकार क्षेत्र को दिल्ली से पंचकुला, हरियाणा में बदल दिया गया है, जो उपरोक्त कथनों के विपरीत हैं।

18.08.2017 पी–18 (पृष्ठ 450)

🎬 प्राथमिकी आर. नं.419 पुलिस स्टेशन प्रशांत विहार, जिला रोहिणी में आई. टी. अधिनियम की खंड 66,66–सी के तहत पंजीकृत दिनांक 18.08.2017, रोहिणी अदालत दिल्ली के आदेशों के अनुसरण में Cr.P.C की खंड 156 (3) के तहत आवेदन पर पारित किया गया।

🎬 हालांकि, खंड 156 (3) के तहत आवेदन में अनुरोध खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान शिकायत में आरोप लगाए गए अपराधों सहित कई अपराधों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए था, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, रोहिणी कोर्ट, नई दिल्ली ने पाया कि प्रथमदृष्टया केवल आई. टी. अधिनियम के तहत अपराध किया गया था

(पृष्ठ 452) और तदनुसार, प्राथमिकी संख्या।419 उक्त आई. टी. अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था और भा.दं.सं. सी. के विभिन्न प्रावधानों के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।

🎬 खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत उक्त आवेदन या उस पर आदेश, खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन में प्रकट नहीं किए गए हैं।

🎬 प्रतिवादी नं. द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है।2 उक्त आदेश के अनुसार भा.दं.सं. सी. सहित सभी प्रावधानों के तहत प्राथमिकी, जैसा कि अनुरोध किया गया था, दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया गया था।

🎬 अगस्त 2019 में, उपरोक्त मामले में रद्द करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और ढाई साल के अंतराल के बावजूद, प्रतिवादी नं।2 और प्रतिवादी नं. को अंतिम अवसर दिया गया है।2 आपत्तियाँ दायर करना और मामला अभी भी लंबित है, उक्त रद्द करने की रिपोर्ट की स्वीकृति/अस्वीकृति के स्तर पर।

12.03.2019 पी–20 (पृष्ठ 471)

🎬 शिकायत नं.4 (1 दिल्ली में धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने में विफल रहने के बाद हरियाणा में दर्ज की गई पहली शिकायत) हरियाणा के राज्यपाल के समक्ष दर्ज की गई, जिसकी एक प्रति हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, लोकायुक्ता चंडीगढ़, अतिरिक्त मुख्य सचिव और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को दी गई।

🎬 इसकी प्रति न तो संबंधित पुलिस थाने के एस. एच. ओ. को दी गई और न ही संबंधित एस. एस. पी. को।

🎬 उक्त शिकायत में लगाए गए आरोप आदेश 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान शिकायत में लगाए गए आरोपों के समान थे, जिसमें यह आरोप भी शामिल था कि

याचिकाकर्ता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं थे और उनके पास आवश्यक अनुभव नहीं था और निविदा को सुरक्षित करने के लिए उनके पास जाली अनुभव प्रमाण पत्र थे।

18.12.2019 पी–27 (पृष्ठ 538)

🎬 प्रतिवादी सं. द्वारा दायर सीआरएम–एम–54124–2019।2 इसी तरह के आरोपों पर प्राथमिकी आर. दर्ज करने का निर्देश देने के लिए, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया क्योंकि उसमें याचिकाकर्ता के वकील (प्रतिवादी संख्या 2) ने कुछ समय तक बहस करने के बाद कहा था कि वह उक्त याचिका को वापस लेना चाहते हैं और संबंधित लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज करना चाहते हैं।

🎬 इस प्रकार, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश नहीं दिया।

23.01.2020 पी–21 (पृष्ठ 478)

🎬 प्रतिवादी नं.2 फिर शिकायत नं.5 हरियाणा के लोकायुक्त के समक्ष और उक्त शिकायत में सात याचिकाकर्ताओं के अलावा, निविदा को मंजूरी देने वाले 17 सरकारी अधिकारियों को भी पक्षकारों के रूप में रखा गया था।उक्त शिकायत में, भ्रष्टाचार के आरोपों सहित खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान शिकायत में लगाए जाने वाले सभी आरोप भी लगाए गए थे।प्राथमिकी आर. दर्ज करने के लिए मामले की जांच के लिए प्रार्थना की गई थी। उक्त मामले का प्रार्थना खंड नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि ऊपर उल्लिखित लोक सेवक के खिलाफ जांच की जाए और न्यायाधीश के हित में भ्रष्टाचार, आपराधिक भंग आदि के गंभीर संज्ञेय अपराध को करने और सरकारी खजाने को गलत और भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए कानून के सभी सक्षम प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय, यदि उचित समझे, तो मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (इसके बाद 'सी. बी. आई.' के रूप में संदर्भित) जैसी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को वर्तमान की जांच सौंप दे।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय संबंधित लोक सेवकों को हरियाणा राज्य में अस्पताल सूचना प्रणाली (एच. आई. एस.) के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 14.12.2013 के प्रस्ताव के अनुरोध के खिलाफ निविदा जारी करने और निविदा के आवंटन के संबंध में पूरा रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दे।

एसडी/–

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर (शरद कोठारी) "

उक्त शिकायत निश्चित रूप से हरियाणा के लोकायुक्त के समक्ष लंबित है।

08.03.2020

🎬 स्वास्थ्य विभाग, जिसे शिकायत लोकायुक्त द्वारा भेजी गई थी, ने उसी की जांच के लिए हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (HARTRON) को भेज दिया था।

22.07.2020 पी–22 (पृष्ठ 487)

🎬 हार्ट्रोन ने पूरे मामले पर विचार किया था और पृष्ठ 501 पर विस्तृत रूप से छह सिफारिशें करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।वही प्रतिवादी द्वारा तैयार किया गया था नहीं।3 और 4.उक्त सिफारिश के खंड 6 के अनुसार, यह प्रावधान किया गया था कि एच. एस. एच. आर. सी., एन. आई. एस. जी., स्वास्थ्य विभाग, एच. ए. आर. टी. ओ. एन., डी. आई. टी. ई. सी., आई. एस. एम. ओ. और एन. आई. सी. के सदस्यों सहित एक नई समिति का गठन किया जाना चाहिए।

🎬 पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 15.12.2021 के विवादित आदेश के माध्यम से प्रतिवादी द्वारा की गई अंतिम सिफारिशों पर विचार नहीं किया है।3 और 4.

12.01.2021 पी–23 (पृष्ठ 503)

🎬 डी. जी. एच. एस.–सह–सी. वी. ओ., स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा से पंजीयक, लोकायुक्ता, हरियाणा को पत्र, जिसमें प्रतिवादी द्वारा की गई सिफारिशें नं.3 और 4 को पैरा 3 और 4 (पृष्ठ 504) में देखा गया था।यह कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के मिशन निदेशक, आई. ए. एस. सिंह की अध्यक्षता में संयुक्त समिति 11 अन्य सदस्यों के साथ प्रतिवादी नं.3 और 4 का गठन किया जाए।उक्त समिति ने सभी 12 सदस्यों द्वारा दायर सभी दस्तावेजों और रिपोर्टों को देखने के बाद पाया कि समिति बोली मूल्यांकन समिति की ओर से कोई चूक या अपराध नहीं कर सकी और इसके द्वारा विस्तृत कारण दिए और यहां तक कि प्रमाण पत्र के झूठे और मनगढ़ंत होने के आरोपों के संबंध में या बैलेंस शीट और लाभ और हानि खातों के आरोपों के संबंध में यह देखा गया कि वित्तीय और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच की गई थी और यह पाया गया कि यह दिखाने के द्वारा पर्याप्त सबूत नहीं थे कि कोई भ्रष्ट या अवैध कार्य किया गया था या सरकारी खजाने को कोई नुकसान हुआ था और अंततः शिकायत दर्ज की गई थी।

🎬 दिनांकित 12.01.2021 की उक्त रिपोर्ट पर दिनांकित 15.12.2021 का विवादित आदेश पारित करते समय विचार नहीं किया गया है।, भले ही सीजेएम, पंचकुला ने पूरा रिकॉर्ड मांगा था, जैसा कि ज़िम्नी आदेशों से स्पष्ट है जो बाद के पैराग्राफ में पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

11.02.2020 पी–24 (पृष्ठ 508)

🎬 शिकायत नं.6 प्रतिवादी सं. द्वारा दाखिल किया गया।2 पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को, जिसमें धोखाधड़ी और जालसाजी और आपराधिक भंग के आरोपों के अलावा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की खंड 13 के तहत भी आरोप लगाए गए थे।

01.09.2020

🎬 इंस्पेक्टर राजीव द्वारा बनाई गई आर्थिक अपराध शाखा द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट, जिसे उन्होंने आगे के आदेशों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया था।

19.10.2020 (पी–30) (सीआरएम–एम–6692–2022 में सीआरएम–6761–2022 का पृष्ठ 34)

🎬 पुलिस आयुक्त पंचकुला ने पाया कि उप जिला अटॉर्नी से एक राय प्राप्त की गई थी और उनकी सलाह पर, चिकित्सा सेवा निगम के समक्ष दायर की गई इसी तरह की शिकायत में जांच चल रही थी और दूसरी शिकायत के परिणाम देखने के बाद ही आगे की कार्रवाई करना उचित समझा गया था और यह देखा गया था कि इसे लंबित रखने में कोई तर्क नहीं था और सिफारिश की गई थी कि इसे दायर किया जाए और रिकॉर्ड रूम में भेजा जाए।विवादित आदेश में, दिनांकित 01.09.2020 की अंतरिम रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है, लेकिन दिनांकित 19.10.2020 की अंतिम रिपोर्ट का नहीं।

26.07.2021 पी–26 (पृष्ठ 536)

🎬 प्रतिवादी सं. द्वारा दायर सीआरएम–एम–4551–2021।2 दिनांक 1 (पृष्ठ 32 के पैरा 37 में किए गए कथन) की शिकायत में उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन का निर्देश देने के अनुरोध के साथ और उक्त याचिका को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया, जैसा कि प्रतिवादी नं.2.

🎬 याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) ने दिनांकित 01.09.2020 की अंतरिम रिपोर्ट का उल्लेख आदेश के बाद आपराधिक शिकायत दर्ज आदेश के लिए मामले को वापस लेने की मांग की थी।

🎬 अंतिम रिपोर्ट दिनांक 19.10.2020 का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था।🎬 यहां तक कि 12.01.2021 (अनुलग्नक पी–23) (पृष्ठ 503) की रिपोर्ट को भी अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

🎬 किसी भी तरह से, समन्वय पीठ द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया था और मामले को केवल वापस लेने की अनुमति दी गई थी।

27.08.2021 (पी–28) (पृष्ठ 539)

🎬 खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान शिकायत/आवेदन। (शिकायत–7) प्रतिवादी सं।2 10 व्यक्तियों के खिलाफ, जिनमें से 9 अभियुक्त व्यक्तियों ने वर्तमान दो याचिकाएं दायर की हैं।

🎬 17 जो लोग सरकारी अधिकारी थे और जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, उन्हें खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन में पक्षकारों के रूप में नहीं रखा गया है।

🎬 उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था, हालांकि उन्हें लोकायुक्ता, हरियाणा के समक्ष दायर की गई शिकायत दिनांक 23.01.2020 (P–21) (पृष्ठ 478) में पक्षकार बनाया गया है।

🎬 ऐसा ही किया गया था क्योंकि प्रतिवादी नं।2 वे अच्छी तरह से जानते थे कि सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।🎬 सी. आर. एम.–एम.–6692 2022 में याचिकाकर्ताओं मोनिशंकर हजारा और समीर बंसल, जिन्हें कभी भी किसी भी शिकायत में या यहां तक कि रोहिणी अदालतों, दिल्ली में खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत कार्यवाही में प्रस्तावित आरोपी नहीं बनाया गया था, को आरोपी नं.9 और वर्तमान शिकायत में 10.

- खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान शिकायत में, रोहिणी अदालतों, नई दिल्ली के समक्ष खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत दायर पहले के आवेदन का कोई संदर्भ नहीं है, और न ही यह कहा गया है कि उक्त आवेदन में जालसाजी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के संबंध में इसी तरह के आरोप पहले ही लगाए जा चुके हैं और इसका छलपूर्वक केवल खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान शिकायत/आवेदन के प्राथमिकी 28 (पृष्ठ 547) में उल्लेख किया गया है।419/2017 आई. टी. अधिनियम की धारा 66,66–सी के तहत दर्ज किया गया था। तथ्य यह है कि रद्द करने की रिपोर्ट प्राथमिकी आर. नं.419/2017 उल्लेख नहीं किया गया है।

- दिनांकित 05.09.2016 शिकायत का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था (पी –12) (पृष्ठ 400) (शिकायत संख्या 1) या दिनांकित 21.02.2017 की शिकायत (पी – 14) (पृष्ठ 410) (शिकायत संख्या 2)।

- खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान शिकायत/आवेदन के पैराग्राफ 41 और 42 (पृष्ठ 551) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"41. कि इस प्रकार तैयार किए गए जाली दस्तावेज एच. एस. एच. आर. सी., सेक्टर 6, पंचकूला के कार्यालय में अधिकारियों के साथ मिलीभगत से प्रस्तुत किए गए हैं और गलत तरीके से अर्जित लाभ भी सेक्टर 2, पंचकूला में उक्त कार्यालय से जारी किए गए हैं, इसलिए इस माननीय न्यायालय के पास इस मामले पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

42. कि विवादित आदेशों के खिलाफ ऐसी या इसी तरह की कोई याचिका नहीं, श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य

683

(विकास बहल, जे.)

सिवाय इसके कि याचिका में जैसा उल्लेख किया गया है, इस माननीय न्यायालय या माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दायर किया गया है या लंबित है या निर्णय लिया गया है,

चंडीगढ़ या भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में।"

🎬 हालाँकि, प्राथमिकी आर. सं. की रद्द करने की रिपोर्ट के संबंध में कार्यवाही। 419/2017 लंबित हैं और अब 01.04.2022 के लिए सूचीबद्ध हैं, फिर भी उक्त कार्यवाही को छुपाया गया था।पंचकूला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में अभिकथन रोहिणी न्यायालय, दिल्ली (शिकायत–3) में दायर Cr.P.C की खंड 156 (3) के तहत पहले के आवेदन में किए गए अभिकथनों के पूरी तरह से विपरीत थे।

🎬 हालाँकि सरकारी अधिकारियों को वर्तमान शिकायत से बाहर रखा गया है, लेकिन फिर भी, वर्तमान शिकायत में यह प्रार्थना की गई है कि अन्य खंडओं के साथ भा.दं.सं. की खंड 409 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए।

🎬 वर्तमान शिकायत के पैरा 5 में, प्रतिवादी नं.2 कि वह सरकारी विभाग को प्रस्तुत किए गए किसी भी भौतिक दस्तावेज के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन उक्त अभिकथन दिनांकित 15.12.2021 के विवादित आदेश में की गई टिप्पणियों के विपरीत हैं, जिसके प्रभाव से प्रतिवादी नं।2 बोली की पूरी प्रक्रिया में भाग लिया था।

🎬 वर्तमान शिकायत दिनांक 27.08.2021 (शिकायत–7) 5 साल और 9 महीने से अधिक की देरी के बाद दायर की गई है, क्योंकि उक्त शिकायत के पैराग्राफ 39 के अनुसार, शिकायतकर्ता ने कथित अवैध कृत्यों और घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की थी।

15.12.2021 पी–1 (पृष्ठ 73)

प्राथमिकी आर. दर्ज करने का निर्देश देते हुए विवादित आदेश पारित किया गया।

23.12.2021 पी–2 (पृष्ठ 80)

प्राथमिकी आर. नं.508 उक्त आदेश के अनुसरण में पंचकूला के थाना सेक्टर 5 में भा.दं.सं. सी. की धारा 406,409,420,465,467,468,471 और 120–बी के तहत मामला दर्ज किया गया।

(33) घटनाओं का उपरोक्त कालक्रम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रतिवादी नं।2 कोर्ट के साथ लुका–छिपी का खेल खेला है।कई शिकायतों और उनकी जांच रिपोर्टों को

छिपाने के अलावा, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, रोहिणी अदालत, नई दिल्ली के न्यायालय में खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन भी दायर किया गया है।

छिपाया जाता है।पैरा 2 के उप पैरा (v), जिसे यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि रोहिणी अदालतों, नई दिल्ली के समक्ष खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत पहले की शिकायत में लगाए गए आरोप उन आरोपों के समान थे जो पंचकूला अदालतों, हरियाणा के समक्ष खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन में लगाए गए हैं।उक्त आवेदनों को सक्रिय रूप से छिपाने और वहां पारित आदेशों के कारण, दो प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, एक दिल्ली में और दूसरी पंचकूला में। पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को न तो प्रतिवादी नं.2 खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन दायर करने के बारे में और न ही यह अदालत के संज्ञान में लाया गया कि रोहिणी अदालतों, दिल्ली में खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत उक्त आवेदन में आरोप उन आरोपों के समान थे जो खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान शिकायत में लगाए गए हैं।

(34) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा बार–बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वाद हेतुक एक ही कारण के संबंध में दूसरी प्राथमिकी का पंजीकरण अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए और इसके अलावा, पहले के आवेदनों में अंतिम रिपोर्ट का खुलासा किए बिना लगातार आवेदन दायर करना और प्रतिशोध लेने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से आपराधिक कार्यवाही शुरू करना, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने के लिए वैध आधार होगा।उपरोक्त पहलुओं पर कुछ निर्णयों का उल्लेख नीचे किया जा रहा हैः

कृष्ण लाल चावला के मामले (ऊपर) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः–

"6. वास्तव में, उपकार सिंह के फैसले पर करीब से नज़र डालना हमें विपरीत निष्कर्ष पर ले जाता है।उसी घटना के संबंध में उसी शिकायतकर्ता द्वारा उसी आरोपी के

खिलाफ बाद की निजी शिकायत में किए गए भौतिक सुधारों के सवाल के संबंध में, उपकार सिंह के निम्नलिखित अंश का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है, जो टी. टी. एंटनी में होल्डिंग को और स्पष्ट करता हैः

"17......हमारी राय में, इस न्यायालय ने उस मामले में केवल यह अभिनिर्धारित किया कि एक ही शिकायतकर्ता या अन्य द्वारा एक ही अभियुक्त के खिलाफ कोई भी आगे की शिकायत, मामला दर्ज होने के बाद, संहिता के तहत निषिद्ध है क्योंकि इस संबंध में जांच पहले ही शुरू हो चुकी होगी और उसी अभियुक्त के खिलाफ आगे की शिकायत मूल शिकायत में उल्लिखित तथ्यों में सुधार के बराबर होगी, इसलिए श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य की खंड 162 के तहत निषिद्ध होगी।

685

(विकास बहल, जे.)

कोड "।(जोर दिया गया) यह उपकार सिंह में होल्डिंग का उपरोक्त हिस्सा है जो वर्तमान मामले पर सीधे और दृढ़ता से असर डालता है।

7. उपकार सिंह के मामले में इस अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसी शिकायतकर्ता द्वारा उसी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद कोई भी आगे की शिकायत, मूल शिकायत से सुधार मानी जाएगी।यद्यपि उपकार सिंह संज्ञेय अपराध से जुड़े मामले के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था, वही सिद्धांत तब भी लागू होगा जब कोई व्यक्ति गैर-संज्ञेय अपराध की जानकारी देता है और बाद में उसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ उसी अपराध के संबंध में एक निजी शिकायत दर्ज करता है।गैर-संज्ञेय मामले में भी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर, संज्ञेय मामले की तरह ही अपराध की जांच करने का अधिकार है।इसलिए, शिकायतकर्ता अभियुक्त को पुलिस द्वारा जाँच और मजिस्ट्रेट के समक्ष जाँच की दोहरी मार नहीं दे सकता है।

8. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए दायर एन. सी. आर. संख्या 158/2012 के अनुसार कोई जांच शुरू नहीं की गई थी।हालांकि, उपकार सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा व्यक्त

की गई समग्र चिंता, उसी पक्ष द्वारा लगातार शिकायतों के दुरुपयोग के बारे में, जहां दूसरी शिकायत को स्पष्ट रूप से पहले की शिकायत में भौतिक रूप से सुधार के लिए आगे बढ़ाया गया है, हमारे साथ प्रतिध्वनित होती है।हमें यह कहते हुए खेद है कि वही बात जो इस अदालत ने उपकार सिंह में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित की थी, वर्तमान मामले में हुई है।

9. इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति देने के गंभीर निहितार्थ को अमितभाई अनिलचंद्र शाह बनाम सी. बी. आई. और ए. एन. आर., (2013) 6 एस. सी. सी. 328 में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण के आलोक में बेहतर ढंग से समझा जा सकता हैः

"37.इस न्यायालय ने संहिता की व्याख्या करने वाले मुद्दे पर लगातार कानून निर्धारित किया है कि एक ही लेन–देन के दौरान किए गए अपराध या विभिन्न अपराधों के संबंध में दूसरी प्राथमिकी न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है।टी. टी. एंटनी [(2001) 6 एस. सी. सी. 181:2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1048], यह 686

अदालत ने स्पष्ट रूप से माना है कि दूसरी प्राथमिकी दर्ज करना (जो एक दूसरे के खिलाफ मामला नहीं है) संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।(जोर दिया गया)

10. संविधान का अनुच्छेद 21 इस बात की गारंटी देता है कि कानून की सम्यक प्रक्रिया के अलावा जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं खोया जाएगा।एक ही घटना के संबंध में एक ही पक्ष द्वारा कई शिकायतों को अनुमति देने से, चाहे वह एक संज्ञेय या निजी शिकायत अपराध हो, आरोपी को कई आपराधिक कार्यवाही में फंसाया जा सकता है।इस प्रकार, वह प्रत्येक मामले में आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और अदालतों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता और बहुमूल्य समय का समर्पण करने के लिए मजबूर होगा।जैसा कि इस न्यायालय ने अमितभाई अनिलचंद्र शाह (ऊपर) में कहा है, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की इस तरह की हास्यास्पद तर्क और शरारतपूर्ण

व्याख्या संवैधानिक जांच की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी, और इसलिए हम इसे नहीं अपना सकते।

11. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के अधिकारों पर इस तरह की क्रमिक प्राथमिकियों के प्रभावों को टी. टी. एंटनी (उपरोक्त) में आगे विस्तार से बताया गया है:

"27.संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत नागरिकों के मूल अधिकार और किसी संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए पुलिस की व्यापक शक्ति के बीच न्यायसंगत संतुलन अदालत द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए।ऐसा कोई विवाद नहीं हो सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 173 की उप–खंड (8) पुलिस को आगे की जांच करने, आगे के साक्ष्य (मौखिक और दस्तावेजी दोनों) प्राप्त करने और मजिस्ट्रेट को आगे की रिपोर्ट या रिपोर्ट भेजने का अधिकार देती है।नारंग मामले में [राम लाल नारंग बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1979) 2 एस. सी. सी. 322:1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 479] हालांकि, यह देखा गया कि अदालत की अनुमति से आगे की जांच करना उचित होगा।हालांकि, जांच की व्यापक शक्ति एक ही घटना के संबंध में हर बार एक नागरिक को पुलिस द्वारा नए सिरे से जांच के अधीन करने की गारंटी नहीं देती है, जो एक या अधिक संज्ञेय अपराध को जन्म देती है, जिसके परिणामस्वरूप दर्ज करने से पहले या बाद में लगातार प्राथमिकियां दर्ज की जाती हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट।(जोर दिया गया) "

12. इस प्रकार, इस न्यायालय पर यह दायित्व है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधों की जांच करने की शक्ति और राज्य की शक्ति द्वारा उस पर मजबूर किए गए तुच्छ और दोहराए जाने वाले आपराधिक अभियोजनों से मुक्त होने के व्यक्ति के

मौलिक अधिकार के बीच इस नाजुक संतुलन को बनाए रखे।यदि प्रतिवादी संख्या 2 अपने द्वारा दायर पहले के मामले में त्वरित जांच की कमी से व्यथित था, तो इस संबंध में पुलिस को निर्देश देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन करना उचित उपाय होता।पुलिस को सूचना देने की तारीख से छह साल के अंतराल के बाद, बिना किसी प्रस्तावना के एक निजी शिकायत दर्ज करना, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दुर्भावनापूर्ण है।

13. यह भी ध्यान दें महत्वपूर्ण है कि, उनके द्वारा शुरू किए गए नए शिकायत मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 ने जानबूझकर इस भौतिक तथ्य को दबा दिया है कि अपीलकर्ता संख्या 1 के बेटे द्वारा दायर एन. सी. आर. No.160/2012 (अपराध संख्या 283/2017) के अनुसार, उसी घटना के संबंध में उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ पहले से ही एक आरोप पत्र दायर किया गया था।नहीं।

इस आरोप पत्र का संदर्भ निजी शिकायत में या प्रतिवादी संख्या 2 और उसकी पत्नी द्वारा दायर खंड 200, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत दिए गए बयानों में पाया जाता है।वास्तव में, उनकी पत्नी की ओर से दायर निजी शिकायत और बयान दोनों में केवल यह कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया है कि उनके एन. सी. आर. No.158/2012 के अनुसार जांच चल रही है।पत्नी के बयान में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।यह वादी का परम कर्तव्य है कि वह इसका पूर्ण और सच्चा खुलासा करे।

तथ्य।यह एक तुच्छ कानून का मामला है, और फिर भी दोहराया जाता है, कि अदालत के समक्ष भौतिक तथ्यों का दमन अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, और इससे निपटा जाएगा।

भारी हाथ के साथ (राम धन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्न, (2012) 5 एस. सी. सी. 536; के. डी. शर्मा बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (2008) 12 एस. सी. सी. 481।"

XXX XXX XXX

24. जैसा कि ऊपर हमारे द्वारा दर्ज किया गया है, वर्तमान विवाद तुच्छ वादियों द्वारा अपने शरारती उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का एक विशिष्ट उदाहरण है।हमारे समक्ष मामले में मजिस्ट्रेट को 688 तक निजी शिकायत दर्ज करने में महत्वपूर्ण देरी के बारे में पता था

2022(1)

प्रतिवादीदुरुपयोग

आदेश 2 आदेश 5 आदेश.आदेश आदेश

26. वादकारीवादकारी

27.

खंड(

श्री मोनिशंकर हजरा बनाम हरियाणा राज्य

689

(विकास बहल, जे.)

29. 2020 की विविध याचिका संख्या 2561 में उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.09.2020 के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया है।

30. शिकायत मामले No.2943/2018 में कार्यवाही, जिसमें अपीलार्थियों के खिलाफ दिनांक 4.04.2019 के सम्मन देना का आदेश भी शामिल है, को रद्द कर दिया जाए।31. इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर एन. सी. आर. संख्या 158/2012 दिनांक 5.08.2012 के अनुसार कार्यवाही को भी रद्द आदेश दिया जाए, ताकि आगे की तुच्छ मुकदमेबाजी को रोका जा सके।

32. अपीलार्थियों द्वारा स्थापित एन. सी. आर. No.160/2012 (अपराध संख्या 283/2017) से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही सहित दिनांक 5.08.2012 की घटना के संबंध में उनके द्वारा शुरू किए गए किसी भी अन्य आपराधिक मामले को 9 साल पहले एक छोटी सी घटना से उत्पन्न होने वाली इन आपराधिक कार्यवाही को शांत करने के हित में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हमारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द कर दिया जाता है।

33. अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।"

उपरोक्त पुनर्निर्मित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि एक ही पक्ष द्वारा लगातार शिकायतें/एफ. आई. आर. दर्ज करने का कार्य, भौतिक सुधारों के साथ भी, अस्वीकार्य माना गया है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।यह देखा गया है कि एक ही घटना के संबंध में एक ही पक्ष द्वारा कई शिकायतों की अनुमति देने से, चाहे वह संज्ञेय हो या गैर-संज्ञेय अपराध, अभियुक्त को कई आपराधिक कार्यवाही में उलझने के लिए प्रेरित करेगा जो अदालतों और पुलिस का बहुमूल्य समय भी बर्बाद करेगा।यह भी देखा गया था कि यदि शिकायतकर्ता पहली प्राथमिकी आर./शिकायत में त्वरित जांच की कमी से व्यथित है, तो उसके बारे में आवश्यक उपाय किया जाना चाहिए और कई वर्षों के अंतराल के बाद शिकायत दर्ज करने से शिकायतकर्ता की ओर से दुर्भावना दिखाई देगी।उपर्युक्त मामले में भी, शिकायतकर्ता द्वारा दूसरी शिकायत दर्ज करने के समय उसमें भौतिक तथ्यों को छिपाया गया था।यह देखा गया कि सभी भौतिक तथ्यों का पूर्ण और सही खुलासा करना शिकायतकर्ता का बाध्यकारी कर्तव्य है और इसका खुलासा न करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इससे सख्ती से निपटा जाएगा।यह भी देखा गया कि खंड 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालयों के पास आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति है जो बड़ी देरी के बाद या प्रतिशोध के साथ या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से शुरू की गई है और यह कि 690

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

न्यायालय को गुमराह करके शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना उच्च न्यायालयों का संवैधानिक कर्तव्य है।तदनुसार, उस पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी ताकत से लागू होगा, क्योंकि दुर्भावनापूर्ण आचरण और सक्रिय रूप से छिपाने के कारण, प्रतिवादी नं।2 वाद हेतुक एक ही कारण पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज कराने में सफल रहा है।प्रतिवादी को उपलब्ध विधि में नियत मार्ग सं।2 खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत कार्यवाही में पारित आदेशों को चुनौती देना था. दिल्ली अदालत में मामले में, वह कुछ अपराधों या प्रतिवादी संख्या के तहत प्राथमिकी आर. के पंजीकरण न होने से असंतुष्ट था।2 दिल्ली में दर्ज की गई पहली प्राथमिकी आर. के संबंध में रद्द करने की कार्यवाही में आपत्तियां/विरोध याचिका दायर की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, प्रतिवादी नं.2 अब उसी घटना के संबंध में और इसी तरह के आरोपों पर खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत बाद में आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(35) माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी. टी. एंटनी के मामले (ऊपर) में निम्नलिखित टिप्पणी की है:–

"हालाँकि, जाँच की व्यापक शक्ति एक नागरिक को हर बार एक ही घटना के संबंध में पुलिस द्वारा नए सिरे से जाँच के अधीन करने की गारंटी नहीं देती है, जिससे एक या अधिक संज्ञेय अपराध को जन्म मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप खंड 173 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत अंतिम रिपोर्ट दर्ज करने से पहले या बाद में लगातार प्राथमिकियाँ दर्ज की जाती हैं। यह स्पष्ट रूप से खंड 154 और 156 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के दायरे से बाहर होगा, नहीं तो किसी मामले में जाँच की वैधानिक शक्ति के दुरुपयोग का मामला।हमारे विचार में दूसरी या लगातार प्राथमिकियों के आधार पर नए सिरे से जांच का मामला, जो एक ही लेन–देन के दौरान किए गए कथित या संबंधित संज्ञेय अपराध के संबंध में दायर किया गया है और जिसके संबंध में पहली प्राथमिकी के अनुसार या तो जांच चल रही है या खंड 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की खंड 482 के तहत या संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला हो सकता है।"

उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि यदि एक घटना के संबंध में पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, तो उसी घटना के संबंध में दूसरी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है और मामले में, वही श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य

तब उच्च न्यायालय खंड 482 Cr.P.C के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूसरी प्राथमिकी आर. को रद्द करने की अपनी शक्ति के भीतर होगा। माननीय सर्वोच्च ने भी इसी सिद्धांत का पालन किया है

अमितभाई अनिल चंद्र शाह के मामले में अदालत (ऊपर)।.

(36) "कुलदिप राज महाजन बनाम हुकुम चंद" मामले में इस अदालत की एक समन्वित पीठ ने दिनांक 05.12.2007 के एक फैसले में

2003 के सी. आर. एम.–34272–एम. में पारित किया गया था जो निम्नानुसार था:" यह इंगित करेगा कि प्रतिवादी ने, प्राथमिकी रद्द होने की जानकारी होने के बाद, विवादित शिकायत दर्ज की, लेकिन शिकायत में यह खुलासा नहीं किया कि उसके द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द कर दी गई थी।

XXX XXX XXX

विवादित समन आदेश (अनुलग्नक पी–2) के अवलोकन से पता चलता है कि समन आदेश में पुलिस की जांच रिपोर्ट/रद्द करने की रिपोर्ट का कोई संदर्भ नहीं है।पुलिस की जांच रिपोर्ट/रद्द करने की रिपोर्ट पर विचार किए बिना, विवादित समन आदेश को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा कानूनी रूप से पारित नहीं किया जा सकता था।प्रतिवादी, इसके बावजूद

जानकारी में, पुलिस की रद्द करने की रिपोर्ट को विद्वान मजिस्ट्रेट से छिपा दिया।यह प्रतिवादी की ओर से दुर्भावना का एक और संकेतक है।

XXX XXX XXX

हालाँकि, यह न्यायालय एक असहाय दर्शक नहीं हो सकता है जब यह बताया जाता है कि आपराधिक अभियोजन दुर्भावनापूर्ण है और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। वास्तव में, इस न्यायाधीशालय के पास किसी भी न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्निहित शक्ति और संबंधित कर्तव्य है।तत्काल मामले में, आक्षेपित शिकायत दुर्भावना का परिणाम है क्योंकि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के खिलाफ दुर्भावना रखता था जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

XXX XXX XXX

राजपत्रित अधिकारी द्वारा जाँच के बाद, उसी मामले में दर्ज प्राथमिकी झूठी पाई गई और पुलिस द्वारा रद्द करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।प्रतिवादी, रद्द करने की रिपोर्ट से अवगत होने के बावजूद, उसे विद्वान मजिस्ट्रेट से छिपा दिया।विवादित समन 692

रद्द करने की रिपोर्ट पर विचार किए बिना या उसका उल्लेख किए बिना भी आदेश पारित किया गया है।इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें इस न्यायाधीशालय को न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए विवादित शिकायत को रद्द करके और आदेश बुलाकर संहिता की खंड 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है।"

उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि यह देखा गया है कि उच्च न्यायाधीशालय एक असहाय दर्शक नहीं हो सकता है जब यह बताया जाता है कि आपराधिक अभियोजन दुर्भावनापूर्ण है और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और उच्च न्यायाधीशालय के पास अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा

न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्निहित शक्ति और संबंधित कर्तव्य है और उक्त मामले में, खंड 482 Cr.P.C के तहत याचिका की अनुमति दी गई थी।

(37) मोती लाल सोनगारा बनाम प्रेम प्रकाश @पप्पु 14 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः–

"2. हाथ में मामले का तथ्यात्मक अंक एक परिदृश्य को दर्शाता है और पहले प्रतिवादी की मानसिकता को दर्शाता है जो उचित रूप से इस कथन को आमंत्रित करेगा कि "अदालत एक प्रयोगशाला नहीं है जहाँ बच्चे खेलने आते हैं"।अभियुक्त की कार्रवाई –

प्रतिवादी उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें कोई व्यक्ति इस अवधारणा की कल्पना करता है कि वह कानून की अदालत में शतरंज का खेल खेलने का हकदार है और औचित्य, एक वादकारी से अपेक्षित मानदंड और तथ्यों के दमन के मुद्दों के लिए अदालतों की घृणा आसानी से हो सकती है।

किनारे पर रखा।ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की प्रवृत्ति ने उनके दिमाग में इस आधार पर सबसे अधिक वजन डाला था कि वह अपने लाभ के लिए तकनीकों की सहायता कर सकते हैं और कानून, अपने आवश्यक सार में, और न्यायाधीश अपने दिव्य गुणों के साथ, अनौपचारिक रूप से कब्र में दफनाया जा सकता है।

XXX XXX XXX

18. प्रस्तुतिकरण का दूसरा अंग यह है कि क्या प्राप्त करने वाले तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त–प्रतिवादी को आरोपमुक्त करने का आदेश कानून में उचित है।हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हालाँकि प्रतिवादी इस तथ्य के बारे में पूरी तरह से अवगत था कि उसके खिलाफ विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा आरोप बनाए गए थे, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया

14 2013(9) एस. सी. सी. 199 श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य

(विकास बहल, जे.)

आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण की सुनवाई करने वाले पुनरीक्षण न्यायालय को संज्ञान लेते हुए।यह एक स्पष्ट मामला है

दमन।यह अभियुक्त की विशेष जानकारी में था।कोई भी व्यक्ति जो कानून की अदालत में दमन के तरीके का सहारा लेता है, वास्तव में, अदालत के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, और मैक्सिम सप्रेसियो वेरी, अभिव्यक्ति फैसी, यानी सत्य का दमन झूठ की अभिव्यक्ति के बराबर है, आकर्षित हो जाता है।

XXX XXX XXX

19. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है, 2011 के आपराधिक संशोधन संख्या 327 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और 2009 के आपराधिक संशोधन संख्या 7 में विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, संख्या 1, जोधपुर द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि मुकदमा जो विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, संख्या 3, जोधपुर के समक्ष लंबित है, कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।

उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन वादियों/व्यक्तियों को कड़ी फटकार लगाई थी जो अदालत में तथ्यों को दबाने के दोषी हैं।उक्त मामले में, अभियुक्त ने खंड 319 Cr.P.C के तहत समन आदेश को चुनौती देते हुए, अदालत के संज्ञान में यह नहीं लाया था कि उसके खिलाफ आरोप बनाए गए थे और वह खंड 319 Cr.P.C के तहत आदेश प्राप्त करने में सफल रहा था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उलट दिया था।उक्त आदेश को पलटते समय, भौतिक तथ्य के दमन के संबंध में तथ्य को अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिक आधारों में से एक माना जाता था, और यह देखा गया कि जो कोई भी अदालत में जानकारी को दबाने के तरीके का सहारा लेता है, वह वास्तव में अदालत के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, और मैक्सिम सप्रेसियो वेरी, अभिव्यक्ति फैसी, यानी, सत्य का दमन झूठ की अभिव्यक्ति के बराबर है, वह आकर्षित हो जाता है।

(38) राम धन बनाम भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 15 ने विशेष रूप से पैराग्राफ में रखा है।

12 कि भौतिक तथ्यों का दमन और लगातार शिकायतें दायर करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।फैसले के पैराग्राफ 12 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"12. याचिकाकर्ता भौतिक तथ्य को दबाने का दोषी है।15 (2012) 5 एससीसी 536 694

मान लीजिए, अदालत के समक्ष लगातार याचिकाएं दायर करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।इस प्रकार, हम इस मुद्दे की आगे जांच करने के इच्छुक नहीं हैं।"

उपर्युक्त मामलों में निर्धारित कानून का अनुपात वर्तमान मामले में लागू होगा।

बैजनाथ झा बनाम भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय

सीता राम और एक अन्य, 16 ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः–

"8. पृष्ठभूमि से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शुरू की गई कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी, जो अस्पष्ट दावों पर आधारित थी और दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ शुरू की गई थी और सरासर गलत थी।

विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग।उच्च न्यायालय के समक्ष कोई कारण नहीं दिखाया गया कि शिकायतकर्ता ने आगे बढ़ने का विकल्प क्यों नहीं चुना और शुरू में चार व्यक्तियों में से एक का नाम लिया गया।हाथ में मामले भजन लाल के मामले (उपरोक्त) की श्रेणी (7) के साथ फिट बैठते हैं।

9. अपीलों की अनुमति दी जाती है और न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पटना शहर के न्यायालय में 1994 के शिकायत मामले संख्या 40 में कार्यवाही रद्द कर दी जाती है।"

उपरोक्त मामले में, शिकायतकर्ता द्वारा जमानत पर रिहा होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी व्यक्तियों और एक रविंदर कुमार सिंह ने शिकायतकर्ता से अवैध संतुष्टि की मांग की थी।न्यायिक

मजिस्ट्रेट ने इसका संज्ञान लिया था और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा इसे रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था।इसके बाद, शिकायतकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला दायर किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण आधार पर शुरू की गई थी और इस प्रकार, मामले को श्रेणी सं. 7 जैसा कि भजन लाल मामले में दर्शाया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाए गए कारकों में से एक यह था कि शिकायतकर्ता ने उन चार व्यक्तियों में से एक के खिलाफ आगे बढ़ने का विकल्प नहीं चुना था, जिन्हें शुरू में जोड़ा गया था।
प्रतिवादीवप्रतिवादीरप्रतिवाद्प्रतिवादीतप्रतिवादीमप्रतिवादीाप्रतिवादीनप्रतिवादी
प्रतिवादीमप्रतिवादीाप्रतिवादीमप्रतिवादीलप्रतिवादेप्रतिवादी
प्रतिवादीमप्रतिवादेप्रतिवादींप्रतिवादी, प्रतिवादी प्रतिवादी1 प्रतिवादी7 प्रतिवादी
प्रतिवादीसप्रतिवादीरप्रतिवादीकप्रतिवादीाप्रतिवादीरप्रतिवादीीप्रतिवादी
प्रतिवादीअप्रतिवादीधप्रतिवादिीप्रतिवादीकप्रतिवादीाप्रतिवादीरप्रतिवादीीप्रतिवादी, प्रतिवादी प्रतिवादीजप्रतिवादिीप्रतिवादीनप्रतिवादीकप्रतिवादेप्रतिवादी
प्रतिवादीखप्रतिवादिीप्रतिवादीलप्रतिवादीाप्रतिवादीफप्रतिवादी
प्रतिवादीवप्रतिवादिीप्रतिवादीभप्रतिवादिीप्रतिवादीनप्रतिवाद्प्रतिवादीनप्रतिवादी
प्रतिवादीशप्रतिवादिीप्रतिवादीकप्रतिवादीाप्रतिवादीयप्रतिवादीतप्रतिवादीाप्रतिवादींप्रतिवादी प्रतिवादीमप्रतिवादेप्रतिवादींप्रतिवादी
प्रतिवादीवप्रतिवादिीप्रतिवादीशप्रतिवादिीप्रतिवादीषप्रतिवाद्प्रतिवादीटप्रतिवादी
प्रतिवादीआप्रतिवादीरप्रतिवादीाप्रतिवादीपप्रतिवादी
प्रतिवादीलप्रतिवादीगप्रतिवादीाप्रतिवादीएप्रतिवादी प्रतिवादीगप्रतिवादीएप्रतिवादी
प्रतिवादीहप्रतिवादैप्रतिवादींप्रतिवादी, प्रतिवादी
प्रतिवादीजप्रतिवादिीप्रतिवादीनप्रतिवादीमप्रतिवादेप्रतिवादींप्रतिवादी
प्रतिवादीलप्रतिवादीाप्रतिवादीकप्रतिवादीाप्रतिवादीयप्रतिवादुप्रतिवादीकप्रतिवाद्प्रतिवादीतप्रतिवादीाप्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादेप्रतिवादी
प्रतिवादीसप्रतिवादीमप्रतिवादीकप्रतिवाद्प्रतिवादीषप्रतिवादी
प्रतिवादीशप्रतिवादिीप्रतिवादीकप्रतिवादीाप्रतिवादीयप्रतिवादीतप्रतिवादी
प्रतिवादीभप्रतिवादीीप्रतिवादी

प्रतिवादीशप्रतिवादीाप्रतिवादीमप्रतिवादिीप्रतिवादीलप्रतिवादी
प्रतिवादीहप्रतिवादैीप्रतिवादी प्रतिवादीऔप्रतिवादीरप्रतिवादी
प्रतिवादीजप्रतिवादीाप्रतिवादी खंडप्रतिवादी प्रतिवादी1 प्रतिवादी5 प्रतिवादी6 प्रतिवादी
प्रतिवादी(प्रतिवादी3 प्रतिवादी)प्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादेीप्रतिवादी
प्रतिवादीतप्रतिवादीहप्रतिवादीतप्रतिवादी
प्रतिवादीवप्रतिवादीरप्रतिवाद्प्रतिवादीतप्रतिवादीमप्रतिवादीाप्रतिवादीनप्रतिवादी
प्रतिवादीआप्रतिवादीवप्रतिवादेीप्रतिवादीदप्रतिवादीनप्रतिवादी
प्रतिवादीदप्रतिवादीाप्रतिवादीयप्रतिवादीरप्रतिवादी
प्रतिवादीकप्रतिवादीरप्रतिवादीनप्रतिवादेीप्रतिवादी प्रतिवादीसप्रतिवादेीप्रतिवादी
प्रतिवादीपप्रतिवादीहप्रतिवादीलप्रतिवादेीप्रतिवादी
प्रतिवादीदप्रतिवादीाप्रतिवादीयप्रतिवादीरप्रतिवादी
प्रतिवादीकप्रतिवादिीप्रतिवादीयप्रतिवादीाप्रतिवादी
प्रतिवादीगप्रतिवादीयप्रतिवादीाप्रतिवादी प्रतिवादीथप्रतिवादीाप्रतिवादी, प्रतिवादी
प्रतिवादीकप्रतिवादीाप्रतिवादी खंडप्रतिवादी प्रतिवादी1 प्रतिवादी5 प्रतिवादी6 प्रतिवादी
प्रतिवादी(प्रतिवादी3 प्रतिवादी)प्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादेीप्रतिवादी
प्रतिवादीतप्रतिवादीहप्रतिवादीतप्रतिवादी
प्रतिवादीवप्रतिवादीरप्रतिवाद्प्रतिवादीतप्रतिवादीमप्रतिवादीाप्रतिवादीनप्रतिवादी
प्रतिवादीआप्रतिवादीवप्रतिवादेीप्रतिवादीदप्रतिवादीनप्रतिवादी
प्रतिवादीमप्रतिवादेीप्रतिवादींप्रतिवादी
प्रतिवादीपप्रतिवाद्प्रतिवादीरप्रतिवादीसप्रतिवाद्प्रतिवादीतप्रतिवादीाप्रतिवादीवप्रतिवा
दिीप्रतिवादीतप्रतिवादी प्रतिवादीआप्रतिवादीरप्रतिवादीाप्रतिवादीपप्रतिवादीीप्रतिवादी
प्रतिवादीकप्रतिवादेीप्रतिवादी प्रतिवादीरप्रतिवादूीप्रतिवादीपप्रतिवादी
प्रतिवादीमप्रतिवादेीप्रतिवादींप्रतिवादी प्रतिवादीनप्रतिवादीहप्रतिवादीीप्रतिवादींप्रतिवादी
प्रतिवादीबप्रतिवादीनप्रतिवादीाप्रतिवादीयप्रतिवादीाप्रतिवादी
प्रतिवादीगप्रतिवादीयप्रतिवादीाप्रतिवादी प्रतिवादीथप्रतिवादीाप्रतिवादी।प्रतिवादी

2, यह न्यायालय 16 (2008) 8 एस. सी. सी. 77 श्री मोनिशंकर हज़र बनाम हरियाणा राज्य

अब प्रतिवादी नं. के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों पर विचार करना चाहेंगे। 2 यह मामला बनाने के लिए कि भले ही खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत पहले के आवेदन को छिपाया गया था और अन्य शिकायतों का भी खुलासा नहीं किया गया था या प्रतिवादी सं. 2 दुर्भावनापूर्ण थे, तो भी, उच्च न्यायालय को प्राथमिकी को रद्द करने के लिए खंड 482 Cr.P.C के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहला निर्णय जिस पर प्रत्यर्थी सं. के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है।2 यह कपिल अग्रवाल के मामले (ऊपर) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। माननीय उच्चतम न्यायालय का उक्त निर्णय याचिकाकर्ताओं के मामले को आगे बढ़ाएगा, न कि प्रतिवादी नं।2.उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:–

"2017 की आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 18308 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है, ताकि भा.दं.सं. सी. की धारा <आई. डी. 2, पुलिस स्टेशन लोनी बॉर्डर, जिला गाजियाबाद के तहत 2017 की मामला अपराध संख्या 790 के रूप में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जा सके, मूल याचिकाकर्ताओं/अभियुक्तों ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

XXX XXX XXX

6. हालाँकि, उसी समय, यदि यह पाया जाता है कि बाद की प्राथमिकी कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और/या इसे केवल अभियुक्त को परेशान करने के लिए दर्ज किया गया है, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए या खंड 482 Cr.P.C, 1973 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द किया जा सकता है। उस मामले में, शिकायत का मामला Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगा। जैसा कि इस न्यायालय ने निर्णयों के कैटेना में देखा और अभिनिर्धारित किया है, खंड 482 Cr.P.C, 1973 और/या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निहित अधिकार क्षेत्र को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है कि आपराधिक

कार्यवाही को उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आपराधिक कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या यह अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त पर दबाव डालने के बराबर है, तो ऐसे 696

कार्यवाही रद्द की जा सकती है।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा परबतभाई अहीर बनाम के मामले में अभिनिर्धारित किया गया था।गुजरात राज्य (2017) 9 एस. सी. सी. 64, धारा 482 Cr.P.C, 1973 को एक ओवरराइडिंग प्रावधान के साथ प्रस्तुत किया गया है।अधिनियम उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को बचाता है, एक उच्च न्यायालय के रूप में, ऐसे आदेश देने के लिए जो आवश्यक हैं।

((i) किसी भी न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) अन्यथा न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।यही शक्तियाँ उच्च न्यायालय के पास भी हैं, जब वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करता है।

XXX XXX XXX

... .इसलिए, जब विवादित प्राथमिकी आर. कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और अपीलकर्ताओं–अभियुक्तों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं है, तो हमारी राय है कि उच्च न्यायाधीशालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था।

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति है।आई. पी. सी. की धारा 420/406 के तहत 2017 की मामला अपराध संख्या 790 के रूप में दर्ज की गई विवादित आपराधिक कार्यवाही/एफ. आई. आर. को लोनी बॉर्डर, जिला गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में रद्द कर दिया जाता है और उपरोक्त आधारों पर अलग कर दिया जाता है।हम बनाते हैं।

स्पष्ट करें कि हमने प्रतिवादी सं. द्वारा लगाए गए आरोपों पर गुण–दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है।1 अपीलार्थियों के विरुद्ध 156 (3) Cr.P.C आवेदन के रूप में कार्यवाही विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है।विद्वान मजिस्ट्रेट अब कानून के अनुसार और अपने गुण–दोष के आधार पर उक्त आवेदन के साथ आगे बढ़ेगा।प्रतिवादी संख्या 1 उक्त कार्यवाही के साथ आगे बढ़ सकता है, यदि वह ऐसा चाहता है और उसे सलाह दी जाती है।

10. इन टिप्पणियों के साथ, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है।" उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त मामले में शुरू में शिकायतकर्ता द्वारा खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था और उक्त आवेदन को खंड 200 के तहत एक शिकायत के रूप में माना गया था, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण दायर करके उसमें चुनौती दी गई थी और आपराधिक पुनरीक्षण में, मजिस्ट्रेट के आदेश को श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य को दरकिनार कर दिया गया था।

और मामले को वापस भेज दिया गया और उक्त शिकायत को रिमांड के बाद लंबित बताया गया।शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसे आरोपी द्वारा चुनौती देने की मांग की गई।माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्राथमिकी आर. को रद्द करने से इनकार कर दिया। उक्त आदेश के खिलाफ, उसमें अभियुक्त ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए प्राथमिकी को रद्द कर दिया कि दूसरी प्राथमिकी दर्ज करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।इस प्रकार, उक्त निर्णय प्रतिवादी सं।2.प्रतिवादी सं. के लिए विद्वान अधिवक्ता। 2 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई इस टिप्पणी का लाभ उठाना चाहता है कि खंड 156 (3) के तहत लंबित आवेदन प्राथमिकी दर्ज करने के रास्ते में नहीं आएगा। उक्त अवलोकन वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि वर्तमान मामले में खंड 156 (3)

के तहत पहला आवेदन लंबित नहीं है और आदेश पहले ही पारित किए जा चुके हैं और उक्त आदेश के अनुसरण में प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है।इसके अलावा, खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत पहला आवेदन दिल्ली में दायर किया गया था और पहली प्राथमिकी भी दिल्ली में दर्ज की गई है, जबकि खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान दूसरा आवेदन पंचकूला अदालतों में दायर किया गया है और पंचकूला में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस विद्वान अधिवक्ता नं.2 उपर्युक्त निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा।

(40) दूसरा निर्णय प्रतिवादी नं. के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया।2 यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है

केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में (ऊपर)।यह तर्क दिया जाता है कि

उक्त निर्णय में यह देखा गया है कि सूचना देने वाले का दुर्भावनापूर्ण होना गौण महत्व का होगा।उक्त मामले में, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि आरोपी द्वारा खंड 482 Cr.P.C के तहत दायर याचिका की अनुमति दी गई थी और आरोपी के खिलाफ भा.दं.सं. की खंड 120–बी, 167,168,177 ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की खंड 13 (2) और 13 (1) के तहत दर्ज प्राथमिकी को पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के आधार पर रद्द कर दिया गया था।उच्च न्यायालय ने एक दस्तावेज के आधार पर अधिकार क्षेत्र के आधार को वैध पाया था जिसे गलत तरीके से एक अधिसूचना माना गया था जो पहले की अधिसूचना को रद्द करती थी।माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि पहले की अधिसूचना को रद्द करने वाली कोई अधिसूचना नहीं थी और जिस पत्र पर उच्च न्यायालय द्वारा जोर दिया गया था, वह प्रासंगिक नहीं था और उक्त पत्र एक अधिसूचना भी नहीं था और इस प्रकार, उच्च न्यायालय का यह मानना उचित नहीं था कि पहले की अधिसूचना को रद्द करने वाली अधिसूचना थी।उक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से पूरी तरह से अलग थे।

इसके अलावा, वर्तमान याचिका में उठाई गई कानूनी दलीलें जिसमें खंड 156 (3) के तहत पहले आवेदन दायर करने का तर्क और उस पर आदेश, पहले की शिकायतें और उसे छिपाना, प्रतिवादी नं।2 अभियुक्त सं. का पूर्व कर्मचारी होना।1–कानूनी नोटिस द्वारा से धन की मांग करने वाली कंपनी, प्राथमिकी में उल्लिखित अपराधों को प्रथमदृष्टया नहीं बनाया जा रहा है (जैसा कि इसके बाद चर्चा की जाएगी), मंच खरीदारी आदि, उपरोक्त निर्णय में उठाए गए मुद्दे नहीं थे।इसके अलावा, किसी भी तरह से यह देखा गया है कि दुर्भावना का गौण महत्व है, और इस प्रकार, इसे अप्रासंगिक नहीं माना गया है।(41) तीसरा निर्णय जिस पर प्रतिवादी नं. के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्भरता रखी गई है।2 निर्मल सिंह काहलों के मामले (ऊपर) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है।उक्त निर्णय के आधार पर यह तर्क दिया गया है कि दूसरी प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।उक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि उक्त मामले में पंचायत सचिव की भर्ती के संबंध में एक बड़ा घोटाला हुआ था।सतर्कता विभाग द्वारा निर्मल सिंह काहलों सहित कुछ व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भा.दं.सं. के कुछ प्रावधानों के तहत अपराध करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। स्वप्रेरणा बाद, पंजाब सरकार के सचिव ने एक पत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि मामले की जांच अपराध शाखा द्वारा की जाए और जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष आया, तो उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार के पास स्वतः संज्ञान लेते हुए उन सभी अधिकारियों को संबंधित कार्यालयों से हटा कर आगे की जांच करने का विकल्प था, जिनके नाम रिपोर्ट में शामिल किए गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगे की जांच उनसे प्रभावित न हो या पंचायत सचिव की नियुक्ति से जुड़े पूरे घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने दिया जाए। उक्त आदेश के पारित होने के बाद, राज्य सरकार ने एक बयान दिया कि घोटाले के संबंध में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय लिया गया है।हालांकि, केंद्रीय जांच ब्यूरो शुरू में मामले को अपने हाथ में लेने के लिए इच्छुक नहीं था, लेकिन अंततः उच्च न्यायालय को सूचित किया कि मामले की जांच के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया था और उसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक प्राथमिकी दर्ज की। जब मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, तो उक्त निर्णय के पैराग्राफ 32 में यह देखा गया कि वाद हेतुक एक ही कारण के आधार पर दो प्राथमिकियां कायम

नहीं की जा सकती हैं और पैराग्राफ 36 में यह कहा गया था कि आम तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को इस प्रभाव से स्वीकार कर लिया होगा कि उच्च न्यायालय को केंद्रीय जांच ब्यूरो को किसी विशेष अपराध की जांच करने का निर्देश नहीं देना चाहिए, लेकिन क्योंकि अपराध प्रकृति में सामान्य नहीं था और यह श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य था।

इसमें व्यवस्थित तरीके से धोखाधड़ी करने के आरोपों की जांच शामिल थी और राज्य के एक पूर्व मंत्री के रूप में इसके व्यापक प्रभाव थे।इस प्रकार, उक्त मामले को एक असाधारण मामले के रूप में लिया गया था।पैराग्राफ 44 और 46 में आगे यह देखा गया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी, यानी विस्तृत प्रारंभिक जांच के बाद दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई थी और बड़ी संख्या में व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए थे और उक्त चयन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न व्यक्तियों द्वारा की गई अनियमितताओं की 15 श्रेणियां थीं जिनमें बहुत उच्च पदों पर बैठे कई व्यक्ति भी शामिल थे।यह देखा गया कि पंजाब राज्य में दर्ज की गई पहली प्राथमिकी में केवल व्यक्तियों के कुकर्म शामिल थे।उक्त निर्णय के पैरा 48, 49 और 50 में आगे यह देखा गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो विकल्प दिए थे और राज्य सरकार ने घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय लिया था और एक या दो व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध सबसे निचली श्रेणी से लेकर उच्चतम श्रेणी तक की बड़ी संख्या में अधिकारियों से जुड़े घोटाले में सामने आए अपराध से अलग हैं।यह उक्त पृष्ठभूमि में है कि अपीलों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।वर्तमान मामले में, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बड़े पैमाने पर किसी भी घोटाले के संबंध में दूसरी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।उच्च न्यायालय का राज्य को कोई विकल्प देने वाला कोई आदेश नहीं है जैसा कि उपरोक्त मामले में दिया गया था और न ही राज्य की ओर से मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का कोई बयान है।यहां तक कि रोहिणी अदालतों, दिल्ली के समक्ष खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन सहित पहले की शिकायतों में लगाए गए आरोप भी पंचकूला अदालतों, हरियाणा के समक्ष खंड 156

(3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन में किए गए आरोपों के समान हैं और इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय प्रतिवादी नं.2.

(42) ग्राउंड नं.2:वर्तमान मामले में प्राथमिकी सी. की धारा 406,409,420,465,467,468,471 और 120–बी के तहत अपराध दर्ज नहीं किए गए हैं।

वर्तमान मामले के तथ्यों ध्यान दें देने से पहले, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों ध्यान दें देना प्रासंगिक है।पहला फैसला एम. डी है। इब्राहिम का मामला (ऊपर)।उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"2. इसमें दूसरे प्रतिवादी ने अपीलकर्ता 1 से 3 (अभियुक्त 1 से 3) और दो अन्य के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मधुबानी के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह 700 वर्ष का है।

कथा नं. के मालिक। 715 खसरा नं. 1971 और 1973 में 1 बीघा, 5 कथा और 18 धुर को मापते हुए; कि पहले आरोपी, जिसका उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं था और जिसका कोई अधिकार नहीं था, ने उक्त भूमि माप के एक हिस्से के संबंध में दूसरे आरोपी के पक्ष में दो पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किए थे–8 खत और 13 धुर; और कि तीसरा, चौथा और पांचवां आरोपी, जो बिक्री विलेख के संबंध में क्रमशः गवाह, लेखक और स्टाम्प विक्रेता था, ने उक्त दस्तावेजों को जाली बनाने के लिए आरोपी 1 और 2 के साथ साजिश रची थी; और जब उसने उक्त जालसाजी के बारे में आरोपी 1 और 2 का सामना किया, तो उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे मुट्ठी से मारा और कहा कि वह जो चाहता है वह कर सकता है, लेकिन उन्हें कब्जा मिल जाएगा।

3. विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की खंड 323,341,420,467,471 और 504 (संक्षेप में, 'संहिता') के तहत अपराधों का

संज्ञान लिया और शिकायत को दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 156 (3) (संक्षेप में, 'दंड प्रक्रिया संहिता') के तहत जांच के लिए भेजा।इसके आधार पर पंडौल पुलिस स्टेशन में 10.10.2003 पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।जाँच के बाद, 4.9.2004 पर एक आरोप पत्र दाखिल किया गया।

XXX XXX XXX

7. इस न्यायालय ने बार–बार शिकायतकर्ताओं की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया है जो अनिवार्य रूप से और विशुद्ध रूप से नागरिक प्रकृति के मामलों को आपराधिक अपराध का आवरण देने का प्रयास करते हैं, जाहिर है कि या तो अभियुक्त पर दबाव डालने के लिए, या अभियुक्त के प्रति शत्रुता से, या अभियुक्त को उत्पीड़न के अधीन करने के लिए।आपराधिक अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके समक्ष की कार्यवाही का उपयोग मामलों के निपटारे या दीवानी विवादों को निपटाने के लिए पक्षों पर दबाव बनाने के लिए नहीं किया जाता है।लेकिन साथ ही, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नागरिक प्रकृति के कई विवादों में आपराधिक अपराधों के तत्व भी शामिल हो सकते हैं और यदि ऐसा है, तो उन पर आपराधिक अपराध के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, भले ही वे नागरिक विवादों के समान ही क्यों न हों। [देखिएःजी. सागर सूरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2000 (1) आर. सी. आर. (आपराधिक) 707:[2000(2) एस. सी. सी. 636] और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड, 2006 (3) आर. सी. आर. (आपराधिक) 740:2006(2) शीर्ष आपराधिक 637:[2006(6) एससीसी 736]।

आइए हम श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करें।

701

(विकास बहल, जे.)

मन में सिद्धांत कहा।

दंड संहिता की धारा 467 और 471

8. आइए पहले इस बात पर विचार करें कि क्या शिकायत के कथनों को सच मानते हुए भी दंड संहिता की खंड 467 या खंड 471 के तहत दंडनीय अपराधों के तत्व हैं।

खंड 467 (जहाँ तक यह इस मामले के लिए प्रासंगिक है) में प्रावधान है कि जो कोई भी एक दस्तावेज बनाता है जो एक मूल्यवान प्रतिभूति होने का तात्पर्य रखता है, उसे आजीवन कारावास या किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक खंड 471 में यह प्रावधान है कि जो कोई भी धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी भी दस्तावेज का असली के रूप में उपयोग करता है जिसे वह जानता है या जिसे जाली दस्तावेज मानने का कारण है, उसे उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे दस्तावेज को जाली बनाया था।खंड 470 जाली दस्तावेज़ को जालसाजी द्वारा बनाए गए झूठे दस्तावेज़ के रूप में परिभाषित करती है।

9. इन दोनों खंडओं में प्रयुक्त "जालसाजी" शब्द को खंड 463 में परिभाषित किया गया है।जो कोई भी जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुँचाने के इरादे से, या किसी भी दावे या अधिकार का समर्थन करने के लिए, या किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के लिए, या स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, या धोखाधड़ी करने के इरादे से या कि धोखाधड़ी की जा सकती है, कोई भी झूठा दस्तावेज बनाता है, वह जालसाजी करता है।खंड 464 "गलत दस्तावेज़ बनाना" को परिभाषित करने के लिए नीचे दिया गया हैः

"464.झूठा दस्तावेज़ बनाना।– एक व्यक्ति को झूठा दस्तावेज या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा जाता है –

सबसे पहले।– जो बेईमानी या धोखाधड़ी से –

(ग) किसी दस्तावेज़ या दस्तावेज़ के हिस्से को बनाता है, हस्ताक्षर करता है, मुहर लगाता है या निष्पादित करता है; (ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है या प्रसारित करता है; किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर कोई डिजिटल हस्ताक्षर लगाता है;

(घ) किसी दस्तावेज़ के निष्पादन या डिजिटल हस्ताक्षर की प्रामाणिकता को दर्शाने वाला कोई भी निशान बनाता है, यह मानने के इरादे से कि ऐसा दस्तावेज़ या दस्तावेज़ के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या 702

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

डिजिटल हस्ताक्षर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा या उसके अधिकार द्वारा किए गए, हस्ताक्षर किए गए, सील किए गए, निष्पादित किए गए, प्रेषित किए गए या चिपकाए गए थे, जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से वह जानता है कि यह नहीं बनाया गया था, हस्ताक्षर नहीं किया गया था, सील नहीं किया गया था, निष्पादित नहीं किया गया था या चिपकाया गया था; या दूसरा।जो वैध प्राधिकार के बिना, बेईमानी या धोखाधड़ी से, रद्द करके या अन्यथा, किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उसके किसी भी भौतिक हिस्से में, इसे बनाए जाने के बाद, निष्पादित करने या डिजिटल हस्ताक्षर के साथ चिपकाने के बाद, या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे वह व्यक्ति इस तरह के परिवर्तन के समय जीवित हो या मृत; या

तीसरी बात।– जो बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने, मुहर लगाने, निष्पादित करने या बदलने या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर लगाने का कारण बनता है, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति मन की अस्वस्थता या नशे के कारण नहीं कर सकता है, या यह कि छल के कारण उस पर अभ्यास किया जाता है, वह दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री या परिवर्तन की प्रकृति को नहीं जानता है।

व्याख्या 1–किसी व्यक्ति के अपने नाम पर हस्ताक्षर करना जालसाजी हो सकती है।

स्पष्टीकरण 2–एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर एक झूठा दस्तावेज बनाना, यह मानने के इरादे से कि दस्तावेज़ एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा या एक मृत व्यक्ति के नाम पर बनाया गया था, यह मानने के इरादे से कि दस्तावेज़ व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल में बनाया गया था, जालसाजी के बराबर हो सकता है।

[ध्यान दें:'डिजिटल हस्ताक्षर' शब्द जहाँ भी आता है, 2009 के संशोधन अधिनियम 10 द्वारा 'इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर' शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

धारा 467 और 471 के तहत अपराध के लिए पूर्ववर्ती शर्त जालसाजी है।जालसाजी के लिए पूर्ववर्ती शर्त एक गलत दस्तावेज़ (या गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसका हिस्सा) बनाना है।यह मामला किसी भी झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित नहीं है। इसलिए, सवाल यह है कि क्या पहले आरोपी ने किसी संपत्ति को बेचने के लिए दो बिक्री विलेखों को निष्पादित और पंजीकृत करने में (भले ही यह माना जाए कि यह उसका नहीं था), श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य की मिलीभगत से झूठे दस्तावेज बनाए और निष्पादित किए।

अन्य अभियुक्तों के साथ।

10. दंड संहिता की खंड 464 के विश्लेषण से पता चलता है कि यह झूठे दस्तावेजों को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है:

पहला यह है कि कोई व्यक्ति बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी दस्तावेज़ को यह विश्वास दिलाने के इरादे से बनाता है या निष्पादित करता है कि ऐसा दस्तावेज़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार द्वारा बनाया या निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से वह जानता है कि यह बनाया या निष्पादित नहीं किया गया था।

दूसरा वह है जहां कोई व्यक्ति बेईमानी से या धोखाधड़ी से, रद्द करके या अन्यथा, किसी दस्तावेज को अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए जाने या निष्पादित किए जाने के बाद, वैध प्राधिकरण के बिना, किसी भी भौतिक भाग में बदल देता है।

तीसरा ऐसा है जहां कोई व्यक्ति बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने, निष्पादित करने या बदलने के लिए कहता है, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति (ए) मानसिक अस्वस्थता; या (बी) नशा; या (सी) उस पर किए गए धोखे के कारण, दस्तावेज़ की सामग्री या परिवर्तन की प्रकृति को नहीं जान सकता है।

11. संक्षेप में, कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने 'झूठा दस्तावेज' बनाया है, यदि (i) उसने किसी और के होने या किसी और द्वारा अधिकृत होने का दावा करते हुए कोई दस्तावेज बनाया या निष्पादित किया; या (ii) उसने किसी दस्तावेज में बदलाव या छेड़छाड़ की; या (iii) उसने धोखे का अभ्यास करके, या किसी ऐसे व्यक्ति से दस्तावेज प्राप्त किया जो अपनी इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं था।

12. प्रथम अपीलकर्ता द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से दूसरी और तीसरी श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

'झूठे दस्तावेजों' का।इसलिए यह देखा जाना बाकी है कि क्या शिकायतकर्ता का यह दावा कि पहले आरोपी द्वारा बिक्री विलेखों का निष्पादन, जो किसी भी तरह से भूमि से जुड़ा नहीं था, शिकायतकर्ता की भूमि पर कब्जा करने के इरादे से दस्तावेजों की जालसाजी करने के बराबर है (और कि खरीदार, गवाह, लेखक और स्टाम्प विक्रेता के रूप में आरोपी 2 से 5 ने उक्त बिक्री विलेखों के निष्पादन और पंजीकरण में पहले आरोपी के साथ मिलीभगत की) मामले को पहली श्रेणी के तहत लाएगा।बिक्री विलेख निष्पादित करने वाले व्यक्ति के बीच एक मौलिक अंतर है जो यह दावा करता है कि दी गई संपत्ति उसकी संपत्ति है, और बिक्री निष्पादित करने वाले व्यक्ति के बीच एक मौलिक अंतर है 704

मालिक की ओर से विलेख को निष्पादित करने के लिए मालिक का प्रतिरूपण करके या मालिक द्वारा अधिकृत या सशक्त होने का झूठा दावा करके किया गया विलेख।जब कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज़ को निष्पादित करता है जो उसे अपनी संपत्ति बताता है, तो दो संभावनाएँ होती हैं।पहला यह है कि वह ईमानदारी से मानता है कि संपत्ति वास्तव में उसकी है।दूसरा यह है कि हो सकता है कि वह बेईमानी से या धोखाधड़ी से इसे अपना होने का दावा कर रहा हो, भले ही वह जानता हो कि यह उसकी संपत्ति नहीं है।लेकिन 'झूठे दस्तावेजों' की पहली श्रेणी के अंतर्गत आने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि किसी दस्तावेज़ को बेईमानी या धोखाधड़ी से बनाया या निष्पादित किया

गया हो।एक और आवश्यकता है कि यह इस इरादे से बनाया जाना चाहिए था कि यह विश्वास कराया जाए कि ऐसा दस्तावेज़ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके अधिकार द्वारा बनाया गया था या निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से वह जानता है कि यह नहीं बनाया गया था या निष्पादित नहीं किया गया था।जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी संपत्ति का दावा करते हुए दस्तावेज़ निष्पादित किया जाता है जो उसकी नहीं है, तो वह यह दावा नहीं कर रहा है कि वह कोई और है और न ही वह यह दावा कर रहा है कि वह किसी और द्वारा अधिकृत है।इसलिए, ऐसे दस्तावेज़ का निष्पादन (कुछ संपत्ति को व्यक्त करने के लिए जिसका वह मालिक नहीं है) संहिता की खंड 464 के तहत परिभाषित एक झूठे दस्तावेज़ का निष्पादन नहीं है।यदि जो निष्पादित किया जाता है वह झूठा दस्तावेज नहीं है, तो कोई जालसाजी नहीं होती है। यदि कोई जालसाजी नहीं है, तो न तो खंड 467 और न ही संहिता की खंड 471 आकर्षित होती है।

भारतीय दंड संहिता की खंड 420

13. आइए अब हम जांच करें कि क्या धोखाधड़ी के अपराध के तत्व बनाए गए हैं।"धोखाधड़ी" के अपराध के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैंः

(i) किसी व्यक्ति को झूठा या भ्रामक प्रतिनिधित्व करके या बेईमानी से छिपाकर या किसी अन्य कार्य या चूक द्वारा धोखा देना; (ii) उस व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को देने या किसी व्यक्ति द्वारा उसे बनाए रखने के लिए सहमति देने के लिए धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रलोभन देना या जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित करना या ऐसा करने से बचना जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि वह ऐसा धोखा नहीं देता है; और (iii) ऐसा कार्य या चूक जिससे उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या नुकसान हो सकता है या होने की संभावना है।खंड 420 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, न केवल धोखाधड़ी होनी चाहिए, बल्कि श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य के रूप में भी होनी चाहिए।

इस तरह की धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप, अभियुक्त को बेईमानी से धोखा देने वाले व्यक्ति को (i) किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए, या (ii) पूरी तरह से या आंशिक रूप से एक मूल्यवान प्रतिभूति (या कुछ भी हस्ताक्षरित या मुहरबंद और जो एक मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है) बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए था।

14. जब किसी बिक्री विलेख को किसी संपत्ति के स्वामित्व का दावा करते हुए निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे बिक्री विलेख के तहत खरीदार के लिए यह आरोप लगाना संभव हो सकता है कि विक्रेता ने स्वामित्व का गलत प्रतिनिधित्व करके उसे धोखा दिया है और धोखाधड़ी से उसे बिक्री विचार में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन इस मामले में शिकायत खरीदार की नहीं है।दूसरी ओर, खरीदार को सह–अभियुक्त बनाया जाता है।यह शिकायतकर्ता का मामला नहीं है कि किसी भी अभियुक्त ने गलत या भ्रामक अभ्यावेदन देकर या किसी अन्य कार्रवाई या चूक से उसे धोखा देने की कोशिश की, न ही यह उसका मामला है कि उन्होंने उसे किसी भी संपत्ति को देने या किसी व्यक्ति द्वारा उसे बनाए रखने के लिए सहमति देने या जानबूझकर उसे कुछ भी करने या छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए किसी भी धोखाधड़ी या बेईमान प्रलोभन की पेशकश की, जो वह ऐसा करने के लिए नहीं करता था या छोड़ देता था यदि वह ऐसा धोखा नहीं देता था।न ही शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि पहले अपीलकर्ता ने बिक्री विलेखों को निष्पादित करते समय शिकायतकर्ता होने का नाटक किया।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पहले अभियुक्त ने दूसरे अभियुक्त या दूसरे अभियुक्त के पक्ष में खरीददार होने के कारण या तीसरे, चौथे और पांचवें अभियुक्त के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने के कार्य द्वारा, बिक्री विलेख के संबंध में गवाह, लेखक और स्टाम्प विक्रेता होने के कारण, शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से धोखा दिया।चूंकि खंड 415 में बताए गए धोखाधड़ी के तत्व नहीं पाए गए हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि संहिता की खंड 417,418,419 या 420 के तहत दंडनीय अपराध था।

XXX XXX XXX

इसलिए यह इस प्रकार है कि केवल यह आरोप लगाने या दिखाने से कि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से काम किया है, यह नहीं माना जा सकता है कि उसने संहिता या किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय अपराध किया है, जब तक कि उस धोखाधड़ी कार्य को संहिता या अन्य कानून के तहत अपराध के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

XXX XXX XXX 706

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

18. शिकायत में दिए गए कथन यदि सही माने जाते हैं, तो संहिता की खंड 420,467,471 और 504 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, लेकिन तकनीकी रूप से खंड 341 के तहत गलत तरीके से रोकने और भारतीय दंड संहिता की खंड 323 के तहत चोट पहुंचाने के अपराधों के तत्व दिखा सकते हैं।19. ऊपर बताए गए कारणों से, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।विद्वान उप-मंडल मजिस्ट्रेट के दिनांकित 14.12.2005 आदेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,471 और 504 के तहत अपराधों के रूप में रद्द कर दिया गया है।नतीजतन, उन धाराओं के तहत बनाए गए आरोप भी रद्द कर दिए जाते हैं।आई. डी. 1 दिनांकित आदेश और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 341 के तहत अपराध के आरोपों को अबाधित छोड़ दिया गया है।तदनुसार आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी जाती है।"

उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत दायर एक आवेदन पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इन आरोपों पर कि पहला आरोपी जिसका भूमि से कोई संबंध नहीं था और न ही वह इसका हकदार था, ने दूसरे आरोपी के पक्ष में दो पंजीकृत बिक्री विलेखों को निष्पादित किया था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि न तो जालसाजी का अपराध बनाया गया था और न ही शिकायतकर्ता, जो संपत्ति का मालिक था, भा.दं.सं. सी. की खंड 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का हकदार था। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति ने केवल धोखाधड़ी का कार्य किया है, यह नहीं माना जा

सकता है कि उसने संहिता के तहत दंडनीय अपराध किया है, जब तक कि उस धोखाधड़ी के कार्य को संहिता के तहत अपराध या किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय नहीं माना जाता है।भा.दं.सं. सी. की आदेश 463,464,467,471 के प्रावधानों और संबंधित प्रावधानों की जांच करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी संपत्ति को अपने स्वामित्व में होने का दावा करता है और जानता है कि यह उसकी संपत्ति नहीं है और फिर भी एक बिक्री विलेख निष्पादित करता है, तो भी उसे जालसाजी का अपराध बनाने के लिए झूठा दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह पर्याप्त नहीं है कि दस्तावेज़ को बेईमानी या धोखाधड़ी से बनाया या निष्पादित किया गया है और यह कि जालसाजी का अपराध बनाने के लिए, एक और आवश्यकता है कि यह विश्वास करने के इरादे से बनाया गया था कि ऐसा दस्तावेज़ उसके द्वारा या उसके द्वारा बनाया या निष्पादित किया गया था।यह भी देखा गया कि जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति को अपना होने का दावा करते हुए निष्पादित किया गया दस्तावेज उसका नहीं है, तो वह यह दावा नहीं कर रहा है कि वह कोई और है और न ही वह यह दावा कर रहा है कि वह किसी और द्वारा अधिकृत है और इस प्रकार, किसी ऐसे दस्तावेज का निष्पादन जो कुछ संपत्ति को व्यक्त करने के लिए कथित है जिसकी श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य

वह स्वामी नहीं है, संहिता की खंड 464 के तहत परिभाषित झूठे दस्तावेज का निष्पादन नहीं है और यदि जो निष्पादित किया जाता है वह झूठा दस्तावेज नहीं है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि जालसाजी की गई है और इस प्रकार, न तो खंड 467 के तहत अपराध और न ही खंड 471 आकर्षित होगी।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का पालन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शीला सेबेस्टियन के मामले (उपरोक्त) में किया है।जिनके प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः–

"शिकायतकर्ता का आरोप है कि, आरोपी नं। 1, (आर. जवाहराज), एक धोखेबाज़ की सहायता से, जिसने श्रीमती डोरिस विक्टर के रूप में अपने नाम पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी (इसके बाद 'पीओए') बनाया, जैसे कि वह उसका एजेंट हो।यह भी आरोप लगाया गया कि उपरोक्त पी. ओ. ए. का उपयोग करते हुए आरोपी नं. 1, अभियुक्त सं. 1 के पक्ष में एक बंधक विलेख निष्पादित करके शिकायतकर्ता की संपत्ति को हस्तांतरित करने का प्रयास किया। 2, (राजापंडी) Rs.50,000/- की राशि के लिए।उपरोक्त लेन-देन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद, संपत्ति की मालिक श्रीमती डोरिस विक्टर ने पुलिस को शिकायत दी जिसे बाद में 14.03.1998 की प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया गया।

XXX XXX XXX

3. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी नं. 1 भा.दं.सं. सी. की धारा 420,423 और 465 के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए और आरोपी नं. 2 भा.दं.सं. सी. की धारा 109 के साथ पठित धारा 424 और 465 के तहत अपराधों के लिए। दोनों अभियुक्तों पर सी. सी. नं.: वल्लियूर में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया गया था।62/1999, जिसमें अभियुक्त नं. 1 को भा.दं.सं. सी. की खंड 465 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे 2 साल के साधारण कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। 5, 000/- और अभियुक्त नं। 2 को 1 वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 2, 000/- भा.दं.सं. सी. की खंड 109 के साथ पठित खंड 465 के तहत अपराधों के लिए दिनांक 12.03.2003 के आदेश के अनुसार।4. उसी से व्यथित होकर, प्रत्यर्थियों-अभियुक्त ने एल. डी. के समक्ष अपील की। तिरुनेलवेली में सत्र न्यायाधीश ने 2003 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 72 और 78 के माध्यम से, जो दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखते हुए खारिज हो गई।

XXX XXX XXX

7. अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि, उच्च न्यायालय 708

अभिलेख पर रखी गई सामग्री की सराहना करने में विफल रहा और प्रतिवादी को केवल इस आधार पर बरी कर दिया कि जाली दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर नहीं पाए गए हैं।अपीलकर्ता के अनुसार, यह भा.दं.सं. सी. की खंड 464 की गलत व्याख्या है जो यह अनिवार्य करती है कि जो कोई भी झूठा दस्तावेज बनाता है वह जालसाजी का दोषी है।प्रतिवादी ने कथित तौर पर श्रीमती डोरिस विक्टर की संपत्ति को हड़पने के एकमात्र इरादे से जाली मुख्तारनामा बनाया।XXX XXX XXX

13. पीडब्लू 4 (सुश्री लता) उप–पंजीयक थीं जब अभियुक्त व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण के लिए धोखेबाज़ के साथ आए थे।पंजीकरण के दौरान, धोखेबाज़ के साथ, आरोपी नं। 2 राजापंडी ने गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर किए। उप–पंजीयक के कार्यालय में धोखेबाज़ के बाएं हाथ के अंगूठे की छाप रखी गई थी। मूल पावर ऑफ अटॉर्नी अभियुक्त नं. 1 जवाहरराज जिन्होंने उसी पर अपने हस्ताक्षर किए।

XXX XXX XXX

16. पी. डब्ल्यू. 8 (श्री अल्बोंस जेवियर), एक फिंगर प्रिंट रिकॉर्डिंग इंस्पेक्टर, ने गवाही दी है कि कथित जाली पावर ऑफ अटॉर्नी पर मौजूद उंगलियों के निशान डोरिस विक्टर के निशान से मेल नहीं खाते हैं।

XXX XXX XXX

19. उपरोक्त प्रावधानों की बारीकी से जांच से यह स्पष्ट होता है कि, खंड 463 जालसाजी के अपराध को परिभाषित करती है, जबकि खंड 464 भा.दं.सं. सी. की खंड 463 के तहत जालसाजी का अपराध करने के उद्देश्य से एक झूठा दस्तावेज कब बनाया गया था, इसका जवाब देकर इसकी पुष्टि करती है। इसलिए, हम सुरक्षित रूप से यह अनुमान लगा सकते हैं कि खंड 464 जालसाजी के घटकों में से एक को परिभाषित करती है, यानी गलत दस्तावेज़ बनाना।इसके अलावा, खंड 465 जालसाजी के अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है।खंड 465 के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, पहले यह साबित करना होगा कि खंड 463 के

तहत जालसाजी की गई थी, जिसका अर्थ है कि खंड 464 के तहत सामग्री को भी संतुष्ट किया जाना चाहिए।इसलिए जब तक खंड 463 के तहत सामग्री संतुष्ट नहीं होती है, तब तक किसी व्यक्ति को खंड 465 के तहत केवल खंड 464 के तत्वों पर भरोसा करके दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जालसाजी का अपराध श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य होगा।

20 अधूरा रहता है।वर्तमान विवाद को उजागर करने की कुंजी भा.दं.सं. सी. की खंड 464 में दिए गए स्पष्टीकरण 2 को समझने में निहित है। जैसा कि कॉलिन जे., इसे डिकिन्स बनाम गिल, (1896) 2 क्यू. बी. 310 में सटीक रूप से रखते हैं, एक ऐसा मामला जो काल्पनिक डाक टिकट रखने और बनाने से संबंधित है जिसमें उन्होंने कहा कि "बनाना", अपने आप में निर्माता की ओर से सचेत कार्य शामिल है।इसलिए, जालसाजी का अपराध उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो सकता है जिसने इसे नहीं बनाया है या हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

XXX XXX XXX

22. में एम. इब्राहिम (ऊपर), इस न्यायालय को एक मूल्यवान प्रतिभूति (धारा 467, आई. पी. सी.) होने का दावा करने वाले दस्तावेज़ की जालसाजी और जाली दस्तावेज़ को वास्तविक (धारा 471, आई. पी. सी.) के रूप में उपयोग करने की जांच करने का अवसर मिला था।दोनों अपराधों के मूल तत्वों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि भा.दं.सं. सी. की खंड 463 के तहत परिभाषित जालसाजी के अपराध को आकर्षित करने के लिए, भा.दं.सं. सी. की खंड 464 के तहत परिभाषित दस्तावेज़ के निर्माण पर निर्भर करता है। यह आगे देखा गया है कि यह दावा करके कि बेची जा रही संपत्ति निष्पादक की संपत्ति थी, केवल एक बिक्री विलेख का निष्पादन, भा.दं.सं. सी. की खंड 467 और 471 के तहत दंडनीय अपराधों के करने के बराबर नहीं है, भले ही संपत्ति का अधिकार निष्पादक में निहित न हो।

XXX XXX XXX

25. दंडात्मक अधिनियम की सख्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, अर्थात, व्याख्या के नियम का उल्लेख करते हुए जिसमें प्राकृतिक निष्कर्षों को प्राथमिकता दी जाती है, हम देखते हैं कि जालसाजी का आरोप उस व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता है जो इसका निर्माता नहीं है।जैसा कि बहुत से मामलों में माना जाता है, दस्तावेज़ बनाना उसे बनाने से अलग है।जैसा कि खंड 464 का स्पष्टीकरण 2 आगे स्पष्ट करता है कि, खंड 464 के तहत अपराध का गठन करने के लिए यह अनिवार्य है कि एक झूठा दस्तावेज बनाया जाए और आरोपी व्यक्ति उसी का निर्माता हो, अन्यथा आरोपी व्यक्ति जालसाजी के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है।26. "गलत दस्तावेज़" की परिभाषा "जालसाजी" की परिभाषा का एक हिस्सा है।दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए।

XXX XXX XXX

29. हालाँकि हम अपीलार्थी की दुर्दशा को स्वीकार करते हैं जो जालसाजी के कथित कृत्यों के कारण पीड़ित है, लेकिन हम 710 नहीं हैं।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

दंडात्मक अधिनियम के रूप में अपीलार्थी की दलीलों की सराहना करने में समर्थ होने पर निहितार्थ का उपयोग करके इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है।भा.दं.सं. सी. की खंड 464 यह स्पष्ट करती है कि केवल वही व्यक्ति जो झूठा दस्तावेज बनाता है, उसे उपरोक्त प्रावधान के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जहां कोई अस्पष्टता नहीं है, वहां व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं है। अपीलकर्ता की दलीलें प्रावधान के विपरीत और तय कानून के विपरीत हैं।

उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें एक धोखेबाज को मुख्तारनामा बनाने के लिए पेश किया गया था और यह आरोप लगाया गया था कि डोरिस विक्टर की संपत्ति को हड़पने के एकमात्र इरादे से जाली मुख्तारनामा तैयार की गई थी और यहां तक कि कथित मुख्तारनामा पर मौजूद उंगलियों के निशान भी डोरिस विक्टर (शिकायतकर्ता) के साथ मेल नहीं खाते थे, फिर भी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को दोषमुक्तिने के

फैसले को बरकरार रखा और मोहम्मद में निर्धारित कानून के अनुपात पर विचार करने के बाद। इब्राहिम के मामले (उपरोक्त) में कहा गया है कि जालसाजी का अपराध उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो सकता है जिसने दस्तावेज़ नहीं बनाया है या हस्ताक्षर नहीं किए हैं और भा.दं.सं. सी. की खंड 464 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, यह अनिवार्य है कि एक झूठा दस्तावेज़ बनाया जाए और आरोपी व्यक्ति उक्त झूठे दस्तावेज़ का निर्माता हो।यहां तक कि जालसाजी के कथित कार्य के कारण पीड़ित व्यक्ति की दुर्दशा पर भी ध्यान दिया गया था, लेकिन यह देखा गया कि दंडात्मक अधिनियम को निहितार्थ के उपयोग से विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

(43) उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित कानून के अनुपात को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते समय, यह स्पष्ट होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को उसके अंकित मूल्य पर भी लिया जाता है, तब भी भा.दं.सं. सी. की धारा 465,467,468 और 471 के तहत अपराध नहीं किए जाते हैं।याचिकाकर्ताओं का मामला Md.Ibrahim के मामले (ऊपर) में आरोपी भारत के मामले के समान है और शीला सेबेस्टियन के मामले (ऊपर) में आरोपी के मामले की तुलना में उच्च स्तर पर है।माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले में धारा 467,471 के साथ-साथ धारा 464 और 470 पर विचार किया गया था।वर्तमान प्राथमिकी आर. खंड 465 और 468 के तहत दर्ज की गई है, उन खंडओं के अलावा जो एम. डी. में विचाराधीन थीं। इब्राहिम का मामला (ऊपर)।खंड 465 और खंड 468 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः- "465. जालसाजी के लिए सजा।—जो कोई भी जालसाजी करता है, उसे दो साल तक की अवधि के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

XXX XXX XXX

468. धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी।—जो कोई भी जालसाजी करता है, इस इरादे से कि [जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] का उपयोग धोखाधड़ी के

उद्देश्य से किया जाएगा, उसे सात साल तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।"

उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि दोनों धाराओं, यानी भा.दं.सं. सी. की धारा 465 और 468 में जालसाजी शब्द का उपयोग किया गया है।जालसाजी की परिभाषा खंड 463 में दी गई है।खंड 463 खंड "जो कोई भी गलत दस्तावेज बनाता है" से शुरू होती है।खंड 464 के तहत झूठे दस्तावेज़ की परिभाषा प्रदान की गई है।इस प्रकार, भा.दं.सं. सी. की धारा 467, 471 के तहत अपराध के संबंध में आई. डी. 1 के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के सिद्धांत भा.दं.सं. सी. की धारा 465 और 468 के तहत अपराधों के संबंध में भी लागू होंगे।

(44) (आई)।कथित रूप से जाली दस्तावेजों के संबंध में आरोपों पर उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करनाःi) सी–9, सी–10 और सी–12

प्रतिवादी सं. के लिए विद्वान वकील।प्रतिवादी2 प्रतिवादी प्रतिवादीजप्रतिवादीाप्रतिवादीलप्रतिवादीसप्रतिवादीाप्रतिवादीजप्रतिवादीीप्रतिवादी
प्रतिवादीकप्रतिवादीाप्रतिवादी
प्रतिवादीमप्रतिवादीाप्रतिवादीमप्रतिवादीलप्रतिवादीाप्रतिवादी
प्रतिवादीबप्रतिवादीनप्रतिवादीाप्रतिवादीनप्रतिवादीेप्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादीेप्रतिवादी प्रतिवादीलप्रतिवादीिप्रतिवादीएप्रतिवादी, प्रतिवादी प्रतिवादीसप्रतिवादीीप्रतिवादी– प्रतिवादी9 प्रतिवादी, प्रतिवादी प्रतिवादीसप्रतिवादीीप्रतिवादी– प्रतिवादी1 प्रतिवादी0 प्रतिवादी प्रतिवादीऔप्रतिवादीरप्रतिवादी प्रतिवादीसप्रतिवादीीप्रतिवादी–प्रतिवादी1 प्रतिवादी2 प्रतिवादी प्रतिवादी(खंडप्रतिवादी प्रतिवादी1 प्रतिवादी5 प्रतिवादी6 प्रतिवादी प्रतिवादी(प्रतिवादी3 प्रतिवादी)प्रतिवादी प्रतिवादीC प्रतिवादीr प्रतिवादी.प्रतिवादीP प्रतिवादी.प्रतिवादीC प्रतिवादी
प्रतिवादीकप्रतिवादीेप्रतिवादी प्रतिवादीतप्रतिवादीहप्रतिवादीतप्रतिवादी संलग्नकप्रतिवादी / प्रतिवादीशप्रतिवादीिप्रतिवादीकप्रतिवादीाप्रतिवादीयप्रतिवादीतप्रतिवाद ी प्रतिवादीकप्रतिवादीेप्रतिवादी प्रतिवादीसप्रतिवादीाप्रतिवादीथप्रतिवादी प्रतिवादीसप्रतिवादींप्रतिवादीलप्रतिवादीगप्रतिवाद्प्रतिवादीनप्रतिवादी)प्रतिवादी
प्रतिवादीपप्रतिवादीरप्रतिवादी

प्रतिवादीभप्रतिवादीरप्रतिवादीप्रतिवादीसप्रतिवादीप्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादींप्रतिवादीयप्रतिवादीप्रतिवादी प्रतिवादीहप्रतिवादींप्रतिवादी। प्रतिवादी2).उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलेगा कि उन्हें झूठे दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है ताकि जालसाजी का अपराध हो।यह प्रतिवादी नं.2 कि ऑप्टम इंक., जो कि अमेरिका स्थित कंपनी है, ने यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र जारी किए थे कि यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (यूएचजीआईएस) ने वर्ष 2009 में एक महत्वपूर्ण परियोजना को निष्पादित किया था, जिसके बारे में कहा गया था कि यह चल रहा है और इसमें जॉन सेंटेली का नाम था, जिसका पदनाम मुख्य सूचना कार्यालय, ऑप्टम के रूप में दिया गया था और उक्त दस्तावेज़ (सी–9) जारी करने की तारीख का उल्लेख 14.02.2014 के रूप में किया गया है।दस्तावेज़ सी–9 से आगे, परियोजना के शुरू होने की तारीख का संदर्भ दिया गया है जिसे "2009 से" कहा गया है।यहां तक कि दस्तावेज़ सी–10 में, जो यू. एच. जी. आई. एस. के पक्ष में अमेरिकी इकाई, ऑप्टम इंक. द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र भी है, इसी तरह के तथ्यों को केवल इस अंतर के साथ उजागर किया गया है कि उक्त मामले में, टर्नकी परियोजना वर्ष 2008 से शुरू हुई थी।यह दिखाने के लिए सी–12 का भी संदर्भ दिया गया है कि दस्तावेज़ में कहा गया है कि ऑप्टम इंक. की स्थापना 17.09.2009 पर की गई थी और उक्त दस्तावेज़ के आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि 712

कि उक्त प्रमाणपत्र जाली और मनगढ़ंत हैं।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जॉन सेंटेली ऑप्टम के मुख्य सूचना अधिकारी नहीं हैं।जालसाजी के उपरोक्त पहलू के संबंध में, खंड 156 (3) Cr.P.C (पृष्ठ 542) के तहत आवेदन के पैराग्राफ 9 का संदर्भ दिया गया है।इस न्यायालय ने प्रतिवादी नं. के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उक्त तर्क पर विचार किया है।2 और यह राय है कि भा.दं.सं. सी. की धारा 465,467,468 और 471 के तहत अपराधों को निम्नलिखित कारणों से नहीं बनाया जाएगाः–

(1.1) खंड 156 (3) के तहत वर्तमान आवेदन के साथ संलग्न संलग्नक सी–12 को ऑप्टम इंक के निगमन की तारीख को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है और यह बहुत अधिक विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

(1.2) भले ही दस्तावेज़ सी–12 को वास्तविक माना जाए और प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क नहीं।2 इस प्रभाव से कि उक्त कंपनी अर्थात ऑप्टम इंक को 17.09.2009 पर निगमित किया गया था, अंकित मूल्य पर लिया जाता है, तब भी सी–9 और सी–10 दस्तावेजों के अवलोकन से यह पता चलेगा कि यह आरोप भी नहीं लगाया गया है कि दस्तावेज़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के प्राधिकरण द्वारा बनाया या निष्पादित किया गया था जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से इसे नहीं बनाया गया था या निष्पादित नहीं किया गया था।वास्तव में, शिकायत के पैराग्राफ 9 (पेज 452) में लगाए गए आरोपों के अनुसार यह शिकायतकर्ता का मामला है कि उक्त दस्तावेज़ जॉन सेंटेली द्वारा तैयार किया गया है।जॉन सेंटेली या किसी अन्य व्यक्ति ने यह नहीं कहा है कि उक्त दस्तावेज़ पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं।यह शिकायतकर्ता का मामला नहीं है कि उक्त दस्तावेज़ से पता चलता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया या हस्ताक्षरित किया गया है जिसने वास्तव में इसे नहीं बनाया है या हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(1.3) प्रतिवादी नं.2 उक्त दस्तावेजों में एक भी बयान का उल्लेख नहीं किया जा सका जिसे गलत कहा जा सकता है।
प्रतिवादीदप्रतिवादीसप्रतिवाद्ीप्रतिवादीतप्रतिवादीाप्रतिवादीवप्रतिवादेंीप्रतिवादीजप्रतिवा
द़ीप्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादेंीप्रतिवादी
प्रतिवादीअप्रतिवादीवप्रतिवादीलप्रतिवादीोप्रतिवादीकप्रतिवादीनप्रतिवादी
प्रतिवादीसप्रतिवादेंीप्रतिवादी प्रतिवादीपप्रतिवादीतप्रतिवादीाप्रतिवादी
प्रतिवादीचप्रतिवादीलप्रतिवादीतप्रतिवादीाप्रतिवादी प्रतिवादीहप्रतिवादैंीप्रतिवादी
प्रतिवादीकप्रतिवादिीप्रतिवादी प्रतिवादीयप्रतिवादीहप्रतिवादी
प्रतिवादीकप्रतिवादीहप्रतिवादीीप्रतिवादींप्रतिवादी
प्रतिवादीनप्रतिवादीहप्रतिवादीीप्रतिवादींप्रतिवादी
प्रतिवादीकप्रतिवादीहप्रतिवादीाप्रतिवादी प्रतिवादीगप्रतिवादीयप्रतिवादीाप्रतिवादी
प्रतिवादीहप्रतिवादैंीप्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादिीप्रतिवादी

प्रतिवादीवप्रतिवादीरप्रतिवाद्प्रतिवादीषप्रतिवादी
प्रतिवादी2 प्रतिवादी0 प्रतिवादी0 प्रतिवादी9 प्रतिवादी / प्रतिवादी2 प्रतिवादी0 प्रतिवादी0
प्रतिवादी8 प्रतिवादी प्रतिवादीमप्रतिवादेंप्रतिवादींप्रतिवादी
प्रतिवादीपप्रतिवादीरप्रतिवादिप्रतिवादीयप्रतिवादीप्रतिवादीजप्रतिवादीनप्रतिवादीप्रतिवा
दी, प्रतिवादी प्रतिवादीजप्रतिवादिप्रतिवादीसप्रतिवादेंप्रतिवादी
प्रतिवादीU प्रतिवादीH प्रतिवादीG प्रतिवादी। प्रतिवादीS प्रतिवादी
प्रतिवादीदप्रतिवाद्प्रतिवादीवप्रतिवादीप्रतिवादीरप्रतिवादीप्रतिवादी
प्रतिवादीनप्रतिवादिप्रतिवादीषप्रतिवाद्प्रतिवादीपप्रतिवादीप्रतिवादीदप्रतिवादिप्रतिवाद
ीतप्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादिप्रतिवादीयप्रतिवादीप्रतिवादी
प्रतिवादीजप्रतिवादीप्रतिवादी प्रतिवादीरप्रतिवादीहप्रतिवादीप्रतिवादी
प्रतिवादीथप्रतिवादीप्रतिवादी, प्रतिवादी
प्रतिवादीऑप्रतिवादीपप्रतिवाद्प्रतिवादीटप्रतिवादीमप्रतिवादी
प्रतिवादीइप्रतिवादींप्रतिवादीकप्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादेंप्रतिवादी
प्रतिवादीतप्रतिवादीहप्रतिवादीतप्रतिवादी
प्रतिवादीनप्रतिवादिप्रतिवादीषप्रतिवाद्प्रतिवादीपप्रतिवादीप्रतिवादीदप्रतिवादिप्रतिवाद
ीतप्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादिप्रतिवादीयप्रतिवादीप्रतिवादी
प्रतिवादीजप्रतिवादीप्रतिवादी प्रतिवादीरप्रतिवादीहप्रतिवादीप्रतिवादी
प्रतिवादीथप्रतिवादीप्रतिवादी।प्रतिवादी2 उन्होंने यह दिखाने के लिए किसी भी दस्तावेज़ का उल्लेख नहीं किया है कि जॉन सेंटेली यूएचजीआईएस के कर्मचारी थे। किसी भी तरह से, जॉन सेंटेली मुख्य सूचना अधिकारी हैं या नहीं, यह आकलन करने के लिए एक प्रासंगिक कारक नहीं होगा कि क्या भा.दं.सं. की धारा 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471 के तहत अपराध किए गए हैं या नहीं।(1.4) भले ही प्रतिवादी द्वारा लगाए गए सभी आरोप नहीं।

2 श्री मोनिशंकर हजरा बनाम हरियाणा राज्य

(विकास बहल, जे.)

अंकित मूल्य पर लिया जाता है, तब भी, क्योंकि यह प्रतिवादी नं।2 कि दस्तावेजों/अनुभव प्रमाण पत्र पर कोई हस्ताक्षर जाली किए गए हैं या कि उक्त दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के प्राधिकरण द्वारा बनाया या निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से इसे निष्पादित नहीं किया गया है, जालसाजी का अपराध नहीं बनाया जाएगा।यह प्रतिवादी नं. का आरोप भी नहीं है।2 कि वैध प्राधिकार के बिना किसी भी भौतिक भाग में बहुत कम परिवर्तन किया गया है या दस्तावेज़ को किसी अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति या नशे में धुत व्यक्ति या धोखे के माध्यम से बेईमानी या धोखाधड़ी से निष्पादित किया गया है।

कानून के अनुसार एम. डी. इब्राहिम का मामला (ऊपर), जालसाजी का अपराध उस स्थिति में किया जाएगा जब किसी दस्तावेज़ पर "ए" या उसके अधिकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए दिखाए जाते हैं और यह आरोप/प्रथम दृष्टया दिखाया जाता है कि इसमें उसके हस्ताक्षर नहीं हैं या यह उसके अधिकार द्वारा नहीं है।यही बात प्रतिवादी सं. का मामला नहीं है। 2 और इस प्रकार, जालसाजी का अपराध नहीं माना जाता है।यह उल्लेख करना और भी प्रासंगिक होगा कि दस्तावेज़ सी–9 और सी–10 में, प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता नं।2 किसी भी गलत कथन को उजागर नहीं कर सका।सी–9 और सी–10 दस्तावेजों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ये परियोजनाएं 2009–2008 में ऑप्टम इंक के तत्वावधान में शुरू हुई थीं या ऑप्टम इंक अपनी स्थापना के समय से ही उक्त परियोजना से जुड़ी हुई थी।इस प्रकार, भले ही ऑप्टम इंक को 17.09.2009 पर शामिल किया गया था और यह उल्लेख था कि UHGIS वर्ष 2008/2009 से एक परियोजना चला रहा था, फिर भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त प्रमाणपत्रों में गलत बयान हैं।निम्नलिखित उदाहरण से इसे सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता हैः– ऐसे मामले में जहां एक व्यक्ति "ए" यह प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति "बी" पिछले 10 वर्षों से "ए" के कार्यालय में एक वकील के रूप में काम कर रहा है, जो स्वयं वकील के रूप में काम कर रहा है और "बी" ने "ए" के साथ काम करना शुरू कर दिया था और अपने अभ्यास के पहले दिन से ही उसकी सहायता कर रहा था, "ए" से अलग होगा जो यह प्रमाणित करता है कि "बी" पिछले 10 वर्षों से वकील के रूप में काम कर रहा था।पहली स्थिति में, यदि यह पाया जाता है कि "ए" स्वयं केवल पिछले 8 वर्षों से एक वकील रहा है, तो यह आरोप लगाया जा सकता है

कि "ए" द्वारा एक गलत बयान दिया गया है, लेकिन बाद की स्थिति में इसे गलत बयान नहीं कहा जा सकता है क्योंकि "ए" ने केवल यह कहा था कि "बी" पिछले 10 वर्षों से एक वकील के रूप में काम कर रहा है।वर्तमान मामले के तथ्य बाद की स्थिति को दर्शाते हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है।इसके अलावा, भले ही उक्त प्रमाणपत्रों सी–9 और सी–10 में गलत बयान हो, फिर भी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Md.Ibrahim के मामले (ऊपर) में निर्धारित कानून को लागू करके, यह 714 है।

यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त दस्तावेज "झूठे दस्तावेज" हैं क्योंकि उक्त निर्णय के पैराग्राफ 10 में उल्लिखित कोई भी सामग्री दूर से भी नहीं बनाई गई है।

(1.5) इसके अलावा शीला सेबेस्टियन के मामले (उपरोक्त) के फैसले के अनुसार, भा.दं.सं. सी. की खंड 464 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, यह अनिवार्य है कि एक झूठा दस्तावेज होना चाहिए और आरोपी व्यक्ति को झूठा दस्तावेज बनाने वाला होना चाहिए और यदि उक्त दो शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो किसी व्यक्ति को जालसाजी के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता है।वर्तमान मामले में, इस तथ्य के अलावा कि विचाराधीन दस्तावेजों को झूठा दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है, प्रतिवादी सं. सं 2, वे व्यक्ति हैं जिन्होंने उक्त दस्तावेज तैयार किए थे।यह प्रतिवादी सं. द्वारा दूर से भी आरोप नहीं लगाया गया है।2 कि जॉन सेंटेली ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं या उनके हस्ताक्षर जाली हैं।इस प्रकार, भा.दं.सं. सी. की खंड 464 के अर्थ के भीतर कोई झूठा दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है और इस प्रकार भा.दं.सं. सी. की खंड 465,467,468 और 471 के तहत कोई अपराध नहीं बनाया गया है।प्रतिवादी सं. द्वारा किसी अन्य दस्तावेज के जाली/मनगढ़ंत होने का आरोप नहीं लगाया गया है।

2.खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत शिकायत/आवेदन में. पैराग्राफ 2 में, हैदराबाद में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, हैदराबाद पीठ द्वारा पारित दिनांकित 20.03.2017 आदेश का संदर्भ दिया गया है और इसे खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत शिकायत/आवेदन के साथ संलग्नक C–2 के रूप में संलग्न किया गया है। उक्त आदेश के प्रासंगिक हिस्से को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"राष्ट्रीय कंपनी कानून से पहले

2016 सी. पी. (टी. सी. ए. ए.) Nos.34/HDB/2017 की 361 नंबर की हैदराबाद कंपनी याचिका पर ट्राइबल हैदराबाद पीठ

आदेश की तारीखः20.03.2017

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और विलय की योजना के मामले में

और

यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी) के मामले में

के साथ

ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (ट्रांसफरी कंपनी) के मामले में

और

उनके संबंधित शेयरधारक और लेनदार XXX XXX.यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद यू. एच. जी. आई. एस. पी. स्थानान्तरण श्री मोनिशंकर हज़र बनाम हरियाणा राज्य के रूप में संदर्भित)

715

(विकास बहल, जे.)

कंपनी) का गठन 22 जुलाई, 2002 को किया गया था।स्थानान्तरण कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु। 1,37,87,50,000/– (एक सौ सैंतीस करोड़ अस्सी सात

लाख पचास हजार केवल) रुपये के 1,00,00,000/– इक्विटी शेयरों में विभाजित। 10/– प्रत्येक 12,78,75,000 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी भुनाने योग्य भागीदारी वरीयता शेयर Rs.10–प्रत्येक और स्थानान्तरण कंपनी की जारी की गई अभिदान और चुकता शेयर पूंजी रु। 10,00,00,000/– (केवल दस करोड़) रुपये के 1,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित। 10/– प्रत्येक और पूरी शेयर पूंजी अंतरिती कंपनी और उसके नामांकित व्यक्ति के पास है।

XXX XXX XXX

10. आधिकारिक परिसमापक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.01.2017 दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी के मामलों को इस तरह से नहीं चलाया गया है जो इसके सदस्यों के हित या सार्वजनिक हित के लिए प्रतिकूल है।”

उपरोक्त आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि पैराग्राफ 2 में, यह विशेष रूप से कहा गया है कि यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। (यूएचजीआईएस) को 22.07.2002 पर शामिल किया गया था।विचाराधीन अनुभव प्रमाणपत्र में कहा गया है कि उक्त कंपनी ने वर्ष 2008–09 में परियोजनाओं की शुरुआत की थी।इस प्रकार, उक्त परियोजनाओं का प्रारंभिक बिंदु उपरोक्त कंपनी के निगमन की तारीख के बाद है, जो 22.07.2002 है।उपरोक्त मामले में स्थानांतरिती कंपनी किसी भी मामले में ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड (ऑप्टम इंडिया) थी, न कि ऑप्टम इंक (ऑप्टम यूएस)।

(45) (II)।प्राथमिकी आर. में इस आशय के आरोपों के संबंध में कि बोलीदाता/याचिकाकर्ता–कंपनी ने आर. एफ. पी. के खंड II के खंड 4.3 की आवश्यकता को पूरा नहीं किया, क्योंकि यह नहीं दिखाया गया था कि प्रत्येक प्रासंगिक वर्ष की अवधि के लिए उनका कारोबार Rs.100 करोड़ था, अर्थात 2008–09,2009–10 और 2010–11, निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें जाना आवश्यक है:–

(2.1) उक्त आरोप जालसाजी के अपराध से बहुत कम अपराध नहीं होगा क्योंकि इस आशय का कोई आरोप नहीं है कि तुलनपत्र/लाभ और हानि खाते या इसके संबंध में कोई दस्तावेज जाली और/या मनगढ़ंत है।

(2.2) खंड जिसमें उक्त शर्त है, अर्थात पैरा 4 में उल्लिखित शर्त, वर्तमान शिकायत के पैराग्राफ 6 और उक्त 716 के पैराग्राफ 6 के प्रासंगिक हिस्से में पुनः प्रस्तुत की गई है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत शिकायत/आवेदन नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"पैरा 4 (उपर्युक्त) की क्रम संख्या 7 और 8 (उपरोक्त प्रासंगिक शर्तों वाले निविदा दस्तावेज़ के उद्धरण की प्रति उनके आर. एफ. पी. प्रस्ताव के अनुरोध में संलग्न है जिसे संलग्नक सी–4 के रूप में संलग्न किया गया हैः

क) बोलीदाता का वार्षिक कारोबार कम से कम Rs.100 होना चाहिए।पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान आईटी व्यवसाय और संचालन से करोड़ रुपये यानी पिछले 2 वर्षों में सकारात्मक निवल मूल्य और लाभप्रदता के साथ।"

खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत शिकायत/आवेदन के पैरा 23 का प्रासंगिक हिस्सा, जिसमें उक्त खंड के गैर–अनुपालन के संबंध में आरोप लगाए गए हैं, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"23.इसके अलावा शिकायतकर्ता ने हर मंच पर अपनी विभिन्न शिकायतों में कहा है कि आरोपी नं।1 आज तक कोई दस्तावेज जमा नहीं किया है जो दर्शाता है कि इसने एच. एस. एच. आर. सी. की आवश्यकता को पूरा किया है कि उसके पास रु। प्रत्येक वर्ष में 100 करोड़ रुपये का कारोबार।

2008–2009, 2009–2010 और 2010–2011 में वह भी क्षेत्र में

प्रणाली एकीकरण।इसके बजाय आरोपी नं.1, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, उसने 3 नकली 'अनुभव प्रमाण पत्र' प्रस्तुत किए हैं, जो, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा दावा किया गया है, किसी भी मामले में मनगढ़ंत हैं।"

उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि हालांकि, उक्त 100 करोड़ का कारोबार वित्तीय वर्ष 2010–13 के लिए आवश्यक है, लेकिन आरोप वर्षों 2008–09, 2009–

10 और 2010–11 के संबंध में लगाए गए हैं।वर्ष 2011–12 और 2012–13 के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया है।इस प्रकार, 2008–09 और 2009–10 के संबंध में लगाए गए आरोप अप्रासंगिक हैं।प्रतिवादी नं.2 संलग्नक आर–2/8 को अभिलेख पर रखा गया है, जिसे खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन की प्रति कहा गया है. संलग्नकों के साथ और उसी के अवलोकन से पता चलेगा कि 31.03.2012 को समाप्त करने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते के विवरणों के संबंध में, हालांकि ध्यान दें संख्या तक वाले पृष्ठ।13 संलग्न किए गए हैं लेकिन बाद के पृष्ठ में, जिसमें प्रासंगिक ध्यान दें संख्या है।15, संलग्न नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ उक्त तुलनपत्र, लाभ और हानि खातों की पूरी प्रति रिकॉर्ड में रखी है और वही संलग्नक पी–32 है।31.03.2012 के लिए कथन के प्रासंगिक भाग को श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

717

(विकास बहल, जे.)

नीचे दिया गया हैः–

"संयुक्त राष्ट्र समूह सूचना सेवाएँ 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का प्राइवेट लिमिटेड विवरण

विशिष्टताएँ	ध्यान दें नं.	वर्ष समाप्त 31.03.2012 (रुपये)	वर्ष समाप्त 31.03.2011 (रुपये)
A.CONTINUING संचालन	15 16	6,325,641,384 160,400,186 6,486,041,570	4,356,682,170 13,056,592 4,369,738,762

XXX XXX XXX

संयुक्त राज्य समूह सूचना सेवाएँ वित्तीय राज्यों के प्राइवेट लिमिटेड टिप्पणियाँ

विशिष्टताएँ	समाप्त वर्ष 31.03.2012 (रुपये)	समाप्त वर्ष 31.03.2011 (रुपये)

ध्यान दें 15–संचालन से राजस्व

ए। सेवाओं की बिक्री (नीचे दिए गए ध्यान दें का संदर्भ लें) 6,325,641,384 4,356,682,170 ध्यान दें:

1. सेवाओं की बिक्री में शामिल हैं:(ध्यान दें 21.2 देखें)

ए। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ 4,073,367,817 2,924,122,694 b।सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ 2,251,690,603 1,429,067,283 c।डेटा विश्लेषण सेवाएँ

582,964 3,492,193 6,325,641,384 4,356,682,170

कुल

उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि Rs.100 करोड़ के मानदंड प्रथमदृष्टया पूरे किए गए हैं।बाद के वित्तीय वर्ष के संबंध में भी यही स्थिति है जो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (अनुलग्नक पी–32) के साथ तुलनपत्र/लाभ और हानि खातों के प्रासंगिक हिस्से से स्पष्ट है।उसी के प्रासंगिक हिस्से को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"यूनाइटेड ग्रुप इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (रु। जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो

विशिष्टताएँ

टिप्पणियाँ 31 मार्च, 2013 31 मार्च, 2012 718

आमदनी

परिचालन से राजस्व 17 8,990,874,581 6,325,641,384 अन्य आय 18 120,978,359 460,400,186 9,11,852,940 6,486,041,570

XXX XXX

"यूनाइटेड ग्रुप इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश

(रुपये में राशि। जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो विवरण

31 मार्च, 2013 31 मार्च, 2012

17 परिचालनक राजस्व

सेवाओं की बिक्री (नीचे दिए गए ध्यान दें का संदर्भ लें) 8,990,874,581 6,325,641,384 8,990,874,581 6,325,641,384

ध्यान दें:–

सेवाओं की बिक्री में शामिल हैं:(ध्यान दें 28 देखें)

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ 4,831,481,686 4,073,367,817 सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ 4,159,392,895 2,251,690,603 डेटा विश्लेषण सेवाएँ

582,964

8,990,874,581 6,325,641,384

(46) (III) संघ का ज्ञापन

संघ के ज्ञापन में संशोधन के संबंध में, यह प्रतिवादी नं.2 कि उक्त दस्तावेज जाली या मनगढ़ंत हैं या दिनांकित प्रस्ताव, जिसके आधार पर उक्त संशोधन किया गया है, एक जाली या मनगढ़ंत दस्तावेज है।इस प्रकार, संघ के ज्ञापन के संबंध में भी, कोई आपराधिक अपराध नहीं बनाया जाता है।

(47) इस न्यायालय को अब इस बात पर विचार करना है कि वर्तमान मामले में भा.दं.सं. सी. की धारा 406,409 और 420 शामिल हैं या नहीं।भा.दं.सं. सी. की धारा 405,406,409,415 और 420 नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं:–

"भारतीय दंड संहिता की धारा 405

405. विश्वास का आपराधिक भंग।—जो कोई भी, किसी भी तरह से संपत्ति के साथ सौंपा गया है, या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ, बेईमानी से दुरुपयोग करता है या उस संपत्ति को अपने उपयोग में परिवर्तित करता है, या बेईमानी से उस श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य का उपयोग या निपटान करता है।

संपत्ति, कानून के किसी भी निर्देश का भंग करती है जो उस तरीके को निर्धारित करता है जिसमें ऐसे न्यास का निर्वहन किया जाना है, या किसी भी कानूनी अनुबंध का, जिसे उसने ऐसे न्यास के निर्वहन को छूते हुए व्यक्त या निहित किया है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए पीड़ित करता है, "विश्वास का आपराधिक भंग" करता है।

भारतीय दंड संहिता की खंड 406

406. आपराधिक भंग के लिए सजा।—जो कोई भी आपराधिक भंग करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन साल तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की खंड 409

409. लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा विश्वास का आपराधिक भंग।—जो कोई किसी भी तरह से संपत्ति के साथ सौंपा गया है, या किसी लोक सेवक की क्षमता में संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ या एक बैंकर, व्यापारी, कारक, दलाल, वकील या एजेंट के रूप में अपने व्यवसाय के तरीके से, उस संपत्ति के संबंध में विश्वास का आपराधिक भंग करता है, उसे 1 [आजीवन कारावास], या किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक अवधि के लिए हो सकता है जो दस साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

भारतीय दंड संहिता की खंड 415

415. धोखा दे रहे हैं।—जो कोई भी किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखाधड़ी से या बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, या सहमति देता है कि कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा, या जानबूझकर इस तरह से धोखा दिए गए व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है या ऐसा करने के लिए छोड़ देता है जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि उसे धोखा नहीं दिया गया था, और जो कार्य या चूक उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाता है या होने की संभावना है, उसे "धोखा" कहा जाता है।स्पष्टीकरण।—तथ्यों को बेईमानी से छिपाना इस खंड के अर्थ के भीतर एक धोखा है।

भारतीय दंड संहिता की खंड 420

420. धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण को प्रेरित करना।—जो कोई भी धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति के पूरे या किसी भी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए, या कुछ भी जो हस्ताक्षरित या सील किया गया है, और जो मूल्यवान 720 में परिवर्तित होने में सक्षम है।

प्रतिभूति, सात वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"

आपराधिक भंग, जो भा.दं.सं. सी. की खंड 406 और 409 का आवश्यक घटक है, को भा.दं.सं. सी. की खंड 405 में परिभाषित किया गया है। भा.दं.सं. सी. की खंड 405 के आवश्यक अवयवों का विवरण नीचे दिया गया हैः–(i) किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या किसी संपत्ति पर अधिकार सौंपा जाना चाहिए।

(ii) उक्त व्यक्ति को बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करना होगा या उस संपत्ति को अपने उपयोग में बदलना होगा या कानून के किसी भी निर्देश आदि का उल्लंघन करते हुए उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग या निपटान करना होगा।

वर्तमान मामले में, शिकायत में इस आशय का कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं को किसी संपत्ति पर कोई संपत्ति या प्रभुत्व सौंपा गया है और सौंपने के अनुसरण में उन्होंने बेईमानी से दुरुपयोग किया है या उसे अपने उपयोग में परिवर्तित किया है या कानून के किसी भी निर्देश आदि का उल्लंघन करते हुए बेईमानी से इसका उपयोग किया है और निपटान किया है। इस प्रकार, भा.दं.सं. सी. की खंड 405 के तत्व नहीं बनाए गए हैं।

भा.दं.सं. सी. की खंड 406 केवल खंड 405 के तहत अपराध की सजा का प्रावधान करती है और विश्वास के आपराधिक भंग का अपराध सामने आने के बाद ही लागू होगी।

भा.दं.सं. सी. की खंड 409 लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक भंग के अपराध को निर्धारित करती है।शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप नहीं लगाया गया है कि किसी भी याचिकाकर्ता को लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी, कारक, दलाल, वकील या एजेंट के रूप में उनकी क्षमता में संपत्ति सौंपी गई थी, इस प्रकार, उक्त अपराध वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं है।प्रतिवादी सं. के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क।2 / शिकायतकर्ता कि शिकायतकर्ता ऑप्टम इंडिया का एक कर्मचारी था और इसलिए, उक्त खंड को आकर्षित किया गया है, पूरी तरह से गलत धारणा है क्योंकि सबसे पहले, खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन में आरोप, जिसके आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अनुरोध किया गया है, एच. एस. एच. आर. सी. द्वारा जारी निविदा के संबंध में हैं, न कि कंपनी और प्रतिवादी संख्या के बीच विवाद के संबंध में।2, अर्थात्, नियोक्ता और पूर्व कर्मचारी।दूसरा, यह प्रतिवादी संख्या का मामला भी नहीं है।2 कि उसने याचिकाकर्ताओं को कोई भी संपत्ति आदि सौंपी थी जिसका दुरुपयोग किया गया है।

(48) भा.दं.सं. सी. की खंड 420 के तहत अपराध के संबंध में, यह ध्यान दें प्रासंगिक है कि उक्त अपराध के लिए धोखाधड़ी होनी चाहिए।धोखाधड़ी के अपराध को खंड

415 में परिभाषित किया गया है।धोखाधड़ी के उक्त अपराध के लिए आवश्यक सामग्री का विवरण नीचे दिया गया हैः–

(i) एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को धोखाधड़ी या बेईमानी से धोखा देना चाहिए।

((ii) इस तरह से ठगे गए व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को सौंपना चाहिए या इस बात पर सहमति देनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा या जानबूझकर इस तरह से ठगे गए व्यक्ति को कुछ भी करने या करने के लिए प्रेरित करेगा, जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि वह इस तरह से ठगा नहीं गया था।

(iii) इस तरह के कार्य या चूक से उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या नुकसान होने की संभावना है।

यह प्रतिवादी संख्या का मामला नहीं है।2 कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को या तो धोखाधड़ी या बेईमानी से धोखा दिया था और उसे किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित किया था और इस तरह के कार्य या चूक ने प्रतिवादी नं.2.माननीय उच्चतम न्यायालय ने Md.Ibrahim के मामले (उपरोक्त) में कहा था कि धोखाधड़ी के अपराध के संबंध में, यानी खंड 420, जिस व्यक्ति को धोखा दिया गया है, उसे प्राथमिकी दर्ज करानी होगी और यहां तक कि एक मामले में भी, जहां संपत्ति का मालिक अदालत में आया था और शिकायत की थी कि उसका घर आरोपी नं.1 अभियुक्त नं.2 इसमें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था कि भा.दं.सं. सी. की खंड 420 के तहत अपराध नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें शिकायतकर्ता का मामला नहीं था कि किसी भी आरोपी ने गलत या भ्रामक अभ्यावेदन करके या किसी अन्य कार्रवाई या चूक से उसे धोखा देने का प्रयास किया, और न ही शिकायतकर्ता का मामला था कि आरोपी व्यक्तियों ने किसी भी संपत्ति को देने के लिए कोई धोखाधड़ी या बेईमान प्रलोभन दिया।इस प्रकार, Md.Ibrahim के मामले (उपरोक्त) में निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी ताकत से लागू होता है।यहां तक कि भा.दं.सं. सी. की खंड 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध भी उक्त फैसले में कानून के अनुपात के अनुसार शिकायत में लगाए गए आरोप पर नहीं बनाया गया है। इसके अलावा, यह बार–बार माना गया है कि भा.दं.सं. सी. की धारा 406 और 420

एक–दूसरे के विरोधी होने के कारण पारस्परिक रूप से विनाशकारी हैं और इस प्रकार, दोनों प्रावधानों के तहत प्राथमिकी आर. का पंजीकरण विवादित आदेश के पारित होने के दौरान विवेक के गैर–अनुप्रयोग को दर्शाता है।

(49) ग्राउंड नं.3:722 द्वारा निर्धारित कानून का गैर–अनुपालन

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रियंका श्रीवास्तव के मामले में (ऊपर) और बाबू वेंकटेश के मामले में (ऊपर)

प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (उपरोक्त) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि स्वीकार्य है कि खंड 154 (1) Cr.P.C के तहत वर्तमान मामले में पुलिस स्टेशन सेक्टर 5, पंचकूला के प्रभारी अधिकारी को कोई शिकायत/आवेदन दायर नहीं किया गया है और न ही खंड 154 (3) Cr.P.C के प्रावधानों का पालन किया गया है क्योंकि स्वीकार्य है कि संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को कोई शिकायत नहीं दी गई है।

वर्तमान मामले के तथ्यों पर आने से पहले, खंड 154 (1) और 154 (3) ध्यान दें देना प्रासंगिक है।–

" दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 154 (1)

(1) संज्ञेय अपराध करने से संबंधित प्रत्येक जानकारी, यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसे उसके द्वारा लिखित रूप में या उसके निर्देश के तहत पढ़ा जाएगा और सूचना देने वाले को पढ़ा जाएगा और ऐसी प्रत्येक जानकारी, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या लिखित रूप में घटाई गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में दर्ज किया जाएगा जिसे राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित करे।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 154 (3)

(3) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सूचना को दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की ओर से इनकार करने से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी का सार, लिखित रूप में और डाक द्वारा, संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो, यदि संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, तो या तो स्वयं मामले की जांच करेगा या इस संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जांच करने का निर्देश देगा, और ऐसे अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी।"

(50) प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (उपरोक्त) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रासंगिक प्रावधानों और अन्य पहलुओं पर विचार करने के बाद निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

"1. वर्तमान अपील एक ऐसे परिदृश्य को प्रस्तुत करती है जो न केवल परेशान करने वाला है, बल्कि एक परेशान राज्य में सोचने के प्रतिग्रहण करना मजबूर करने वाली हलचल पैदा करने की क्षमता भी रखता है कि कैसे कुछ बेईमान, सिद्धांतहीन और विचलित मुकदमेबाज अदालत के दरवाजे खटखटाने के प्रतिग्रहण करना सरल और अभिनव तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि यह एक प्रयोगशाला है जहां विविध प्रयोग हो सकते हैं और ऐसे कुशल व्यक्ति आवेदन में किए गए दृढ़ दावों द्वारा पीड़ा के कैनवास को चित्रित करके अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर सकते हैं, हालांकि वास्तविक इरादा वैधानिक अधिकारियों को परेशान करना है, बिना किसी दूरस्थ पश्चाताप के, आविष्कारशील डिजाइन के साथ मुख्य रूप से मानसिक दबाव पैदा करने के प्रतिग्रहण करना।तथ्य, जैसे–जैसे हम संक्षिप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, चित्रात्मक रूप से प्रकट करेंगे कि कैसे ऐसे व्यक्ति, आहत होने का नाटक करते हैं लेकिन संभावित रूप से खतरनाक होते हैं, ऐसा करने के लिए आत्म–विश्वास करने

वाले निपुणता के तरीकों को अपनाते हैं।यही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्यात्मक स्कोर है जो मामले का आधार बनता है, और हम दर्दनाक रूप से याद करते हैं।

XXX XXX XXX

29. इस स्तर पर यह कहना प्रतीत होता है कि खंड 156 (3) के तहत शक्ति न्यायिक दिमाग के आवेदन की गारंटी देती है।कानून की एक अदालत शामिल है।यह पुलिस संहिता की खंड 154 के स्तर पर कदम नहीं उठा रही है।एक वादकारी अपनी मर्जी से मजिस्ट्रेट के अधिकार का आह्वान नहीं कर सकता है।स्वच्छ हाथों वाले एक सैद्धांतिक और वास्तव में दुखी नागरिक को उक्त शक्ति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र पहुँच होनी चाहिए।यह नागरिकों की रक्षा करता है लेकिन जब विकृत मुकदमे अपने साथी नागरिकों को परेशान करने के लिए इस रास्ते पर चलते हैं, तो इसे रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए।

30. हमारी सुविचारित राय में, इस देश में एक ऐसा चरण आ गया है जहाँ खंड 156 (3) Cr.P.C. आवेदन 724 हैं।

मजिस्ट्रेट की अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले आवेदक द्वारा विधिवत शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा।इसके अलावा, एक उपयुक्त मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट को सचाई की पुष्टि करने और आरोपों की सत्यता की पुष्टि करने की अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी।यह शपथ पत्र आवेदक को अधिक जिम्मेदार बना सकता है।हम ऐसा कहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि इस तरह के आवेदन नियमित रूप से दायर किए जा रहे हैं और केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है।इसके अलावा, यह और अधिक परेशान करने वाला और खतरनाक हो जाता है जब कोई उन लोगों को लेने की कोशिश करता है जो एक वैधानिक प्रावधान के तहत आदेश पारित कर रहे हैं जिसे उक्त अधिनियम के ढांचे के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है।लेकिन यह एक आपराधिक

अदालत में अनुचित लाभ उठाने के लिए नहीं किया जा सकता है जैसे कि कोई स्कोर का निपटारा करने के लिए दृढ़ है।

31. हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि खंड 156 (3) के तहत याचिका दायर करते समय खंड 154 (1) और 154 (3) के तहत पूर्व आवेदन होने चाहिए।आवेदन में दोनों पहलुओं को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और इस आशय के आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए जाने चाहिए।एक निर्देश को क्षमा करने वाला वारंट कि खंड 156 (3) के तहत एक आवेदन को एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाए ताकि आवेदन करने वाला व्यक्ति सचेत हो और यह भी देखने का प्रयास करे कि कोई गलत शपथ पत्र नहीं दिया गया है।ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब कोई शपथ पत्र झूठा पाया जाता है, तो वह कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।यह उसे खंड 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार को आकस्मिक रूप से लागू करने से रोकेगा।इसके अलावा, हम पहले ही कह चुके हैं कि मामले के आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इसकी सत्यता को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भी सत्यापित किया जा सकता है।हम राजकोषीय मामलों से संबंधित कई मामलों के रूप में ऐसा कहने के लिए मजबूर हैं

क्षेत्र, वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध, चिकित्सा लापरवाही के मामले, भ्रष्टाचार के मामले और आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी/अड़चन वाले मामले, जैसा कि ललिता कुमारी में दर्शाया गया है, दर्ज किए जा रहे हैं।इसके अलावा, विद्वान मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के बारे में भी पता होगा।

XXX XXX XXX श्री मोनिशंकर हज़र बनाम हरियाणा राज्य

725

(विकास बहल, जे.)

35. हमारे द्वारा पारित आदेश की एक प्रति इस न्यायालय की पंजीकरण द्वारा सभी उच्च न्यायालयों के विद्वान मुख्य न्यायाधीशों को भेजी जाए ताकि उच्च न्यायालय इसे विद्वान सत्र न्यायाधीशों के बीच प्रसारित कर सकें, जो बदले में, इसे विद्वान मजिस्ट्रेटों

के बीच प्रसारित कर सकें ताकि वे खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिक सतर्क और मेहनती रह सकें।

उपर्युक्त पुनर्निर्मित प्रावधानों के साथ–साथ उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि संहिता की खंड 154 (1) के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि संज्ञेय अपराध करने से संबंधित हर जानकारी अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी जानी है।वर्तमान मामले में, उक्त प्रभारी अधिकारी पंचकूला के सेक्टर 5 के पुलिस स्टेशन का प्रभारी होगा, जैसा कि सभी प्रतिद्वंद्वी दलों ने स्वीकार किया है। खंड 154 (3) Cr.P.C में आगे यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो उप–खंड (1) में निर्दिष्ट जानकारी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी की ओर से इनकार करने से व्यथित है, वह ऐसी जानकारी का सार, लिखित रूप में और डाक द्वारा, संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो इस मामले में संतुष्ट है कि ऐसी जानकारी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, उसे स्वयं मामले की जांच करने या जांच का निर्देश देने की शक्ति है।भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में, खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत दायर किए जा रहे तुच्छ आवेदनों की प्रवृत्ति को नियमित रूप से और खंड 154 (1) और 154 (3) Cr.P.C के अनिवार्य प्रावधानों का पहले भी पालन किए बिना ध्यान में रखते हुए कहा है कि खंड 156 (3) C. r.पी. सी. न्यायिक दिमाग के आवेदन को वारंट करता है क्योंकि एक अदालत उसी में शामिल है और एक वादकारी, अपनी मर्जी से, मजिस्ट्रेट के अधिकार का आह्वान नहीं कर सकता है और जब वादकारी अपने साथी नागरिकों को परेशान करने के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं, तो इसे रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह भी निर्देश दिया गया कि खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन दायर करने से पहले खंड 154 (1) और 154 (3) के तहत शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और उक्त दोनों पहलुओं को आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और इस पहलू के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज भी दाखिल किए जाने चाहिए।यह आगे निर्देश दिया गया कि खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन को एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए ताकि यदि शिकायत में किए गए दावे झूठे पाए जाएं तो शिकायतकर्ता पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सके।यह मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के बारे में जागरूक होने में भी मदद और सहायता करेगा।

उक्त निर्णय की प्रति को पूरे 726 में विद्वान मजिस्ट्रेटों के बीच वितरित करने का आदेश दिया गया था।

ताकि वे खंड 156 (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिक सतर्क और मेहनती रह सकें।उक्त निर्णय उक्त विवादित आदेश के पारित होने से पहले पारित किया गया था।

(51) प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (ऊपर) में फैसला आया है

इसके बाद भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दाण्डिक अपीलीय सं.252 बाबू वेंकटेश के मामले और संबंधित मामलों के रूप में शीर्षक वाले 2022 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया हैः–

“25. इस अदालत ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि, एक ऐसा चरण आ गया है जहां Cr.P.C, 1973 की खंड 156 (3) के तहत आवेदनों का समर्थन शिकायतकर्ता द्वारा विधिवत शपथ पत्र द्वारा किया जाना है जो मजिस्ट्रेट की अधिकार क्षेत्र का आह्वान चाहता है।

26. इस अदालत ने आगे कहा कि, एक उपयुक्त मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट को सच्चाई की पुष्टि करने और आरोपों की सत्यता की पुष्टि करने की अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी।अदालत ने नोट किया है कि, खंड 156 के तहत आवेदन

(3) केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने की कोई जिम्मेदारी लिए बिना Cr.P.C, 1973 को नियमित तरीके से दायर किया जाता है।

27. इस अदालत ने आगे कहा है कि, आई. डी. 1., 1973 की खंड 156 (3) के तहत शपथ पत्र दायर करने से पहले आई. डी. 1., 1973 की खंड 154 (1) और 154 (3) के तहत आवेदन होने चाहिए।इस तरह की आवश्यकता के साथ, व्यक्तियों को Cr.P.C की खंड 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के कारण प्राधिकरण का आह्वान

करने से रोका जाएगा। जितना कि शपथ पत्र गलत पाया जाता है, व्यक्ति कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

28. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने खंड 156 के तहत आदेश पारित करते हुए

(3) 1973 का अनुच्छेद इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करने में पूरी तरह विफल रहा है।

29. शिकायत के अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वयं मूल वाद दायर करने के संबंध में कथन किए हैं।

किसी भी मामले में, जब शिकायत एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित नहीं थी, तो मजिस्ट्रेट को Cr.P.C, 1973 की खंड 156 (3) के तहत आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए था, उच्च न्यायालय भी कानूनी स्थिति पर विचार करने में विफल रहा है जैसा कि प्रियंका श्रीवास्तव बनाम यू. पी. राज्य (ऊपर) के मामले में इस अदालत द्वारा प्रतिपादित किया गया है, और केवल यह देखते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है कि शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

30. इसलिए, हमारा विचार है कि वर्तमान कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा।

31. इसलिए हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और आपराधिक याचिका संख्या 6719/2020,6729/2020,6733/2020 और 6737/2020 में पारित 22 जनवरी 2021 के उच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों को स्वीकार करते हैं। नतीजतन, 16 दिसंबर, 2019 को दर्ज की गई प्राथमिकी आर. संख्या 255/2019,256/2019,17 दिसंबर, 2019 को दर्ज की गई प्राथमिकी आर. संख्या 257/2019 और 18 दिसंबर, 2019 को बेंगलुरु शहर के जयनगर पुलिस

स्टेशन में दर्ज की गई प्राथमिकी आर. संख्या 258/2019 को रद्द कर दिया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।"

उपर्युक्त पुनर्निर्मित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि यह दोहराया गया है कि खंड 154 (1) और 154 (3) सी. आर.पी. सी. का अनिवार्य रूप से खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन/शिकायत दर्ज करने से पहले अनुपालन किया जाना आवश्यक है और यहां तक कि शपथ पत्र भी अनिवार्य रूप से दायर किया जाना आवश्यक है और चूंकि मजिस्ट्रेट खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आदेश पारित करते समय प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित कानून पर विचार करने में विफल रहे थे और यहां तक कि उच्च न्यायालय भी कानूनी स्थिति को ध्यान में रखने में विफल रहा था, इस प्रकार, अपीलों को अनुमति दी गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

(52) उपर्युक्त पहलू के संबंध में, प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता नं।2 बहुत निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या यहां तक कि पुलिस अधीक्षक को भी कोई शिकायत/आवेदन दायर नहीं किया गया है जैसा कि धारा 154 (1) या 154 (3) Cr.P.C के तहत परिकल्पना की गई है।

तथ्य यह है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी माननीय के फैसले का पालन न करने पर विचार नहीं किया था

प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (उपरोक्त) में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से 728 है

विभिन्न ज़िम्नी आदेशों से जो न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पहले पारित किए गए थे और जिन्हें प्रतिवादी सं. 2 उनके जवाब में।उक्त ज़िमनी आदेशों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:–

"वर्तमान:श्री समीर सचदेव, खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत शिकायतकर्ता शिकायत के लिए अधिवक्ता ने दायर किया और

इसकी जाँच की जाए और इसे पंजीकृत किया जाए।खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए वर्तमान फाइल भेजने के लिए तर्क दिए गए हैं।

शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने जोर देकर तर्क दिया कि आरोपी ने एक–दूसरे के साथ मिलकर जाली दस्तावेज बनाए हैं और हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र द्वारा जारी अनुबंध/निविदा प्राप्त की है, इसलिए खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। सुना गया।मामले द्वारा फाइल को सावधानीपूर्वक पढ़ा।

यह उल्लेख करना उचित है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुभकरण लुहारुका बनाम में खंड 156 (3) Cr.P.C के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। राज्य, (170) 2010 डी. एल. टी. 516 जिसमें यह कहा गया है कि

(i) जब भी किसी मजिस्ट्रेट को संहिता की खंड 156 (3) के तहत आदेश पारित करने के लिए बुलाया जाता है, तो शुरुआत में मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अदालत में आने से पहले, शिकायतकर्ता ने शिकायतकर्ता में अभियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा संज्ञेय अपराध किए जाने का खुलासा करते हुए अपने पास उपलब्ध जानकारी दर्ज करने के लिए क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी से संपर्क किया हो।यह भी जांचा जाना चाहिए कि एस. एच. ओ. द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी।

((ii) या यहाँ तक कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, जब शिकायतकर्ता द्वारा संहिता की खंड 154 (3) के तहत संपर्क किया जाता है।

उपर्युक्त अवलोकन स्थिति रिपोर्ट से प्राप्त संख्या को संबंधित एस. एच. ओ. से 15.09.2021 पर या उससे पहले दाखिल करने के लिए कहा जाता है।

ऑर्डर की तारीख:31.08.2021

(नितिन राज)

(विकास बहल, जे.)

सीजेएम/पीकेएल

एचआर 0287

XXX XXX XXX

वर्तमानः– श्री एस. के. बैरागी, Ld.APP राज्य के लिए।श्री समीर सचदेव, शिकायतकर्ता के अधिवक्ताशिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने आगे दस्तावेजों को प्रस्तुत किया।स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है तर्क आंशिक रूप से सुने गए हैं।अब, आगे के तर्क के लिए 17.09.2021 पर आने के लिए।ऑर्डर की तारीखः15.09.2021

(नितिन राज)

सीजेएम/पीकेएल

एचआर 0287

XXX XXX XXX

वर्तमानःSh.Sameer सचदेव, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

दलीलें सुनी गई।जाँच अधिकारी द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि इन्हीं तथ्यों/आरोपों के आधार पर एम. डी. हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम, हरियाणा के समक्ष भी शिकायत दर्ज की गई है और उसी में जाँच की जा रही है। इसलिए, वर्तमान शिकायत में आगे बढ़ने से पहले, अदालत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 91 के तहत संबंधित विभाग से उक्त जांच से संबंधित दस्तावेजों को बुलाना उचित समझती है।इस प्रकार, हरियाणा स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा निगम, हरियाणा के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त जांच से संबंधित पूरा रिकॉर्ड एक जिम्मेदार अधिकारी को तैनात करके सीलबंद लिफाफे में भेजें, इस तथ्य के बावजूद कि जांच पूरी हो गई है या नहीं, 5.10.2021 पर या उससे पहले।

तारीखः17.9.2021

(नितिन राज) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला।

XXX XXX XXX

वर्तमानःराज्य के लिए श्री S.KBairagi, Ld.APPIश्री समीर सचदेव, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता

प्रबंध निदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड से विधिवत प्राप्त दिनांकित 17.09.2021 आदेश के अनुपालन में स्थिति रिपोर्ट।यह कहा गया है कि हरियाणा सरकार के मामले के ज्ञापन संख्या 49/116/2019–4V–1 dated01.07.2020 को जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के मुख्य सतर्कता अधिकारी को सौंप दिया गया था।तदनुसार, उसी से संबंधित रिकॉर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा को अतिरिक्त महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा–सह–मुख्य सतर्कता अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा को संचरण के लिए 28.08.2020 पर भेजा गया था।

उक्त जांच से संबंधित समान दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 91 के तहत तलब किया जाना चाहिए, जिन्हें इसके द्वारा एक जिम्मेदार अधिकारी को प्रतिनियुक्त करके उक्त जांच से संबंधित पूरा रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में भेजने का निर्देश दिया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि जांच पूरी हो गई है या नहीं, 19.10.2021 पर या उससे पहले।अहलमद को सम्मन देना के साथ आदेश की प्रति संलग्न करने का निर्देश दिया जाता है।(नितिन राज)

सीजेएम/पीकेएल एचआर 0287

ऑर्डर की तारीखः05.10.2021

वर्तमानः–श्री समीर सचदेव, शिकायतकर्ता के अधिवक्ताडॉ. बावनीश अरोड़ा, उप निदेशक एच. एस. एच. आर. सी., सेक्टर 6, पंचकुला व्यक्तिगत रूप से।

दिनांक 05.10.2021 के आदेश के अनुसरण में, डॉ. बावनीश अरोड़ा, उप निदेशक एचएसएचआरसी, सेक्टर 6, पंचकूला उपस्थित हुए और उन्हें एक बयान का सामना करना पड़ा कि वह 25.10.2021 पर पूछताछ रिकॉर्ड पेश करेंगे।इस संबंध में उनका अलग बयान दर्ज किया गया।सुना है।अब, उक्त उद्देश्य के लिए 25.10.2021 पर आने के लिए।

ऑर्डर की तारीखः19.10.2021

XXX XXX XXX

(नितिन राज)

सीजेएम/पीकेएल

एच. आर. 0287 वर्तमानःश्री एस. के. बैरागी, एल. राज्य के लिए अति.लो.अभि.

श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य

731

(विकास बहल, जे.)

श्री समीर सचदेव, शिकायतकर्ता के अधिवक्ताडॉ. बावनीश अरोड़ा, उप निदेशक एच. एस. एच. आर. सी., सेक्टर 6, पंचकुला व्यक्तिगत रूप से।

डॉ. बावनीश अरोड़ा, उप निदेशक एच. एस. एच. आर. सी., सेक्टर 6, पंचकूला उपस्थित हुए और एक बयान का सामना किया कि दिनांक 1 के आदेश के अनुसार उन्होंने इस मामले में सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की है।इस संबंध में उनका अलग बयान दर्ज किया गया।सुना है।अब, विचार के लिए 23.11.2021 पर आने के लिए।

ऑर्डर की तारीखः25.10.2021

XXX XXX XXX

(नितिन राज)

सीजेएम/पीकेएल

एच. आर. 0287 वर्तमानः– सुश्री मोनिका बोरा, एल. डी. राज्य के लिए अति.लो.अभि.श्री समीर सचदेव, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता

तर्क आगे नहीं बढ़े।शिकायतकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तारीख का अनुरोध किया जाता है।सुना है।अनुमति दी गई।अब, विचार के लिए 15.12.2021 पर आने के लिए।

(नितिन राज)

सीजेएम/पीकेएल

एचआरओ 287

ऑर्डर की तारीखः23.11.2021"

उपरोक्त ज़िम्नी आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि हालांकि दिनांक 31.08.2021 के आदेश पारित करने के समय, पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विशेष रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया था, जिसमें मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि अदालत में आने से पहले, शिकायतकर्ता ने संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हुए अपने पास उपलब्ध जानकारी दर्ज करने के लिए क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी से संपर्क किया और यह भी जांच करनी चाहिए कि एस. एच. ओ. या यहां तक कि अधिकारी द्वारा खंड 154 (3) Cr.P.C के तहत क्या कार्रवाई की गई है। लेकिन, बाद के ज़िम्नी आदेशों के साथ–साथ विवादित आदेश से पता चलता है कि प्रतिवादी नं.2 संबंधित पुलिस थाना, अर्थात सेक्टर 5 पंचकूला के प्रभारी अधिकारी या पुलिस अधीक्षक को न ही इस बारे में कोई निर्देश दिया गया है कि ऐसी कोई शिकायत दर्ज किए जाने के मामले में क्या कार्रवाई की गई है।यहाँ तक कि Cr.P.C की खंड 156 (3) के तहत आवेदन के अवलोकन से भी पता चलेगा कि वहाँ 732 है।

खंड 154 (1) या खंड 154 (3) के तहत दायर किसी भी शिकायत/आवेदन का कोई संदर्भ नहीं है और इस प्रकार, आक्षेपित आदेश के साथ–साथ प्राथमिकी दर्ज करने सहित बाद की कार्यवाही, प्रियंका श्रीवास्तव के मामले में निर्धारित कानून के अनुपात का घोर उल्लंघन करते हुए, केवल उक्त आधार पर ही खारिज/रद्द किए जाने के योग्य है।

(सुप्रा) बाबू वेंकटेश के मामले (सुप्रा) में अनुसरण किया गया।

(53) प्रतिवादी सं. के लिए विद्वान वकील।2 उसने यह कहते हुए अपने खिलाफ उठाई गई उक्त कानूनी आपत्ति को दूर करने का प्रयास किया है कि उसने पुलिस महानिदेशक को दिनांक 11.02.2020 (पी–24) (पृष्ठ 508) की शिकायत की थी और आगे प्रस्तुत किया कि उक्त रिपोर्ट आर्थिक अपराध शाखा को भेजी गई थी, जिसने दिनांक 01.09.2020 की अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसे विवादित आदेश में ध्यान दें में रखा गया है।उक्त पहलू को भले ही सही माना जाए, लेकिन इसे प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (ऊपर) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का कड़ाई से अनुपालन नहीं माना जा सकता है।मान लीजिए, संहिता की खंड 154 (1) या 154 (3) के तहत संबंधित अधिकारी प्रभारी/पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत/आवेदन दर्ज नहीं किया गया है, हालांकि, दिल्ली और हरियाणा दोनों में कई मंचों/अधिकारियों को कई शिकायतें की गई हैं।यहां तक कि पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, (पी–24) (पृष्ठ 508) के समक्ष दायर की गई शिकायत भी एक शिकायत है जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की खंड 13 के तहत अपराध करने का भी आरोप लगाया गया था और उक्त शिकायत में प्रार्थना की गई है कि हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, हरियाणा सरकार के अपचारी/गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।वर्तमान आवेदन में खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की खंड 13 के तहत आरोपों का उल्लेख नहीं किया गया है और इस प्रकार, उक्त दो शिकायतों में भौतिक अंतर हैं और डीजीपी को की गई शिकायत को खंड 154 (1) और 154 (3) Cr.P.C के तहत प्रावधानों का अनुपालन नहीं माना जा सकता है। विवादित आदेश के पैराग्राफ 3 में, यह देखा गया है कि

01.09.2020 की रिपोर्ट आर्थिक अपराध शाखा द्वारा प्रस्तुत की गई थी, न कि खंड 154 (3) Cr.P.C के तहत पंचकूला के पुलिस स्टेशन सेक्टर 5 के प्रभारी अधिकारी द्वारा। इसके अलावा, उक्त रिपोर्ट एक अंतरिम रिपोर्ट थी जिसे अंतिम रिपोर्ट दिनांक 09.10.2020 द्वारा हटा दिया गया था जिसे दिनांकित किया गया था।

(54) आदेश के इस भाग से अलग होने से पहले, प्रतिवादी संख्या के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों से निपटना उचित होगा।2 उक्त पहलू पर।

पहला निर्णय जिस पर श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य द्वारा निर्णय दिया गया है।

उत्तरदाता नं. 2 गुलाम मोहि–उद–दीन के मामले (ऊपर) में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एकल विद्वान अधिवक्ता है, जो उक्त निर्णय के आधार पर प्रतिवादी नं.2 कि यदि प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (ऊपर) का अनुपालन नहीं किया गया है, तो भी उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।उक्त निर्णय प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (ऊपर) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार है, जिसका बाद में बाबू वेंकटेश के मामले (ऊपर) में पालन किया गया था।यह न्यायालय भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से बाध्य है।इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एकल पीठ के उक्त फैसले के अवलोकन से भी पता चलेगा कि उक्त मामले में यह देखा गया था कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपराध स्थापित हुए थे और यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि जो शिकायत/प्राथमिकी दर्ज की गई थी वह दुर्भावनापूर्ण, तुच्छ या परेशान करने वाली थी और न ही इसमें आरोपी का मामला था कि शिकायतकर्ता ने भौतिक तथ्यों को छुपाया था।

इसके अलावा, प्रतिवादी सं. द्वारा निर्भरता रखी गई है।2 श्री पंचाभाई पोपोतभाई बुटानी के मामले (ऊपर) में बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर।शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाता है कि उक्त निर्णय 10.12.2009 पर दिया गया था और यह

प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (ऊपर) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले था।उक्त निर्णय में निर्धारित कानून भी प्रतिवादी नं. के लिए विद्वान अधिवक्ता के तर्क का समर्थन नहीं करेगा।2.उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आम तौर पर एक व्यक्ति को संहिता की खंड 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर करके संहिता की खंड 190 के तहत संज्ञान लेने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट की शक्ति का सहारा लेने से पहले संहिता की खंड 154 के प्रावधानों का आह्वान करना चाहिए और कम से कम संहिता की खंड 154 (1) के तहत पुलिस को सूचना देने की आवश्यकता थी, जो संहिता की खंड 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों के आह्वान के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त होगी।उक्त मामले में, हालांकि यह देखा गया था कि कानून की उक्त उक्ति अपवाद से मुक्त नहीं है और ऐसे मामले हो सकते हैं जहां उपरोक्त प्रावधानों का पालन न करने से खंड 156 (3) के संदर्भ में मजिस्ट्रेट को उसकी अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं किया जा सकता है और ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पुलिस तुरंत कार्रवाई करने में विफल रहती है और मामले के तथ्यों से पता चलता है कि अपराध के साक्ष्य के नष्ट होने की संभावना है या एक आवेदक अपवाद के माध्यम से सीधे मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है।यहां तक कि उक्त निर्णय के अनुसार, अधिदेश धारा 154 (1) और 154 (3) के प्रावधानों का पालन करना है।प्रतिवादी 734 द्वारा कुछ भी नहीं दिखाया गया है।

नहीं।2 ताकि उसके मामले को निर्णय में उल्लिखित अपवादों के भीतर लाया जा सके, बल्कि आवेदक-प्रतिवादी नं।2 रोहिणी अदालत, नई दिल्ली के समक्ष खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत पहले के आवेदन सहित एक के बाद एक शिकायत दर्ज की है।जो भी हो, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून है जो देश का कानून है और सभी उच्च न्यायालयों द्वारा इसका पालन और पालन किया जाना है।

(55) तीसरा निर्णय प्रतिवादी नं. के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया।2 उपरोक्त पहलू पर साकिरी वासु के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का

निर्णय है।उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा 9,10 और 11 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:–0

“9. याचिकाकर्ता (इसमें अपीलकर्ता) ने रिट याचिका में अनुरोध किया कि मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में 'सीबीआई') द्वारा करने का आदेश दिया जाए।चूंकि उनकी याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी, इसलिए विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील की गई।

10. इस न्यायालय द्वारा सी. बी. आई. और एक अन्य बनाम राजेश गांधी और एक अन्य, 1997 Cr.L.J63 (पैरा 8 के माध्यम से) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई भी इस बात पर जोर नहीं दे सकता है कि किसी अपराध की जाँच किसी विशेष एजेंसी द्वारा की जाए।हम उपरोक्त निर्णय के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।एक पीड़ित व्यक्ति केवल यह दावा कर सकता है कि वह जिस अपराध का आरोप लगाता है, उसकी ठीक से जांच की जाए, लेकिन उसे यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसकी जांच उसकी पसंद की किसी विशेष एजेंसी द्वारा की जाए।

11. इस संबंध में हम यह बताना चाहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को शिकायत है कि पुलिस स्टेशन खंड 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रहा है, तो वह लिखित आवेदन द्वारा खंड 154 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकता है।भले ही इससे इस अर्थ में कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता है कि या तो प्राथमिकी अभी भी दर्ज नहीं की गई है, या कि इसे दर्ज करने के बाद भी कोई उचित जांच नहीं की गई है, पीड़ित व्यक्ति के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष खंड 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दायर करने का अधिकार है।यदि खंड 156 (3) के तहत ऐसा आवेदन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे सकता है और उचित जांच का निर्देश भी दे सकता है, ऐसे मामले में जहां पीड़ित व्यक्ति के अनुसार, कोई उचित जांच नहीं की गई थी।मजिस्ट्रेट उसी प्रावधान के तहत उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच की निगरानी भी कर सकता है।”

उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि उसी के अनुसार, यह कहा गया था कि खंड 154 (1) के तहत पुलिस स्टेशन के समक्ष एक आवेदन किया जाना है और यदि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, तो शिकायतकर्ता को खंड 154 (3) के तहत पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना चाहिए और उसके बाद ही, खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर किया जा सकता है।की गई उक्त टिप्पणियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप हैं।

प्रियंका श्रीवास्तव का मामला (ऊपर) और बाबू वेंकटेश का मामला

(उपर्युक्त) जिन पर याचिकाकर्ता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भरोसा करने की मांग की जाती है और जो किसी भी तरह से प्रतिवादी सं.2

(56) ग्राउंड नं. 4:विवादित आदेश में दुर्बलताएँ/अवैधताएँ

दिनांक 15.12.2021 का विवादित आदेश अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर उस पर अंतिम रिपोर्ट पर विचार किए बिना और रोहिणी अदालतों, दिल्ली में खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत दायर पहले के आवेदन और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किए बिना पारित किया गया है।आक्षेपित आदेश, ऊपर बताए गए आधारों के अलावा, निम्नलिखित कारकों के कारण भी अलग रखा जाना चाहिएः–

(i) विवादित आदेश के पैराग्राफ 4 में, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तैयार की गई दिनांकित 22.07.2020 की अंतरिम रिपोर्ट पर निर्भरता रखने की मांग की गई है।3 और 4.विवादित आदेश इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता है कि अंततः 22.07.2020 की रिपोर्ट के अनुसार, जो सिफारिशें की गई थीं (पृष्ठ 501) वे इस प्रकार हैंः–

"सिफारिशें

1. यह सुझाव दिया जाता है कि कंपनी सचिव/चार्टर्ड एकाउंटेंट/कानूनी से परामर्श किया जा सकता है कि क्या कोई कंपनी अपने एम. ओ. ए. में संशोधन करने से पहले एम. ओ. ए. में उल्लिखित क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र में काम कर सकती है, यदि उक्त बिंदु मान्य है, तो यू. एच. जी. आई. एस. को प्रदान किए गए अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य हो जाते हैं।

2. यह सुझाव दिया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी इस मामले में कुछ वित्तीय विशेषज्ञों को बुला सकते हैं ताकि लाभ और हानि विवरणों की जांच की जा सके कि क्या राजस्व बिक्री/आय आर. एफ. पी. में उल्लिखित दायरे में है।

3. यह सुझाव दिया जाता है कि विभाग क्यू. सी. बी. एस. विशेषज्ञ, बोली मूल्यांकन समिति के सदस्यों और एच. एस. एच. आर. सी. 736 को बुला सकता है

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

सदस्य यू. एच. जी. आई. एस., आई. एल. एंड एफ. एस. और एच. पी. को दिए गए तकनीकी स्कोर पर अपनी टिप्पणी दें।

4. विभाग इस पहलू पर गौर कर सकता है कि आंतरिक डी. पी. आर. अनुमान किसने तैयार किया और क्या बोलीदाताओं को इसकी जानकारी दी गई थी? यदि कोई फर्म डी. पी. आर. अनुमान से कम दरों का हवाला देती है, तो क्या बोलीदाताओं को यह उल्लेख किया गया था कि उनकी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी?

5. शिकायतकर्ता और एच. एस. एच. आर. सी. दोनों पक्षों को गठित समिति के सामने बुलाया जाना चाहिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी के सामने उनके दृष्टिकोण को सुना जा सकता है।

6. एच. एस. एच. आर. सी. के सदस्य जो बोली मूल्यांकन समिति का हिस्सा नहीं थे), एन. आई. एस. जी., स्वास्थ्य विभाग, हार्ट्रोन, डी. आई. टी. ई. सी. एच., आई. एस. एम. ओ. और एन. आई. सी. सहित एक नई समिति का गठन किया जाना चाहिए ताकि शिकायत सहित सभी दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया जा सके और अपने विशेषज्ञ विचार दिए जा सकें।

एस/डी एस/डी

(संजय सेठी) (पुनीत बरार) सहायक।महाप्रबंधक

वरिष्ठ सलाहकार,

हार्ट्रोन एसआईटी "

उक्त अनुशंसा के अवलोकन से पता चलेगा कि खंड 6 में दिए गए सुझाव सहित कई सुझाव दिए गए थे कि एक नई समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें एच. एस. एच. आर. सी., एन. आई. एस. जी., स्वास्थ्य विभाग, एच. ए. आर. टी. ओ. एन. आदि के सदस्य शामिल होंगे। उक्त सिफारिश किए जाने के बाद, एक संयुक्त समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री. प्रभजोत सिंह, आई. ए. एस., मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा, जिसमें उक्त प्रभजोत सिंह के अलावा 11 व्यक्ति थे, जिसमें संजय सेठी और पुनीत बरार भी शामिल थे, प्रतिवादी नं।3 और 4 क्रमशः जिन्होंने उक्त अंतरिम रिपोर्ट तैयार की थी और सभी सदस्यों की फाइल और रिपोर्ट पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, यह देखा गया कि समिति बोली मूल्यांकन समिति की ओर से कोई चूक या कमी नहीं पा सकी और इसके बारे में विस्तृत कारण दिए गए थे।यह भी देखा गया कि प्रतिवादी नं।2/शिकायतकर्ता स्वयं बोली प्रक्रिया में बहुत अधिक शामिल था क्योंकि वह कार्यवाही के वीडियो में दिखाई दे रहा था और किसी भी भ्रष्ट कार्य या आपराधिक श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे।

भंग या यह कि उक्त प्रमाण पत्र जाली और मनगढ़ंत थे या बैलेंस शीट या लाभ और हानि खाते के संबंध में कोई मुद्दा था जिसकी वित्त और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई थी और अंततः शिकायत दर्ज की गई थी।12.01.2021 दिनांकित रिपोर्ट/पत्र का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

“3. तदनुसार, एच. एस. एच. आर. सी. द्वारा एच. आई. एस. के कार्यान्वयन के लिए जारी निविदा के अनुदान में किए गए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में निष्कर्ष निकालने के लिए ओ/ओ. हार्ट्रॉन के दो अधिकारियों की एक समिति ने निविदा दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच की। समिति ने अपनी टिप्पणियां कीं और निम्नलिखित की सिफारिश कीः

आई. यह सुझाव दिया जाता है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट/कानूनी/कंपनी सचिव से परामर्श किया जा सकता है कि क्या कोई कंपनी अपने एम. ओ. ए. में संशोधन करने से पहले एम. ओ. ए. में उल्लिखित क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र में काम कर सकती है। यदि उक्त बिंदु मान्य है, तो यू. एच. जी. आई. एस. को प्रदान किए गए अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य हो जाते हैं।

ii.यह सुझाव दिया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी इस मामले पर कुछ वित्तीय विशेषज्ञों को बुला सकते हैं ताकि लाभ और हानि विवरण की जांच की जा सके कि क्या राजस्व बिक्री/आय आर. एफ. पी. में उल्लिखित दायरे में है।

iii.यह सुझाव दिया जाता है कि विभाग क्यू. सी. बी. एस. विशेषज्ञ, बोली मूल्यांकन समिति के सदस्यों और एच. एस. एच. आर. सी. के सदस्यों को यू. जी. एच. आई. एस., आई. एल. एंड एफ. एस. और एच. पी. को दिए गए तकनीकी अंक पर अपनी टिप्पणी देने के लिए बुला सकता है।

iv.विभाग इस पहलू पर गौर कर सकता है कि आंतरिक डी. पी. आर. अनुमान किसने तैयार किया और क्या बोलीदाताओं को इसकी जानकारी दी गई थी? यदि किसी भी फर्म ने डी. पी. आर. के अनुमान से कम दरों का हवाला दिया है, तो क्या बोलीदाताओं को यह उल्लेख किया गया था कि उनकी बोली स्वीकार की जाएगी?

v. शिकायतकर्ता और एच. एस. एच. आर. सी. दोनों पक्षों को गठित समिति के सामने बुलाया जाना चाहिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी के सामने उनके दृष्टिकोण को सुना जा सकता है।

vi.एच. एस. एच. आर. सी. के सदस्यों (जो बोली मूल्यांकन 738 का हिस्सा नहीं थे) सहित एक नई समिति का गठन किया जाना चाहिए।

समिति), एन. आई. एस. जी., स्वास्थ्य विभाग, हारट्रॉन, डी. आई. टी. ई. सी., आई. एस. एम. ओ. और एन. आई. सी. शिकायत सहित सभी दस्तावेजों के गहन अध्ययन और अपने विशेषज्ञ विचार देने के लिए।

XXX XXX XXX

4. रिपोर्ट के अवलोकन और ओ/ओ हार्ट्रोन द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सी. वी. ओ. ने प्रस्ताव दिया था कि स्वास्थ्य विभाग, एच. एस. एच. आर. सी., एन. आई. एस. जी., हार्ट्रोन, डी. आई. टी. ई. सी., आई. एस. एम. ओ. और एन. आई. सी. के विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए जिसमें शिकायत पर गौर करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट, कानूनी विशेषज्ञ शामिल हों।इसे सरकार को प्रस्तुत किया गया था और इस प्रस्ताव को माननीय स्वास्थ्य मंत्री और योग्य एसीएस स्वास्थ्य और श्री की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। प्रभलजोत सिंह (आई. ए. एस.) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया था:1.डॉ. जे. एस. ग्रेवाल, ए. डी. सी. एच. एस–सह–सी. वी. ओ.

2. Dr.Bhavneesh अरोड़ा, एस. एम. ओ., एच. एस. एच. आर. सी.

3. एस. राहुल जैन, वैज्ञानिक–एफ, एन. आई. सी., हरियाणा

4. एस. हरीश भाटिया, सिस्टम कार्यकारी अधिकारी, डी. आई. टी. ई. सी. एच., हरियाणा

5. एस. सुदीप्ता, सी. आई. एस. ओ. (आई. एस. एम. ओ.)

6. Sh.Sanjay सेठी, ए. जी. एम., हारट्रॉन

7. Sh.Puneet बरार, वरिष्ठ सलाहकार, हारट्रॉन

8. सुश्री आशा हुड्डा, कंपनी सचिव, एचएमएससीएल 9.एस. हरकेश आनंद, सीए एनएचएम, हरियाणा

10. सुश्री रीनू पठानिया, विधि अधिकारी, एनएचएम

11. एस. राहुल माथुर, वरिष्ठ महाप्रबंधक, एन. आई. एस. जी.

उक्त संयुक्त समिति ने चार बैठकें आयोजित करते हुए शिकायत में उल्लिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।सभी सदस्यों को ई–मेल/हार्ड कॉपी/पेन ड्राइव आदि के माध्यम से मामले से संबंधित सभी संबंधित दस्तावेज प्रदान किए गए थे। निविदा प्रक्रिया/अभ्यावेदन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी सदस्यों को उपलब्ध कराई गई थी। संयुक्त समिति की चौथी बैठक में सभी सदस्यों ने अपना व्यक्तिगत श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन जिनका अवलोकन करने के बाद सभापति ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

फाइल पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों और संयुक्त समिति के सभी सदस्यों (संख्या में 12) की रिपोर्टों को देखने के बाद, यह पता चलता है कि समिति बोली मूल्यांकन समिति की ओर द्वारा कोई चूक या कमी नहीं पा सकी।निम्नलिखित कुछ उल्लेखनीय बिंदु हैं जो निष्कर्ष का आधार बनते हैंः

XXX XXX XXX

6. शिकायतकर्ता बोली प्रक्रिया में बहुत अधिक शामिल था क्योंकि वह वीडियो में दिखाई दे रहा है और उसके हस्ताक्षर वहाँ हैं जैसा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय देखा गया था, जब 2.7.14 पर आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति की बैठक में मामला उठाया गया था तो वह मौजूद था।इस बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन वित्त मंत्री ने की थी और इसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री, एसीएस उद्योग, एसीएस स्वास्थ्य, डीजी एमईआर, निदेशक आपूर्ति और निपटान, ईडी एचएसएचआरसी और #36 #के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

7. शिकायतकर्ता ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं कि वह 16 सदस्यीय समिति के भ्रष्ट होने या आपराधिक भंग करने या पूर्व राजकोष को गलत और भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने के अपने दावों को क्यों और कैसे उचित ठहरा रहा है।उनके आरोप डब्ल्यू.

आर. टी. यू. एच. जी. अनुभव प्रमाणपत्रों के झूठे और मनगढ़ंत होने या डब्ल्यू. आर. टी. यू. एच. जी. बैलेंस शीट या लाभ और हानि विवरण आदि की वित्तीय विशेषज्ञों और संयुक्त समिति के कानूनी विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जांच की जाती है। हरकेश आनंद सीए श्रीमती आशा हुड्डा सी. एस., पठानिया एल. ओ. जिनकी रिपोर्टों पर भी रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय विचार किया गया था।

8. वित्तीय और विधि विशेषज्ञों के अलावा, इस जांच समिति के अन्य सदस्यों ने भी अपनी रिपोर्ट दी है जिन पर भी रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय विचार किया गया था।

इस प्रकार, सभी सदस्यों की रिपोर्टों के आधार पर और उपरोक्त निर्णायक बिंदुओं के आधार पर, यह प्रार्थना की जाती है कि एक ग्राहक (हरियाणा सरकार) को नियोक्ता और पूर्व कर्मचारी के बीच विवाद का पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए और इसलिए, शिकायत दर्ज की जा सकती है।

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा–सह–सी. वी. ओ. स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा "

जैसा कि फैसले के पहले भाग में पुनः प्रस्तुत किए गए ज़िम्नी आदेशों से स्पष्ट है, पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूरे रिकॉर्ड की मांग की थी और इस प्रकार, उक्त समिति की अंतिम सिफारिश पर विचार किए बिना दिनांकित अंतरिम रिपोर्ट के चुनिंदा हिस्सों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा था, और दिनांकित पत्र में की गई टिप्पणियों पर भी विचार नहीं करने के परिणामस्वरूप विवादित आदेश में गंभीर अवैधता आई है।

ii) विवादित आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि यह दूर से भी नहीं देखा गया है कि वर्तमान मामले में खंड 154 (1) और 154 (3) Cr.P.C के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन है। और

द्वारा पारित प्रियंका श्रीवास्तव के मामले (ऊपर) का फैसला

भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय।iii) आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 8 में, यह देखा गया है कि प्रतिवादी नं।2 अभियुक्त नं. की ओर से बोली प्रक्रिया में भी शामिल था।1–कंपनी और न्यायालय ने इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 की दिनांकित रिपोर्ट का संज्ञान लिया था।3 और 4.उपरोक्त तथ्य के अलावा कि उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को नहीं देखा गया था और जैसा कि ऊपर बताया गया है, दिनांकित 12.01.2021 पत्र पर भी ध्यान नहीं दिया गया था, यह ध्यान दें भी प्रासंगिक है कि यहां तक कि प्रतिवादी नं।2 सत्र न्यायाधीश, पंचकूला के समक्ष दिनांक 1 के विवादित आदेश को आपराधिक पुनरीक्षण दायर करके चुनौती दी थी और इसे उत्तर के साथ संलग्नक आर–2/7 के रूप में संलग्न किया गया है।उक्त पुनरीक्षण याचिका में प्रार्थना खंड नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

“इसलिए, यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय एल. डी. के अभिलेखों को मंगाने के लिए प्रसन्न हो। निचली अदालत और उसी पर विचार करने के बाद, इस पर प्रसन्न हो सकता हैः–

(i) Sh.Nitin राज द्वारा पारित 15/12/2021 के विवादित आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करें, Ld.Chief न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकुला ने COMI/63/2021 में इस हद तक 15/12/2021 पर निर्णय लिया कि वर्तमान याचिकाकर्ता–शरद कोठारी को No.508, दिनांक 23/12/2021 u/ss 406/409/420 465/467 468/471/120 b प्राथमिकी सी. में सहायक महाप्रबंधक संजय/पुनीत बरार की जगह एक शिकायतकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

((ii) आक्षेपित आदेश के पैरा 8 में गलत पंक्तियों (तथ्य का पता लगाना) को हटा दें। "यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि शिकायतकर्ता श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य में भी शामिल था।

741

(विकास बहल, जे.)

अभियुक्त की ओर से बोली प्रक्रिया सं।1… .”

(iii) निजी प्रत्यर्थी/ओं को नोटिस/एस के साथ वितरित करें क्योंकि उक्त प्रतिवादी को सीजेएम, पंचकूला के एलडी कोर्ट द्वारा कभी भी तलब नहीं किया गया था, कार्यवाही Cr.P.C की यू/एस 156–3 है।

(iv) इस पुनरीक्षण याचिका के निर्णय तक सहायक महाप्रबंधक संजय सेठी/पुनीत बरार को शिकायतकर्ता के रूप में शामिल करने वाली किसी भी कार्यवाही की पुलिस जांच पर रोक लगा दें।

(v) यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे जाने वाले किसी भी अन्य आदेश या निर्देश पारित कर सकता है।

(vi) ईओडब्ल्यू/पंचकुला/2937/एफ/19.10.2020 की कुल जांच कार्यवाही के रिकॉर्ड के लिए कॉल करें।

ध्यान देंः– समर्थन में शपथ पत्र संलग्न है।

स्थानःपीकेएल

शरद कोठारी–याचिकाकर्ता

तारीखः7/1/22

वकील द्वारा से

(समीर सचदेव, भानु कठपालिया) पी–2966/99

डी–2545/2012

अधिवक्ताओं,

याचिकाकर्ता के लिए वकील।”

उपरोक्त के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रतिवादी के मामले में भी नहीं।2, आक्षेपित आदेश में गलत अवलोकन थे।इसके अलावा, उपरोक्त संशोधन में एक प्रार्थना की गई थी कि प्रतिवादी नं।2 शिकायतकर्ता के रूप में फिर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।वही स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रतिवादी की याचिका नं।2 इस प्रभाव के लिए कि वह एक व्हिसलब्लोअर है, पूरी तरह से हास्यास्पद और प्रतिवादी नहीं है।2 केवल

याचिकाकर्ताओं से धन निकालने का इरादा था और याचिकाकर्ताओं को इस तथ्य के कारण परेशान करना चाहता था कि उनके द्वारा की गई अवैधताओं को सामने लाने के बाद उन्हें याचिकाकर्ता–कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा था।

iv) विवादित आदेश के पैराग्राफ 2 के अवलोकन से पता चलता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला दिनांकित 26.07.2021 आदेश में माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकन से प्रभावित थे, जिन्हें विवादित आदेश में उजागर किया गया है।पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस तथ्य ध्यान दें देने में विफल रहे हैं कि उक्त याचिका को वापस ले लिया गया था और यहां तक कि एक पूर्व याचिका भी 742

इस माननीय न्यायालय के समक्ष दायर याचिका को भी वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था।इस प्रकार, प्रतिवादी की प्रार्थना नं।2 इस प्रभाव से कि एक प्राथमिकी दर्ज की जाए/एस. आई. टी. का गठन किया जाए, इस न्यायालय की समन्वित पीठों द्वारा मंजूर नहीं किया गया था।आदेश के जिस हिस्से को सीजेएम, पंचकूला द्वारा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता किया गया था, वह प्रतिवादी नं.2 इसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष और यह माननीय न्यायालय का निष्कर्ष/अवलोकन नहीं था।दिनांक 26.07.2021 (अनुलग्नक पी–26) (पृष्ठ 537) के उक्त आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि न तो राज्य के वकील और न ही वर्तमान याचिकाकर्ताओं का कोई वकील उक्त मामले में पेश हुआ था।हालाँकि, उक्त आदेश 26.07.2021 पर पारित किया गया था लेकिन प्रतिवादी नहीं।2 उच्च न्यायालय के ध्यान में यह नहीं लाया गया था कि आर्थिक अपराध शाखा की दिनांकित अंतरिम रिपोर्ट का दिनांकित अंतिम रिपोर्ट में विलय कर दिया गया था और यहां तक कि दिनांकित पत्र का तथ्य 12.01.2021 (P–23) (पृष्ठ 503) भी माननीय उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था।

(v) रिलायंस द्वारा दिनांकित 01.09.2020 रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 पर विवादित आदेश में रखे जाने की भी गलत धारणा है, क्योंकि सबसे पहले यह आर्थिक अपराध शाखा

द्वारा है, न कि संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा।दूसरा, यहां तक कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक अपराध शाखा के निरीक्षक राजीव ने इसे आगे के आदेशों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत किया था।उक्त रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः– "इसलिए, मूल शिकायत, मूल बयान और विधिवत प्राप्त/प्राप्त दस्तावेजों (कुल 1–603 पृष्ठ) के साथ रिपोर्ट आगे के आदेशों के लिए प्रस्तुत की जाती है।

एसडी/–

(निरीक्षक राजीव) S.H.O./ECONOMIC ऑफ़ेंस विंग

आईएसटी फ़्लोर, पुलिस स्टेशन 2, पंचकुला 01.09.2020

अग्रेषित pls

एसडी/–

अस्स्टेट।के आयुक्त

पुलिस पंचकुला "

उसी के अनुसरण में, पंचकूला के पुलिस आयुक्त ने 19.10.2020 की रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया था कि शिकायत दर्ज की जाए।उक्त रिपोर्ट दिनांकित 19.10.2020 का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

से

पुलिस उपायुक्त, पंचकुला।

पुलिस आयुक्त

पंचकुला

No.2237P दिनांकित 19.10.2020

विषयःश्री शरद कोठारी निवासी H.No.107, स्वास्तिक कुंज अपार्टमेंट, सेक्टर–13, रोहिणी दिल्ली की शिकायत।

XXX XXX XXX

9. कि उपरोक्त के संबंध में एक राय जिला उप न्यायिक पंचकुला से प्राप्त की जाती है। जिला उप न्यायिक पंचकूला की सलाह के अनुसार हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम भी शिकायत की इसी तरह की शिकायत की जांच कर रहा है, जिसमें जांच लंबित है।उस शिकायत के परिणाम प्राप्त करने के बाद ही आगे की कार्रवाई करना उचित होगा।

इसलिए, शिकायत को लंबित रखने का कोई तर्क नहीं है, तदनुसार यह अनुशंसा की जाती है कि वर्तमान शिकायत को अभिलेख कक्ष में भेजा जाए।

तदनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

एस. डी./– 19.10.2020 पुलिस आयुक्त, पंचकुला।" इस तथ्य के बावजूद कि उक्त दो दस्तावेजों को खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन के साथ क्रमशः संलग्नक C–20 और C–19 के रूप में संलग्न किया गया है, सीजेएम, पंचकूला द्वारा दिनांकित 19.10.2020 की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया है और न ही दिनांकित 23.09.2020 की उप जिला अटॉर्नी की राय पर विचार किया गया है, जो तथ्य शिकायत के पैरा 32 और 33 (पृष्ठ 549) से स्पष्ट है।

(vi) प्रतिवादी की ओर से संक्षिप्त प्रस्तुतियों/उत्तर के पैराग्राफ 5 में नं।2, यह कहा गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला द्वारा तीन महीने की अवधि में सात अलग–अलग तिथियों पर मामले की सुनवाई की गई थी और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला ने पूरे प्रकरण की अपनी जांच की थी और एक सीलबंद लिफाफे में रिकॉर्ड भी मांगे थे, जिसके लिए, यहां तक कि प्रतिवादी के वकील की भी कोई पहुंच नहीं थी और प्रतिवादी नं.2 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला की अदालत ने अभिलेख का निरीक्षण करने से इनकार कर दिया था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला द्वारा

खुद को संतुष्ट करने के बाद, उन्होंने विवादित आदेश पारित किया था।प्रतिवादी सं. द्वारा उत्तर/संक्षिप्त प्रस्तुति के पैरा 5 का प्रासंगिक भाग।2 इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"एल. डी. के आदेशों को अभिलेख पर रखना उचित होगा। सी. जे. एम., पंचकुला, जिसके तहत प्रतिवादी का शिकायत मामला नं.2 यहाँ 7 अवसरों पर सूचीबद्ध किया गया था।एल. डी. के रूप में 3 महीने की अवधि में। सी. जे. एम., पंचकुला ने इस घटना की अपनी जांच की और एक सीलबंद लिफाफे में रिकॉर्ड भी मांगे (आदेश दिनांक 5/10/2021:यहां तक कि प्रत्यर्थी के वकील के पास भी उक्त मुहरबंद रिकॉर्ड तक कोई पहुंच नहीं थी और शिकायतकर्ता के वकील द्वारा रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए मौखिक अनुरोध को एल. डी. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। सीजेएम, पंचकूला की अदालत) ने संबंधित सरकारी विभागों से और उनकी अपनी संतुष्टि के बाद पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का पूरी तरह से कानूनी आदेश पारित किया है। ज़िम्नी आदेशों की एक प्रति सामूहिक रूप से संलग्नक आर 2/2 के रूप में संलग्न की गई है।)" यह केवल प्रतिवादी नहीं था।2 या उनके वकील जो इस बात से अवगत थे कि उपरोक्त कार्यवाही के दौरान क्या हुआ क्योंकि न तो याचिकाकर्ता और न ही उनके वकील उक्त कार्यवाही में मौजूद थे।उक्त पैराग्राफ में किए गए अभिकथन एक और मुद्दा उठाते हैं, जिसे याचिकाकर्ताओं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है कि आदेश 156 (3) Cr.P.C के तहत, अदालत को केवल यह देखने की आवश्यकता थी कि क्या संज्ञेय अपराध बनाया गया है या नहीं और आदेश 154 (1) और 154 (3) के प्रावधानों का अनुपालन देखने के लिए, सीजेएम, पंचकूला को केवल संबंधित पुलिस स्टेशन, यानी सेक्टर 5, पंचकूला से रिपोर्ट मंगानी थी और मामले में, प्रतिवादी नं.2 एतऽ ऊपर देल गेल जवाबकेँ अंकित मूल्य पर लेल गेल अछि, तखन ई स्पष्ट होइत अछि जे सीजेएम, पंचकुला स्वयं एहि मामलामे जाँच कयने छल आ एतऽ धरि कि अभिलेख शिकायतकर्ताक वकीलकेँ

उपलब्ध नहि कयल गेल छल आ एहि तरहेँ, सीजेएम, पंचकुला Cr.P.C क अध्याय XII सँ Cr.P.C क अध्याय XV मे स्थानांतरित भऽ गेल छल आ एक बेर जखन न्यायालय स्वयं जाँच करबाक निर्णय लऽ लेलक तखन न्यायालय अध्याय XII क अन्तर्गत प्रावधानसभक सहारा नहि लऽ सकैत छल आ प्राथमिकी आर. दर्ज करबाक आदेश नहि दऽ सकैत छल। एक बार जाँच हो जाने के बाद न्यायालय को अध्याय XV में निहित बाद के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए था। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह सकारात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट Cr.P.C के अध्याय XV में चले गए थे, लेकिन प्रतिवादी नं।2, यह स्पष्ट है कि पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं थी।

(57) अब प्रतिवादी नं. के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णयों ध्यान दें देना प्रासंगिक होगा।

2 उपरोक्त श्री मोनिशंकर हजरा बनाम हरियाणा राज्य के संबंध में

पहलू।प्रतिवादी नं. के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा पहले निर्णय पर भरोसा किया गया।2 राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है

पंजाब बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर का मामला (ऊपर)।द.

उक्त निर्णय वास्तव में इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा कि यदि प्रारंभिक कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है तो प्राथमिकी आदि सहित सभी परिणामी कार्यवाही विफल होनी चाहिए।उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"105. प्राथमिकी आर. निर्विवाद रूप से विवादित आदेशों के लिए एक अविभाज्य परिणाम है जो एक अमान्यता है।इसलिए, प्राथमिकी आर. का जन्म, जो विवादित आदेशों का प्रत्यक्ष परिणाम है, का कोई वैध अस्तित्व नहीं हो सकता है।प्राथमिकी आर. स्वयं एक प्रारंभिक जांच पर आधारित है जो बदले में उन आवेदकों द्वारा प्रस्तुत

हलफनामों पर आधारित है जिन्होंने खंड 482 सी. आर. पी. सी. के तहत याचिकाएं दायर की थीं।

106. आक्षेपित आदेश को कम से कम तीन आधारों पर अमान्य होने के लिए उचित रूप से चुनौती दी गई है, अर्थात्, न्यायिक पूर्वाग्रह; खंड 362 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू करने के आधार पर अधिकार क्षेत्र की कमी; और पीठ को खंड 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिकाओं पर विचार करने के लिए रोस्टर नहीं सौंपा गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया एक प्रेरित परिणाम प्राप्त करने के लिए डूबी हुई है जिसे हम स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

107. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि यदि प्रारंभिक कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है, तो बाद की सभी और परिणामी कार्यवाही इस कारण द्वारा विफल हो जाएगी कि अवैधता आदेश की जड़ पर हमला करती है।ऐसी तथ्य–स्थिति में, कानूनी उक्ति "सबलाटो फंडामेंटो कैडिट ओपस" जिसका अर्थ है कि नींव को हटाया जा रहा है, संरचना/कार्य गिरता है, चलन में आता है और वर्तमान मामले में सभी अंकों पर लागू होता है।

108. बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, 2000 (4) एस. सी. टी. 832 में; और केरल राज्य बनाम पुथेनकावु एन. एस. एस. करयोगम और अन्य, (2001) 10 एस. सी. सी. 191, इस न्यायालय ने कहा कि एक बार कार्यवाही का आधार समाप्त हो जाने के बाद, सभी परिणामी कार्य, कार्य, आदेश स्वचालित रूप से आधार पर आ जाएंगे और यह सिद्धांत न्यायिक, अर्ध–न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही पर समान रूप से लागू होता है।

109. इसी तरह मंगल प्रसाद तमोली (मृत) में एल. आर. एस. बनाम।

एल. आर. एंड ओ. आर. एस., (2005) 3 एस. सी. सी. 422 द्वारा नरवदेश्वर मिश्रा (मृत), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि प्रारंभिक चरण में कोई आदेश

कानूनी रूप से खराब है, तो उसके परिणामस्वरूप आगे की सभी कार्यवाहियां गैर–कानूनी होंगी और उन्हें अनिवार्य रूप से अलग करना होगा।

110. सी. अल्बर्ट मॉरिस बनाम के. चंद्रशेखरन और अन्य, 2005 (4) आरसीआर (सिविल) 603:2005(2) आर. सी. आर. (किराया) 498:(2006) 1 एस. सी. सी. 228, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कानूनी अधिकार केवल और केवल तभी मौजूद है जब इसका वैध मूल हो।(यह भी देखेःउपेन चंद्र गोगोई बनाम असम राज्य और अन्य, 1998 (2)

एस. सी. टी 235:(1998) 3 एससीसी 381; सच्चिदानंद मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य, 2004 (4) एस. सी. टी. 221:(2004) 8 एससीसी 599; क्षेत्रीय प्रबंधक, एस. बी. आई बनाम राकेश कुमार तिवारी, 2006 (1) एस. सी. टी. 451:(2006) 1 एससीसी 530; और रितेश तिवारी और ए. वी.उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, ए. आई. आर. 2010 सुप्रीम कोर्ट 3823)।

76. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि आक्षेपित आदेशों को अमान्य होने के कारण कायम नहीं रखा जा सकता है। परिणामस्वरूप, बाद की कार्यवाही/आदेश/प्राथमिकी आर./जाँच और स्वतः दूषित हो जाती हैं और गैर–कानूनी घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी होती हैं।"

उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि यदि प्रारंभिक कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है, तो ऐसी सभी परिणामी कार्यवाही विफल हो जाएंगी, क्योंकि अवैधता आदेश की जड़ पर हमला करती है।यह आगे देखा गया कि चूंकि विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सका, इसलिए बाद के आदेश/प्राथमिकी आर./जांच स्वचालित रूप से दूषित हो जाएगी और गैर–कानूनी घोषित होने के लिए उत्तरदायी होगी।उक्त सिद्धांत वास्तव में याचिकाकर्ताओं के मामले का समर्थन करेगा क्योंकि कई कानूनी मामलों में, विवादित आदेश और प्राथमिकी को दरकिनार/रद्द किया जाना चाहिए और आवश्यक रूप से उसी के संबंध में सभी कार्यवाही भी दरकिनार/रद्द कर दी जाएगी।

उपर्युक्त निर्णय के आधार पर, प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता नं।2 उन्होंने तर्क दिया है कि इस न्यायालय के पास मामले को सी. बी. आई. को भेजने की शक्ति है, उक्त पहलू के संबंध में यह ध्यान दें प्रासंगिक होगा कि मामला पहले से ही लोकायुक्त,

हरियाणा के समक्ष लंबित है।यहां तक कि प्रतिवादी सं. द्वारा दर्ज प्राथमिकी में रद्द करने की रिपोर्ट की स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए कार्यवाही।प्रतिवादी2 प्रतिवादी प्रतिवादीदप्रतिवार्दीप्रतिवादीलप्रतिवाद्प्रतिवादीलप्रतिवार्दीप्रतिवादी प्रतिवादीमप्रतिवार्देप्रतिवादींप्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादीप्रतिवादीईप्रतिवादी प्रतिवादीआप्रतिवादीपप्रतिवादीतप्रतिवाद्प्रतिवादीतप्रतिवार्दीप्रतिवादी/ प्रतिवादीवप्रतिवार्दीप्रतिवादीरप्रतिवादीप्रतिवादीधप्रतिवादी प्रतिवादीयप्रतिवादीप्रतिवादीचप्रतिवार्दीप्रतिवादीकप्रतिवादीप्रतिवादी प्रतिवादीनप्रतिवादीहप्रतिवादीप्रतिवादींप्रतिवादी प्रतिवादीदप्रतिवादीप्रतिवादीयप्रतिवादीरप्रतिवादी प्रतिवादीकप्रतिवादीप्रतिवादी प्रतिवादीगप्रतिवादीईप्रतिवादी प्रतिवादीहप्रतिवादैप्रतिवादी।प्रतिवादी2.वर्तमान मामला दूर का मामला भी नहीं है जिसे सी. बी. आई. को भेजा जाना चाहिए और वास्तव में, शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, भले ही प्राथमिकी आर. में आरोप श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य हों।

747

(विकास बहल, जे.)

सच माना जाता है।इस न्यायालय ने आगे पाया है कि पूरी कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण है और एक गुप्त उद्देश्य के साथ शुरू की गई है।यह भी देखा जा रहा है कि प्रतिवादी नं।2 फोरम शॉपिंग में लिप्त पाया गया है।इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, मामले को केवल सीबीआई को भेजा जाना है, मामले में जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से और केवल असाधारण परिस्थितियों में की गई है।हालांकि, प्रतिवादी नहीं।2 उसने अपने स्वयं के आपराधिक पुनरीक्षण को दाखिल करके विवादित आदेश को चुनौती दी है, लेकिन यह एक सीमित चुनौती है क्योंकि यह उसी में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी नं। 2 शिकायतकर्ता के रूप में जारी रखा जाए।इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त पहलू पर की गई टिप्पणियां वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगी।उक्त निर्णय में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतिवादी सं.2.

(58) प्रतिवादी नं. द्वारा भी रिलायंस को रखा गया है।2 कप्तान सिंह के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर (ऊपर)।उक्त मामला प्रतिवादी सं।2 चूंकि, उक्त मामले में, अन्य कारकों के अलावा, उक्त मामले में शिकायतकर्ता को मुट्ठी से पीटा गया था और उसमें से एक आरोपी, जिसके पास चाकू जैसा हथियार था, ने शिकायतकर्ता के सीने पर उसका "किनारे" वाला हिस्सा रखा और उसे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी, जिसमें विफल रहने पर, उसने उसे जान से मारने की धमकी दी और उक्त मामले में, शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में एक चिकित्सा रिपोर्ट भी पेश की।उक्त मामले में भा.दं.सं. सी. की खंड 406 के अलावा भा.दं.सं. सी. की खंड 329,386,147,148,149 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके अलावा, आरोप लगाया गया कि एक दस्तावेज जिसे मुन्नी देवी द्वारा ममता गुप्ता के पक्ष में निष्पादित करने का आरोप लगाया गया था, जाली और मनगढ़ंत था।उच्च न्यायालय ने कहा था कि भा.दं.सं. सी. की खंड 406 को नहीं बनाया जा सकता है और मुख्य आरोप से जुड़े बाकी आरोपों को भी खारिज कर दिया गया था।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि पक्षकारों के बीच निष्पादित किए गए दस्तावेज़ की जालसाजी के मुद्दे सहित गंभीर विचारणीय मुद्दा था और यह सवाल कि क्या दस्तावेज़ को विधिवत निष्पादित किया गया था या नहीं, उच्च न्यायालय के समक्ष गंभीर रूप से विवादित भी पाया गया था और इस प्रकार, उपरोक्त को देखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही को रद्द करने वाले आदेश को रद्द कर दिया गया था।उपरोक्त मामले में अभियुक्तों द्वारा कोई कानूनी तर्क नहीं दिया गया, जैसा कि वर्तमान याचिका में उठाया गया है।(59) इसके अलावा, प्रतिवादी सं. के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्भरता रखी गई है। 2 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर

मेसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत (ऊपर)।उक्त मामले में, 748

इस आशय का एक अंतरिम आदेश कि "कोई दंडात्मक उपाय नहीं अपनाया जाएगा" उच्च न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण बताए पारित किया गया था, जबकि खंड 482

Cr.P.C के तहत याचिका को लंबित रखा गया था।यह उक्त अंतरिम आदेश था जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि उक्त आदेश में कोई कारण नहीं दिए जाने के अलावा, इसके परिणामस्वरूप जांच अधिकारी को दंडात्मक उपाय करने से रोकने का एक व्यापक निर्देश मिलेगा।उक्त मामले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "कोई दंडात्मक कदम नहीं" के आदेश को पारित करने की प्रथा की निंदा की और वह भी बिना कोई कारण बताए।उक्त आदेश को दरकिनार करते हुए भी, यह देखा गया था कि ऐसे मामले में जहां प्राथमिकी में किसी भी संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का खुलासा नहीं किया गया है, अधिकार क्षेत्र जांच को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता है और आगे कहा कि मामले में अधिकार क्षेत्र हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य सहित विभिन्न निर्णयों में निर्धारित रद्द करने के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए उचित समझता है।यह कहा गया था कि अंतरिम आदेश पारित होने की स्थिति में भी उक्त मापदंडों पर विचार किया जाएगा, लेकिन अंतरिम आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पारित किया जाना है और वह भी, इसके लिए कारण बताते हुए और स्पष्ट रूप से बताते हुए कि अंतरिम आदेश क्यों पारित किया गया है।वर्तमान मामले में, "कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं" देने वाले ऐसे किसी भी आदेश को कोई चुनौती नहीं है और इस प्रकार, उक्त निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा।वास्तव में, यह कहना प्रासंगिक होगा कि उस समय जब वर्तमान याचिका पहली बार सुनवाई के लिए आई थी, याचिकाकर्ताओं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस तरह की अंतरिम राहत देने के लिए पुरजोर अनुरोध किया था, लेकिन इस न्यायालय ने सभी पक्षों की सहमति से पूरे मामले का फैसला करना उचित समझा और ऐसा करते समय, यह न्यायालय मैसर्स में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अवगत था।

नीहरिका इन्फ्रास्ट्रक्चर का मामला (ऊपर)।

(60) प्रतिवादी सं. के लिए विद्वान वकील।2 एच. डी. एफ. सी. सिक्यूरिटीज लिमिटेड के मामले (ऊपर) में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है और यह भी प्रतिवादी नं.2 किसी भी तरह से।खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत कार्यवाही को चुनौती देने के लिए उक्त मामले में उठाई विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी नं.2 वर्तमान मामले

में।उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, यह पाया गया था कि शिकायत ने संज्ञेय आयोग का खुलासा किया था।

17 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335 श्री मोनिशंकर हज़र बनाम हरियाणा राज्य

अपराध।उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"11. खंड 156 (3) का दायरा कई मामलों में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया।मकसूद सैय्यद मामले में इस न्यायालय ने खंड 156 (3) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा दिमाग के आवेदन की आवश्यकता की जांच की और कहा कि जहां खंड 156 (3) या खंड 200 के संदर्भ में दायर शिकायत पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, ऐसे मामले में, विशेष न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट एक वैध मंजूरी आदेश के बिना एक लोक सेवक के खिलाफ खंड 156 (3) के तहत मामले को संदर्भित नहीं कर सकते हैं।मजिस्ट्रेट द्वारा मन का प्रयोग आदेश में परिलक्षित होना चाहिए।"

उपरोक्त अवलोकन प्रतिवादी सं. के मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा।2 किसी भी तरह से।

प्रतिवादी नं. द्वारा भी रिलायंस को रखा गया है।2 मोसीरुद्दीन मुंशी के मामले (ऊपर) के फैसले पर और वही भी प्रतिवादी सं।2.उक्त मामले में, अभियुक्त द्वारा जो एकमात्र तर्क दिया गया था, वह यह था कि विवाद एक नागरिक विवाद था और इसलिए, प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए थी।वर्तमान मामले में वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों में से कोई भी उद्धृत फैसले में नहीं उठाई गई थी।भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि शिकायत में किए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, यह बहुत अच्छी तरह से पता लगाया जा सकता है कि आरोपी नं.1 और 2 जिसके अनुसरण में, शिकायतकर्ता ने उसमें पैसे के साथ भाग लिया था।यह आगे देखा गया कि आरोपी नं।2 उसमें संपत्ति पर अधिकार भी नहीं था क्योंकि उसके पक्ष में कोई पंजीकृत

दस्तावेज नहीं था और ऐसे आरोप थे कि दोनों अभियुक्तों ने आपराधिक साजिश रची थी और शिकायतकर्ता को धोखा दिया था जो पैसे लेकर भाग गया था और इस प्रकार, शिकायत ने प्रथमदृष्टया एक मामला बनाया जिसमें आगे की जांच की आवश्यकता थी। अतः उक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

(61) उपर्युक्त कारक इस तथ्य के अलावा कि दिल्ली में पहले ही शिकायतें दायर की जा चुकी थीं और उसी के साथ–साथ दिल्ली अदालतों में दायर खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत पहले की कार्यवाही के अनुसरण में रिपोर्ट के साथ–साथ उस पर पारित आदेशों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 750 से छुपाया गया था।

पंचकुला, इस प्रकार, विवादित आदेश को अलग करने का आह्वान करता है।

(62) ग्राउंड नं. 5:वर्तमान आवेदन यू/एस 156 (3) Cr.P.C दाखिल करने में देरी।

खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन 27.08.2021 पर दाखिल किया गया है।खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत दायर वर्तमान आवेदन के पैराग्राफ 26 (पृष्ठ 547) के साथ–साथ पैराग्राफ 39 (पृष्ठ 550) के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रतिवादी नं.2, उसने बोली प्रक्रिया के दौरान कथित अवैधताओं और अपराधों के संबंध में जानकारी प्राप्त की, 01.10.2015 पर, आरोपी नं।2– संदीप खुराना, जिन्होंने नशे की हालत में प्रतिवादी को सभी तथ्यों का खुलासा किया था।2.हालांकि, खंड 156 (3) Cr.P.C. के तहत आवेदन 5 साल से अधिक की देरी के बाद और प्रतिवादी संख्या 9 महीने की तारीख से दायर किया गया है।2 कथित घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की।

(63) ग्राउंड नं.6:याचिकाकर्ता–कंपनी के साथ निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली चार कंपनियों द्वारा याचिकाकर्ता–कंपनी के पक्ष में निविदा कार्यवाही और पुरस्कार के लिए गैर–चुनौती।

वर्तमान मामले में लगाए गए आरोप निविदा प्रक्रिया में की गई कथित अवैधताओं से उपजे हैं।यह ध्यान दें योग्य है कि बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रतियोगियों में से

किसी ने भी निविदा प्रक्रिया या याचिकाकर्ता नं.1–कंपनी।खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन के पैराग्राफ 12 के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रतिवादी नं.2 याचिकाकर्ता कंपनी के अलावा, चार अन्य प्रतियोगी थे जो इस प्रकार थेः–

"एस. नं. कंपनी का नाम

1. आईएल एंड एफएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

2. हेवलेट–पैकर्ड इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड

3. एक्सेंचर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

4. ईवाई/एन. डी. एस. एल. "

यह संबंधित पक्षों का स्वीकृत मामला है कि उक्त चार कंपनियों में से किसी ने भी, जो अच्छी तरह से स्थापित कंपनियां हैं, बोली प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी है और यदि बोली प्रक्रिया में कोई अवैधता की गई है, तो अन्य बोलीदाता पहले इसे चुनौती देने वाले होते।किसी भी तरह से, इस न्यायालय को मुख्य रूप से इस बात पर विचार करना होगा कि क्या आपराधिक श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य आयोग

जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, अपराध किए गए हैं या नहीं और उक्त पहलू पर, यह पाया गया है कि कोई आपराधिक अपराध नहीं बनाया गया है।

(64) ग्राउंड नं.7:प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत सं।2 लोकायुक्ता, हरियाणा के समक्ष आरोपों के उसी समूह पर, जिसमें प्राथमिकी आर. दर्ज करने के लिए भी अनुरोध किया गया है, जिसकी कार्यवाही लंबित है।

प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत सं।2 लोकायुक्ता, हरियाणा (पी–21) (पृष्ठ 478) के समक्ष अभी भी लंबित है।जैसा कि ऊपर दिए गए तथ्यों से स्पष्ट है, एक शिकायत दिनांक 23.01.2020 (शिकायत–5) लोकायुक्ता, हरियाणा के समक्ष दायर की गई थी।उक्त शिकायत का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"फॉर्म । (नियम 3 देखें)

लोकायुक्ता, हरियाणा से पहले शिकायत का फॉर्म

शिकायतकर्ता श्री रमेश चंद्र कोठारी के पुत्र लगभग 41 वर्षीय शरद कोठारी, निवासी 107, स्वास्तिक कुंज अपार्टमेंट, सेक्टर–13, रोहिणी, दिल्ली वर्तमान में बेकर टिल्ली जेएफसी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं।हैदराबाद।

आपत्ति की बात में फिर से

(फिर)

(1) डॉ. आशीष गुप्ता, कार्यकारी निदेशक, एचएसएचआरसी (अध्यक्ष)

(2) डॉ. भावेश सिंह, परियोजना सलाहकार एचएसएचआरसी (3) (3) डॉ. परवीन सेठी, निदेशक, दंत चिकित्सा/योजना

(4) डॉ. परवीन गर्ग, निदेशक, अस्पताल प्रबंधन प्रभाग।

(5) डॉ. परेश भूषण, डिप्टी सिविल सर्जन, सिरसा।

(6) (6)डॉ. संजीव त्रेहन, सर्जन और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जीएचपीचकुला।

(7) डॉ. एम. पी. शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, (आई. टी. प्रकोष्ठ) डी. जी. एच. एस. कार्यालय

(8) श्री रमेश चेहल।चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधि।

(9) Mr.Rajiv मोंगा, हार्ट्रॉन (आई. टी. विभाग द्वारा नामित)

(10) श्री संदीप मोदगिल, एन. आई. सी. (आई. टी. 752 द्वारा नामित)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

विभाग)।

(11) श्री आलोक शर्मा, प्रमुख राज्य ई–मिशन दल (एस. ई. एम. टी.) (आई. टी. विभाग द्वारा नामित)।

(12) श्री नितिन सूद।वरिष्ठ सलाहकार।एसईएमटी (आईटी विभाग द्वारा नामित)।

(13) डॉ. अमित फोगाट, उप निदेशक आईटी और निगरानी, एनआरएचएम।

(14) एस. संजीव जैन, लेखा अधिकारी, एनआरएचएम।

(15) एस. हरीश बिष्ट, कार्यक्रम अधिकारी (आईटी), एनआरएचएम। (16) श्री जी. चामू, वरिष्ठ प्रबंधक, एनआईएसजी

(17) श्री गौतम सिन्हा।प्रधान सलाहकार, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी)।

यूएचजीआईएस के अधिकारी और कर्मचारी

(1) संदीप खुराना, तत्कालीन उपाध्यक्ष–इंडिया बिजनेस।

(2) अनुराग खोसला तब यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे।

(3) टिम ट्रुजिलो, तत्कालीन मुख्य अनुपालन अधिकारी और उप–सामान्य वकील।

(4) रजत बंसल तब मुख्य वित्तीय अधिकारी थे।(5) गायत्री वर्मा तब एच. आर. प्रमुख थीं।

(6) (6)पार्थ मिश्रा तब सी. ई. ओ. थे।

(7)जॉन सेंटेली, मुख्य तकनीकी अधिकारी।

सभी सी/ओ यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड 12वीं और 14वीं मंजिल, टावर–बी, यूनिटेक साइबर पार्क, सेक्टर–39, गुरुग्राम, हरियाणा–122001।

(6) यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यू. एच. जी. आई. एस. ने उपरोक्त निविदा के लिए 13.3.2014 पर आवेदन किया था और यह यू. एच. जी. आई. एस. को दिया गया था, जो पूरी तरह से Sr.No के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों/योग्यताओं का उल्लंघन था। निविदा/आर. एफ. पी. के पैरा 4.3 खंड–2 का 7। खंड में कहा गया है

कि बोलीदाता का आईटी व्यवसाय और संचालन से कम से कम 100 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार होना चाहिए (सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज, सॉफ्टवेयर श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य)।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों (यानी 2010–2011, 2011–12, 2012–13) में से प्रत्येक के दौरान पिछले 2 वर्षों में सकारात्मक निवल मूल्य और लाभप्रदता के साथ विकास सेवाएं, हार्डवेयर आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं)।इसके अलावा, प्रतिभागी/बोलीदाता को योग्यता के प्रमाण में 'लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ और हानि से उद्धरण; या सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

जबकि, यू. एच. जी. आई. एस. ने बोली जमा करते समय, न तो लेखापरीक्षित तुलनपत्र और आवश्यकता के अनुसार लाभ और हानि के उद्धरण दाखिल किए और न ही उसने अपने वैधानिक लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो प्रमाणित करता है कि कंपनी का सेवाओं से 100 करोड़ रुपये का कारोबार था।

इसके अलावा, यू. एच. जी. आई. एस. को उपरोक्त सभी क्षेत्रों/सेवाओं में काम करना चाहिए था।यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यू. एच. जी. आई. एस. उक्त क्षेत्र में काम नहीं कर सकता था जो उनके एम. ओ. ए. और ए. ओ. ए. के अवलोकन से स्पष्ट है। एम. ओ. ए. और ए. ओ. ए. कंपनी को ऐसी गतिविधियों को करने की अनुमति नहीं देते हैं।

उक्त निविदा की खरीद के लिए यू. एच. जी. आई. एस. के निदेशकों और अन्य अधिकारियों ने यू. एच. जी. आई. एस. के संगठन के ज्ञापन में दिनांक 29.04.2014 के विशेष प्रस्ताव के माध्यम से संशोधन किया और यू. एच. जी. आई. एस. के संगठन के ज्ञापन के आपत्ति खंड में खंड आई. बी. और 1. सी. को शामिल किया, जिससे कंपनी के उद्देश्यों में उपरोक्त गतिविधियों/सेवाओं (उपर्युक्त) को शामिल किया गया। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बोलियां यू. एच. जी. आई. एस. द्वारा मार्च

2014 के महीने में प्रस्तुत की गई थीं, जबकि संघ के ज्ञापन में संशोधन अप्रैल 2014 के अंत में किया गया था और इसे कंपनी के पंजीयक द्वारा 3.6.2014 पर अनुमोदित किया गया था।संघ के संशोधित ज्ञापन की प्रति अनुलग्नक–सी–2 है।

(7) आर. एफ. पी. के अध्याय 4.3 खंड–2 के क्रम संख्या 8 के संबंध में, प्रतिभागी/बोलीदाता को कई स्थानों पर बड़ी तीन महत्वपूर्ण आई. टी. परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने/निष्पादित करने की प्रक्रिया में होने का अनुभव होना चाहिए।महत्वपूर्ण आई. टी. परियोजनाएं 754 सहित आई. टी. अनुप्रयोग से जुड़ी परियोजनाओं से संबंधित होनी चाहिए।

विकास, विन्यास, अनुकूलन और एकीकरण, सर्वर की स्थापना और चालू करने सहित आई. टी. अवसंरचना, क्लाइंट–एंड और नेटवर्किंग अवसंरचना, मानव शक्ति, आई. टी. समर्थन और हेल्पडेस्क समर्थन सहित अनुप्रयोग और अवसंरचना के संचालन और रखरखाव सेवाएं।इसके अलावा, बोलीदाता को कार्य आदेश पूरा करने के प्रमाण पत्र की प्रति जमा करने की आवश्यकता थी।

आर. टी. आई. के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, यू. एच. जी. आई. एस. ने पैरा 4.3 के Sr.No.8 में उल्लिखित शर्तों/योग्यताओं का पालन आदेश के लिए दो प्रस्तुत किए।

अनुभव प्रमाण पत्र, एक मेसर्स ऑप्टम इंक (यूएसए) से और दूसरा मेसर्स एडवांस केयर (पुर्तगाल) से।लेकिन ये प्रमाण पत्र झूठे और मनगढ़ंत हैं।यू. एच. जी. आई. एस. द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्रों की प्रतियां क्रमशः अनुलग्नक सी–3, सी–4 और सी–5 के रूप में संलग्न हैं।

अनुभव प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता इस तथ्य के कारण अत्यधिक संदिग्ध है कि यू. एच. जी. आई. एस. और ओ. पी. टी. यू. एम. ने लर्नड एन. सी. एल. टी., हैदराबाद के समक्ष समामेलन याचिका दायर की थी, जिसकी अनुमति दिनांक

20.3.2017 के आदेश द्वारा दी गई थी।उक्त आदेश के पैरा 4 में, एक स्पष्ट निष्कर्ष है कि ऑप्टम वास्तव में यूएचजीआईएस की होल्डिंग कंपनी है। लर्नड एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्नक सी–6 के रूप में संलग्न है।

यह भी पता चला है कि ओ. पी. टी. यू. एम. के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले श्री जॉन सेंटेली वास्तव में संबंधित समय में श्री पार्थ मिश्रा के रिपोर्टिंग प्रबंधक थे जो उस समय यू. एच. जी. आई. एस. के प्रमुख थे और यू. एच. जी. आई. एस. की बोली समीक्षा समिति का भी नेतृत्व कर रहे थे जो बोली प्रक्रिया में शामिल थी।

XXX XXX XXX

प्रार्थना करें

अतएवं ऐसा है।प्रार्थना की कि ऊपर उल्लिखित लोक सेवक के खिलाफ जांच की जाए और भ्रष्टाचार, आपराधिक भंग आदि के गंभीर संज्ञेय अपराध को करने और न्यायाधीश के हित में पूर्व राजकोष को गलत और भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए कानून के सभी सक्षम प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय, यदि उचित समझे, तो मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (इसके बाद 'सीबीआई' के रूप में संदर्भित) जैसी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंप दे।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय संबंधित लोक सेवकों को हरियाणा राज्य में अस्पताल सूचना प्रणाली (एच. आई. एस.) के कार्यान्वयन दिनांक 14.12.2013for प्रस्ताव के अनुरोध के खिलाफ निविदा जारी करने और निविदा के आवंटन के संबंध में पूरा रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दे।

एसडी/–

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर (शरद कोठारी) "

उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि लोकायुक्ता, हरियाणा के समक्ष दायर शिकायत में खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन में लगाए गए आरोपों के समान आरोप हैं, जिसमें एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी अनुरोध किया गया है और यह खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन से पहले दायर किया गया था और वर्तमान में यह लोकायुक्ता हरियाणा के समक्ष लंबित है। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नं.2 याचिकाकर्ताओं से बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से उपलब्ध प्रत्येक मंच पर एक के बाद एक शिकायत दर्ज कराई जा रही है।उपर्युक्त मामले में जांच लंबित होने के बावजूद, प्रतिवादी नं।2 खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन दायर करने का विकल्प चुना है, जिसके आधार पर वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई है, ताकि किसी तरह याचिकाकर्ताओं से धन निकाला जा सके, जिसके बारे में उनके द्वारा 01.06.2016 पर एक कानूनी नोटिस जारी किया गया था।प्रतिवादी का आचरण सं।2 जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(65) ग्राउंड नं.8:खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत वर्तमान आवेदन दायर करने के लिए शिकायतकर्ता के अधिस्थिति का अभाव।

प्रतिवादी सं. के लिए विद्वान वकील।2 प्रस्तुत किया था कि प्रतिवादी नं।2 खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत शिकायत दर्ज करने का प्रत्येक अधिकार था और उक्त उद्देश्य के लिए, उन्होंने खंड 39 Cr.P.C के प्रावधान का उल्लेख किया है। खंड 39 Cr.P.C को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"39. जनता को कुछ अपराधों की जानकारी देना।

(1) प्रत्येक व्यक्ति, 756 के आयोग, या के बारे में जानता है

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के तहत दंडनीय कोई भी अपराध करने का किसी अन्य व्यक्ति का इरादा, अर्थात्ः–

(i) खंड 121 से 126, दोनों समावेशी, और खंड 130 (अर्थात, उक्त संहिता के अध्याय VI में निर्दिष्ट राज्य के खिलाफ अपराध);

((ii) धारा 143, 144, 145, 147 और 148 (अर्थात उक्त संहिता के अध्याय VIII में निर्दिष्ट सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध);

(iii) धारा 161 से 165 ए, दोनों समावेशी (अर्थात, अवैध संतुष्टि से संबंधित अपराध);

(iv) धारा 272 से 278, दोनों समावेशी (अर्थात, खाद्य और मादक पदार्थों आदि में मिलावट से संबंधित अपराध); (v) धारा 303 और 304 (अर्थात, जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध);

((क) 1 खंड 364 क (अर्थात फिरौती आदि के लिए अपहरण से संबंधित अपराध);

(vi) आदेश 382 (अर्थात, चोरी करने के लिए मृत्यु, चोट या संयम पैदा करने की तैयारी के बाद चोरी का अपराध);

(vii) खंड 392 से 399, दोनों समावेशी, और खंड 402 (अर्थात, डकैती और डकैती के अपराध);

((viii) खंड 409 (अर्थात लोक सेवक आदि द्वारा आपराधिक भंग से संबंधित अपराध);

(ix) धारा 431 से 439, दोनों समावेशी (अर्थात, संपत्ति के खिलाफ शरारत के अपराध);

(x) धारा 449 और 450 (अर्थात, गृह–अतिक्रमण का पद);

(xi) धारा 456 से 460, दोनों सहित (अर्थात, छिपे हुए घर में अतिचार के अपराध); और

(xii) धारा 489ए से धारा 489ई, दोनों सहित (अर्थात, मुद्रा नोटों और बैंक नोटों से संबंधित अपराध), किसी भी उचित बहाने की अनुपस्थिति में में, यह साबित करने का बोझ कि कौन सा बहाना इस तरह से जागरूक व्यक्ति पर होगा, तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को ऐसे कार्य या इरादे की जानकारी देगा।

(2) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अपराध" शब्द में भारत से बाहर किसी भी स्थान पर किया गया कोई भी कार्य शामिल है जो भारत में किए जाने पर अपराध होगा।"

यह तर्क दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो खंड 39 में वर्णित किसी भी अपराध को करने के लिए किसी भी व्यक्ति के इरादे के बारे में जानता है, वह शिकायत दर्ज कर सकता है।उपखंड (viii) को प्रतिवादी सं.2 यह बताना कि भा.दं.सं. सी. की खंड 409 के तहत किए गए अपराध के लिए, उसे शिकायत दर्ज करने का अधिस्थिति है।उक्त तर्क पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और यह बिना किसी योग्यता के पाया गया है।खंड 39 Cr.P.C के अवलोकन से पता चलता है कि प्राथमिकी सी. की खंड 406,420,465,467,468,471 और 120बी में से किसी भी अन्य अपराध का उल्लेख खंड 39 Cr.P.C में नहीं मिलता है।इस प्रकार, उक्त प्रावधान के अनुसार प्रतिवादी सं।2 खंड 39 Cr.P.C के प्रावधान के अनुसार, तीसरे व्यक्ति के रूप में प्राथमिकी आर. दर्ज कराने का अधिस्थिति नहीं होगा, केवल खंड 39 Cr.P.C में उल्लिखित खंडओं के तहत प्राथमिकी आर. दर्ज कराई जा सकती है। खंड 409 के संबंध में, यह ध्यान दें प्रासंगिक होगा कि उक्त खंड वर्तमान मामले में दूर से भी आकर्षित नहीं है जैसा कि यहां ऊपर विस्तृत किया गया है और जैसा कि प्रतिवादी नं.2 कि किसी भी याचिकाकर्ता को प्रतिवादी सं. द्वारा बहुत कम संपत्ति सौंपी गई थी।2 लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी, कारक, दलाल या एजेंट के रूप में उनकी क्षमता में। यहाँ तक कि स्वामी के मामले (ऊपर) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जिस पर प्रतिवादी नं.2, लोकस स्टैंडी के लिए एक अधिस्थिति बनाने के लिए यह दिखाया जाएगा कि उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध के लिए एक लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए शिकायत दर्ज की जा सकती है। कानून का उक्त प्रस्ताव वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा क्योंकि खंड 156 (3) के तहत शिकायत में किसी भी लोक सेवक को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत आवेदन/शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण के प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई है।

(66) निष्कर्षः

कि उपरोक्त कारकों के आधार पर, इस न्यायालय की राय है कि विवादित आदेश के साथ–साथ उससे उत्पन्न होने वाली बाद की प्राथमिकी को रद्द किया जाना चाहिए। ऊपर देखे गए निर्णयों के अलावा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ–साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों ने बार–बार यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां आधार, जैसा कि वर्तमान मामले में हैं, बनाए गए हैं, तो उच्च न्यायालय 758 को रद्द करने के लिए खंड 482 Cr.P.C के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

कार्यवाहियों के साथ–साथ विवादित आदेश को दरकिनार करना।माननीय

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन में भारत का सर्वोच्च न्यायालय

लाल और अन्य (ऊपर) ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः– "102. अध्याय 14 के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की खंड 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायाधीशालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्देशित और कठोर दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और

असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

1. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथमदृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

2. जहां एफ. आई. आर. के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों में आरोप, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की खंड 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की खंड 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

3. जहां प्राथमिकी आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

4. जहां एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर–संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की खंड 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

5. जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने हास्यास्पद तर्क और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिसके आधार पर श्री मोनिशंकर हजरा बनाम हरियाणा राज्य

कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।6. जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या

संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है।

7. जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।"

उपर्युक्त मामले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायाधीशालय ने चित्रों के माध्यम से विभिन्न मामलों की श्रेणियों की गणना की थी, जिसमें खंड 482 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है।यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वर्तमान मामला श्रेणी 1,2,3 और 7 में उल्लिखित मानकों के अंतर्गत आएगा।

(67) माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी. टी. एंटनी के मामले (ऊपर) में निम्नलिखित टिप्पणी की है:–

"हालाँकि, जाँच की व्यापक शक्ति एक नागरिक को हर बार एक ही घटना के संबंध में पुलिस द्वारा नए सिरे से जाँच के अधीन करने की गारंटी नहीं देती है, जिससे एक या अधिक संज्ञेय अपराध को जन्म मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप खंड 173 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत अंतिम रिपोर्ट दर्ज करने से पहले या बाद में लगातार प्राथमिकियाँ दर्ज की जाती हैं। यह स्पष्ट रूप से खंड 154 और 156 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के दायरे से बाहर होगा, नहीं तो किसी मामले में जाँच की वैधानिक शक्ति के दुरुपयोग का मामला।हमारे विचार में दूसरी या लगातार प्राथमिकियों के आधार पर नए सिरे से जांच का मामला, जो एक ही लेन–देन के दौरान किए गए कथित या संबंधित संज्ञेय अपराध के संबंध में दायर किया गया है और जिसके संबंध में पहली प्राथमिकी के अनुसार या तो जांच चल रही है या खंड 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है, खंड 482 आपराधिक 760 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला हो सकता है।

प्रक्रिया संहिता, 1973 या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत।

XXX XXX XXX

इस मामले में अपनाया गया पाठ्यक्रम, अर्थात्, उसी घटना के संबंध में दूसरी प्राथमिकी के रूप में जानकारी का पंजीकरण और नए सिरे से जांच करना दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की योजना के तहत अनुमत नहीं है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसलिए की गई जांच और उसकी रिपोर्ट अमान्य नहीं हो सकती है।इसलिए, हमारे पास इसे रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और जांच एजेंसी को मजिस्ट्रेट के अपराध संख्या 353/94 या 354/94 में आगे की जांच करने, आगे की रिपोर्ट या रिपोर्ट भेजने और इस तरह कानून के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति लेने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।"

उपर्युक्त पुनर्निर्मित निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि यदि एक घटना के संबंध में पहले से ही एक प्राथमिकी दर्ज है, तो उसी घटना के संबंध में दूसरी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है और यदि वही दर्ज की जाती है, तो उच्च न्यायालय खंड 482 दंड प्रक्रिया संहिता, सी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूसरी प्राथमिकी को रद्द करने के अपने अधिकारों के भीतर होगा। अमितभाई अनिल चंद्र शाह के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी सिद्धांत का पालन किया है।इस प्रकार, ऐसी स्थिति में जहां उसी घटना के संबंध में दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिस पर वर्तमान मामले की तरह पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, दूसरी प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 173 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(68) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अजय मित्रा अन्य एम. पी. एंड ओ. आर. एस. राज्य के मामले में 18 के रूप में अभिनिर्धारित किया है जैसा कि नीचे कहा गया हैः–

"छुट्टी दे दी गई।

विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 16 जनवरी, 2002 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसके द्वारा खंड 482 Cr.P.C के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

XXX XXX XXX

इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने तीन आपराधिक मामले दर्ज किए

18 2003(3) एस. सी. सी. 11 श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य

761

(विकास बहल, जे.)

विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्राथमिकी और मामले की कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष खंड 482 Cr.P.C के तहत विविध याचिकाएं।पक्षों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई प्राथमिकियों के संबंध में अभी तक जांच शुरू नहीं हुई है और इसलिए, याचिकाएं पूर्व-परिपक्व थीं और तदनुसार तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

XXX XXX XXX

उच्च न्यायालय ने माना है कि शिकायत को रद्द करने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाएं और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियां पूर्व-परिपक्व हैं।सवाल यह उठता है कि जहां शिकायत या प्राथमिकी आर. किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है, क्या उसे प्रारंभिक चरण में रद्द किया जा सकता है? यह था सवाल

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य में इस न्यायालय द्वारा जांच की गई। वी. स्वपन कुमार गुहा और अन्य, ए. आई. आर. 1982 सुप्रीम कोर्ट

94 9 और यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो यह आरोप या खुलासा नहीं करती है कि दंडात्मक प्रावधान की आवश्यक आवश्यकताएं प्रथमदृष्टया संतुष्ट हैं, आधार नहीं बना सकती है या एक वैध जांच का प्रारंभिक बिंदु नहीं बना सकती है।यह निश्चित रूप से पुलिस के प्रांत के भीतर एक रिपोर्ट (एफ. आई. आर.)

की जांच करने के लिए नहीं है जो एक संज्ञेय अपराध के अपराध का खुलासा नहीं करता है और संहिता उन पर ऐसे मामलों में जांच का कर्तव्य नहीं लगाती है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यदि प्राथमिकी आर. द्वारा किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है तो जांच को रद्द किया जा सकता है। इसी प्रश्न पर राज्य में विचार किया गया है

हरियाणा और ओआरएस। वी. च. भजन लाल और अन्य। 1991 (3) आरसीआर

(आपराधिक) 383 (अनुसूचित जाति) और पहले के सभी निर्णयों पर विचार करने के बाद, उन मामलों की श्रेणी, जिनमें न्यायाधीशालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग कर सकता है या खंड 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का उपयोग किसी भी न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए कर सकता है, को रिपोर्ट के पैरा 108 में संक्षिप्त किया गया था और इसके उप–पैरा 1 से 3 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

"1.जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथमदृष्टया 762 नहीं हैं।

अभियुक्त के खिलाफ कोई अपराध या मामला बनता है।

2. जहां एफ. आई. आर. के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों में आरोप, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की खंड 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की खंड 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

3. जहां प्राथमिकी आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए उक्त निर्णय में सकारात्मक रूप से कहा गया था कि जहां कोई प्राथमिकी दंडात्मक प्रावधान की आवश्यक आवश्यकताओं का खुलासा नहीं करती है या संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है, तो उसे प्रारंभिक चरण में रद्द किया जा सकता है।भजन लाल के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायाधीशालय के फैसले का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि उच्च न्यायाधीशालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का या तो किसी भी न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए खंड 482 Cr.P.C 1973 के तहत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(69) आर. कल्याणी बनाम जनक सी. मेहता 19 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

" अवकाश अनुदत्त गई।

2. अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की खंड 34 के साथ पठित खंड 409,420 और 468 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़. आई. आर.) दर्ज की।3. प्रथम और द्वितीय प्रतिवादी ने उक्त प्राथमिकी आर. को रद्द करने के आदेश के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और साथ ही उसके अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई जांच के लिए भी।उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.4.2004 के विवादित आदेश के कारण उक्त कार्यवाही की अनुमति दी।श्री के. के.

अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता मणि अपील के समर्थन में तर्क देंगेः

(1) उच्च न्यायालय ने अपने निहित अधिकार क्षेत्र क्षेत्र का प्रयोग किया

19 2009 (1) एस. सी. सी. 516 श्री मोनिशंकर हाजरा बनाम हरियाणा राज्य

दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 482 के तहत पूरी तरह से अवैध रूप से और अधिकार क्षेत्र के बिना क्योंकि यह प्रतिवादी की भागीदारी के संबंध में तथ्य के विवादित प्रश्नों में प्रवेश करता है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री धोखाधड़ी, आपराधिक भंग और जालसाजी के अपराध का खुलासा करती है।

(2) हालांकि यह माना जा सकता है कि जांच पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन उच्च न्यायालय प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर या तो आवेदकों की ओर से पुरुष कारणों की अनुपस्थिति में या मामले में उनकी भागीदारी का पता लगाने के उद्देश्य से भरोसा नहीं कर सकता था।

(3) प्रतिवादी Nos.1 और 2 इसमें शेयरों में काम करने वाली कंपनी मैसर्स शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के उच्च पदस्थ अधिकारी होने के नाते, अपराध के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी थे क्योंकि वे इसके मामलों के दैनिक प्रभारी थे।(4) जालसाजी का अपराध गंभीर होने के कारण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अभियुक्त संख्या 3 को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज को शेयर हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत करने के लिए एक पत्र भेजा था, उसे प्रतिवादी संख्या 3 के साथ उक्त अपराध करने का अपेक्षित इरादा रखने के लिए अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए।

(5) मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, प्रतिवादी संख्या 3 उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदक नहीं होने के कारण, पूरे आपराधिक अभियोजन को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता था।

XXX XXX XXX

हामिद अन्य राशिद उपनाम रशीद और अन्य में। [(2008) 1 एस. सी. सी. 474], इस न्यायालय ने राय दीः

"6. हम शिकायतकर्ता अपीलकर्ता की ओर से दिए गए विवाद से सहमत हैं।खंड 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता उच्च न्यायाधीशालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाती है और इसकी भाषा काफी स्पष्ट है जब यह कहा जाता है कि संहिता में कुछ भी उच्च

न्यायाधीशालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा जो ऐसे आदेश देने के लिए आवश्यक हो सकते हैं जो संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, या किसी भी न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो।एक प्रक्रियात्मक संहिता, हालांकि संपूर्ण है, स्पष्ट रूप से सभी मामलों या 764 के खिलाफ आने वाले सभी समय के लिए प्रदान नहीं कर सकती है।

ऐसे बिंदु जो संभवतः उत्पन्न हो सकते हैं, और ताकि न्यायाधीश प्रभावित न हो, यह आवश्यक है कि प्रत्येक न्यायाधीशालय को उचित मामलों में न्यायाधीश के उद्देश्यों के लिए या संहिता के अन्य प्रावधानों को पूरा आदेश के उद्देश्य से अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक न्यायाधीशालय के पास उस प्रशासन के लिए वास्तविक और पर्याप्त न्यायाधीश करने के लिए या न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से न्यायाधीशसंगत कार्य करने की अंतर्निहित शक्ति है।"

XXX XXX XXX

उच्च न्यायालयों के सर्वोच्च कर्तव्यों में से एक यह देखना है कि एक व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से निर्दोष है, उसे झूठी और पूरी तरह से असमर्थनीय शिकायत के आधार पर उत्पीड़न और अपमान के अधीन नहीं किया जाता है।

XXX XXX XXX

एक प्रत्यावर्ती दायित्व केवल एक अधिनियम के प्रावधान के कारण निर्धारित किया जा सकता है और अन्यथा नहीं।उक्त उद्देश्य के लिए, एक कानूनी कल्पना बनाई जानी चाहिए।यहां तक कि एक विशेष अधिनियम के तहत जब किसी व्यक्ति पर प्रत्यावर्ती आपराधिक दायित्व इस आधार पर लगाया जाता है कि वह कंपनी के मामलों का प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था, तो अधिनियम के तहत निर्धारित सभी

अवयवों को पूरा किया जाना चाहिए।एक कानूनी कल्पना उस उद्देश्य और उद्देश्य तक सीमित होनी चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया है।शाम सुंदर और अन्य में। 5. हरियाणा राज्य [(1989) 4 एस. सी. सी. 630], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"9. लेकिन हम दंडात्मक प्रावधान के तहत आपराधिक दायित्व से चिंतित हैं न कि नागरिक दायित्व से।दंडात्मक प्रावधान को सबसे पहले सख्ती से समझा जाना चाहिए। दूसरा, आपराधिक अधिनियम में कोई प्रत्यावर्ती दायित्व नहीं है जब तक कि क़ानून उसे भी अपने दायरे में नहीं लेता है।खंड 10 में इस तरह के दायित्व का प्रावधान नहीं है।यह सभी भागीदारों को अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता है, चाहे वे व्यापार करें या न करें।"

XXX XXX XXX

27. यदि इस प्रकार, किसी व्यक्ति को कंपनी के कृत्यों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होने के रूप में कार्रवाई करनी है, तो कंपनी को आरोपी बनाया जाना चाहिए।किसी भी स्थिति में, ऐसा करना एक उचित बात होगी, क्योंकि श्री मोनिशंकर हजरा बनाम हरियाणा राज्य दोनों के खिलाफ कानूनी कल्पना उठाई गई है।

765

(विकास बहल, जे.)

कंपनी के साथ-साथ कंपनी के कार्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति।

XXX XXX XXX

30. अपील को उपरोक्त टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया जाता है।"

उक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने खंड 482 Cr.P.C के तहत एक याचिका में, जांच पूरी किए बिना प्राथमिकी को रद्द कर दिया था और उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था क्योंकि जिन व्यक्तियों ने संहिता की खंड 482 के तहत याचिका दायर की थी।

राहत मिलती हैः

(70) आठ आधारों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में विस्तृत किया गया है और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों में निर्धारित कानून के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, दोनों याचिकाओं यानी सी. आर. एम.–एम. 6692/2022 और सी. आर. एम.–एम. 6698/2022 की अनुमति है और दिनांकित 15.12.2021 के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और प्राथमिकी आर. सं.508/2021 पंचकूला के पुलिस थाना सेक्टर 5 में भा.दं.सं. सी. की धारा 120 बी, 406,409,420,465,467,468 और 471 के तहत दर्ज और उससे उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।

हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि विवादित आदेश को रद्द करने और प्राथमिकी आर. और बाद की कार्यवाही को रद्द करने के साथ–साथ वर्तमान मामले में की गई टिप्पणियों से उस कार्यवाही/शिकायत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो लोकायुक्त, हरियाणा के समक्ष लंबित है और प्राथमिकी आर. सं.419 दिल्ली के पुलिस स्टेशन प्रशांत विहार में पंजीकृत दिनांक 18.08.2017 जो खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत प्रतिवादी दिनांक 07.06.2017 आवेदन के अनुसरण में दर्ज किया गया था।2 मुख्य महानगर दंडाधिकारी, रोहिणी न्यायालय, नई दिल्ली के न्यायालय में।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक : शैली